प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

कदम बढ़ाते चलो

कदम बढ़ाते चलो

महिलाओं पर होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिये कदम

प्रैक्टिशनर के लिये नियमावली /मैन्युल

प्रकाशक

ज्ञान. आवाज़. लोकतंत्र.
प्रिया

सोसायटी फॉर पार्टिसिपेट्री रिसर्च इन एशिया

एवं

Martha Farrell
FOUNDATION

तथा मार्था फैरेल फाउंडेशन

“© प्रिया 2016
इस प्रकाशन के सभी अंश प्रिया की व्यक्तिगत तथा विशिष्ट सम्पत्ति हैं और इन्हें ऐसा ही समझा जाये। प्रिया की लिखित अनुमति के बिना इस पूरी कृति का अथवा इसके किसी हिस्से का प्रकाशन, रूपान्तरण, अनुवाद, संशोधन, उद्धरण, आयात, निर्यात अथवा प्रतिकृति बनाना इसके कॉपीराइट का उल्लंघन माना जायेगा। ऐसा करने पर उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

प्रिया द्वारा पहला प्रकाशन मार्च 2016

इस दस्तावेज का प्रकाशन द एशिया फॉउनडेशन द्वारा समर्थित है

प्रकाशक

प्रिया
42ए तुगलकाबाद इंस्टीट्यूश्नल एरिया,
नई दिल्ली – 110062
फोन: +91-11-2996 0931/32/33
फैक्स : +91-11-29955183
ई–मेल: info@pria.org
वैबसाइट: www.pria.org

विषय–सूची

विवरण

अध्याय 1: कदम बढ़ाते चलो
1.1 कदम बढ़ाते चलो क्या है?
1.2 क्यों एक अनूठा कार्यक्रम है कदम बढ़ाते चलो?
1.3 कदम बढ़ाते चलो कार्यक्रम आरंभ करना

अध्याय 2 : चरण 1 – युवाओं को कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये तैयार करना
2.1 समुदाय में मौजूद युवा समूहों / क्लबों का पता लगाना
2.2 युवाओं को अवरोध दूर करने हेतु सहभागिता कार्यशालाओं के ज़रिये आकर्षित करना
2.3 महिलाओं पर होने वाली हिंसा के मुद्दे पर युवा समूह व्यवस्थित करना और उन्हें तैयार करना
2.4 सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण के ज़रिये युवा समूहों में संवेदनशीलता तथा जागरूकता पैदा करना
2.5 युवा सार्वजनिक तौर पर यह ज़िम्मेदारी ले और बदलाव लाने तथा इसके लिये कार्य करने का संकल्प ले
2.6 संभावित युवा लीडरों की पहचान
2.7 मूल समूह का गठन

अध्याय 3: चरण 2 – युवा–संचालित सामुदायिक कार्य
3.1 समुदाय से समर्थन हासिल करना
3.2 प्रमुख हितधारियों, सहयोगियों तथा सहभागियों की पहचान करना
3.3. पार्टिसिपेट्री सेफ़्टी ऑडिट करना (PSA)
3.4 सेफ़्टी ऑडिट के परिणाम साझा करना
3.5 जागरूकता पैदा करने हेतु अभियान

अध्याय 4: चरण 3 – प्रतिक्रियाशील तथा उत्तरदायी संस्थान
4.1 संगठनों से सहभागिता

स्रोत
अभ्यास सामग्री

समीक्षा

एक लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ है.....और उसके बलात्कारियों ने उसे मार डाला। एक और लड़की का, साल भर तक पीछा करने के बाद अपहरण कर लिया गया।

इस तरह की घटनाओं से चर्चायें छिड़ जाती हैं – उन पार्कों में जहाँ आस–पास के लोग सवेरे टहलने आते हैं, बस या मेट्रो में, जिनसे युवतियाँ कॉलेज आया–जाया करती हैं, ऑफिस में या फिर टीवी के विभिन्न चैनलों पर। इस तरह की चर्चाओं में सुर हमेशा गुस्से का रहता है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा हमें किस बात पर होता है? बलात्कार के भयावह विवरण पर, कैसे इस तरह की घटनायें अब बढ़ती जा रही हैं, कैसे हम अपनी बेटियों को लेकर डरते रहते हैं, जब वे काम पर या पढ़ने बाहर जाती हैं, कैसे महिलायें अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं, खासतौर से अँधेरा हो जाने पर.....और इस सबके लिये हम किसे दोषी ठहराते हैं? ग़रीबी को.....शिक्षा की कमी को....खराब नगर व्यवस्था को....सरकार को....ग़ैर सरकारी संगठनों को, जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं.....महिलाओं की पोशाक को.....उनके व्यवहार को.....यहाँ तक कि, चौमीन और मोबाइल फोन को भी! और, ज़ाहिर है, पुरुषों को।

जब उत्पीड़न, बलात्कार, छेड़खानी की घटनाओं की बात आती है, तो हम उस डर को महसूस कर पाते हैं। यह खीझ, कि कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि यौन उत्पीड़न तथा यौन आघात हमारी संस्कृति में कहीं गहरी जड़ें जमाये हुये है। हमारी ज़िन्दगियों के ढाँचे में इस तरह से बुना हुआ है, कि हम में से जो इसका शिकार होते हैं, वे कहीं ना कहीं स्वयं को ही दोषी महसूस करते हैं। और उन पर क्रोधित होते हैं, जो इस हिंसा के लिये दोषी हैं, क्योंकि उन्हें अपने कुकर्म गलत नज़र नहीं आते, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा समाज बिल्कुल साफ़ तौर पर यह संदेश देता है, कि बलात्कार, दुर्व्यवहार / मार–पीट, यौन उत्पीड़न, (गलत इरादे से) पीछा करना, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार तथा अन्य रूपों में हिंसा स्वीकार्य है।

हम अक्सर पूछते हैं, कि स्थिति कब बदलेगी, महिलायें कब सुरक्षित होंगी। क्या यह समस्या सिर्फ़ इसलिये है, क्योंकि, दूसरे या व्यापक स्तर पर समाज नहीं बदलेगा? या क्या यह संभव है, कि मैं अकेले, व्यक्तिगत रूप से भी इन परिस्थितियों को बदल सकता/सकती हूँ ? बदलाव व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संभव है, यही बोध कदम बढ़ाते चलो कार्यक्रम के प्रैक्टिश्नर मैन्यूअल में स्पष्ट रूप से कराया गया है। कदम बढ़ाते चलो महिलाओं पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने हेतु एक युवा–संचालित कार्यक्रम है। युवा बदलाव के प्रतिनिधि हैं, जो अपने घरों में, अपने समुदायों में, स्थानीय पुलिस के बीच, सरकार तथा शिक्षण संस्थानों में आगे आने तथा महिलाओं पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने हेतु जागरूकता पैदा करने के लिये पहल करेंगे। अपने समुदाय में कदम बढ़ाते चलो कार्यक्रम क्रियान्वित करने में मदद करके, यह मार्ग–दर्शक पुस्तिका बदलाव आपके हाथों में सौंपती है।

यह जानने के लिये, कि आपकी ही तरह कैसे अन्य लोग भी इस समाधान का हिस्सा बन रहे हैं, कदम बढ़ाते चलो ब्लॉग (http://pria.org/kadam-badao/category/blog/?pid=25&ppid=0) को फॉलो करें या फेसबुक (https://www.facebook.com/kadambadao/) पर हमसे जुड़ें।

अध्याय 1: कदम बढ़ाते चलो

1.1 कदम बढ़ाते चलो क्या है?

कदम बढ़ाते चलो महिलाओं पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने हेतु एक युवा–संचालित कार्यक्रम है। यह लड़के तथा लड़कियों में युवा नेतृत्व का विकास तथा समर्थन करता है, उन्हें बदलाव के वे उपकरण उपलब्ध करवाकर, जिन्हें वे अपने सम्मिलित लक्ष्यों को हासिल करने हेतु प्रयोग में ला सकें। इस प्रक्रिया में, ये युवा बदलाव के प्रतिनिधि बन जायेंगे। यह कार्यक्रम सहभागिता पर ज़ोर देता है – विभिन्न समुदायों में युवा लड़के–लड़कियों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों के बीच – एक साथ मिलकर आगे आने और कार्यवाही करना, सीखने हेतु।

परिवारों, स्थानीय समुदायों, शैक्षिक संस्थानों, सरकार, न्यायपालिका, पुलिस, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, वाणिज्यिक स्थापनायें तथा सार्वजनिक नीति पर असर डालने हेतु एक साथ काम करते हुये ये युवा, महिलाओं पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिये कुछ सम्मिलित कदम उठायेंगे।

1.2 क्यों एक अनूठा कार्यक्रम है कदम बढ़ाते चलो?

युवा लड़के तथा लड़कियाँ बदलाव के प्रतिनिधि हैं : चुँकि, ये युवाओं द्वारा संचालित एक पहल है, युवा इसमें पहल करने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमियों, विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों तथा समुदायों के युवा आगे बढने का बीड़ा उठाते हैं।

लड़के भी बराबर के भागीदार हैं : परिस्थितियाँ कब बदलेंगी? केवल तभी जब लड़के तथा पुरुष लड़कियों तथा महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जब उन्हें अहसास होगा, कि वे इस समस्या का एक हिस्सा हैं और इसीलिये बदलाव के लिये इसके समाधान का भी मुख्य हिस्सा वे ही हैं। इसलिये लड़कों का इस कार्यक्रम में बराबर का भागीदार होना ज़रूरी है। यह कार्यक्रम लड़के–लड़कियों की बराबर की सहभागिता तथा भागीदारी पर ज़ोर देता है।

पुरुषों तथा लड़कों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हुये, लड़के तथा लड़कियों, दोनों के ही सोच में बदलाव तथा व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी को संबोधित करता है: यह कार्यक्रम लिंग संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता तथा संवेदनशीलता पैदा करता है, जिसके तहत इसका उद्धेश्य हर व्यक्ति – लड़का या लड़की, पुरुष या महिला – को कार्यवाहियों की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी लेने और लिंग के आधार पर भेदभाव तथा महिलाओं पर होने वाली हिंसा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिये राज़ी करना है।

साथियों से सीखना : व्यवहार परिवर्तन के मामले में सबसे कारग़र तरीका है, एक–दूसरे से सीखना और युवा लोग अपने साथियों से ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। इस कार्यक्रम की गतिविधियाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी केंद्रों, महानगरों तथा जिलों, मध्यम वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों – के युवाओं की जानकारी आपस में बाँटने, एक–दूसरे का साथ देने, एक साथ मिलकर काम करने और अपनी विविधता के बावजूद आपस में एकता रखने को प्रेरित करती हैं।

पंचायतों, नगरपालिकाओं तथा चुने गये प्रतिनिधियों की भागीदारी के लिये प्रयास करता है : शैक्षिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा स्कूलों के लीडर, समाज के जननायक (सिटिज़न लीडर), पुलिस, न्यायपालिका, नगरपालिका के अधिकारी, कानूनी सहायता केन्द्र, मीडिया तथा बुनियादी स्तर के समुदाय आधारित संगठन इस पहल में सहभागी हैं।

चाहे समन्वयक/संचालक के रूप में अथवा सार्वजनिक उद्यमियों के रूप में, स्थानीय सरकार व्यापक स्तर पर नागरिकों की सहभागिता को भी प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे पूरे समुदाय का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करता है : इस पहल की सतत् सफलता सुनिश्चित करने के लिये व्यक्तिगत तथा संस्थागत जवाबदेही की अपेक्षा रखता है।

1.3 कदम बढ़ाते चलो– कैसे करें

कदम बढ़ाते चलो कार्यक्रम तीन चरणों में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक चरण के एक विशिष्ट लक्ष्य और कुछ गतिविधियाँ हैं, जो आवश्यक रूप से पूरी होनी चाहिए। इनके अलावा, आप ऐसी कोई भी गतिविधि संचालित कर सकते हैं, जो आपको लगता हो कि आपके संदर्भ के लिये उपयुक्त है और उन युवा समूहों द्वारा तय की गई है, जिन्हें आप सहायता दे रहे हैं। गतिविधियाँ सम्पन्न करने में कोई जल्दबाज़ी न करें। प्रत्येक समुदाय तथा युवा समूह की परिवर्तन के लिये अपनी अलग गति/लय होगी। प्रत्येक चरण के परिणाम हासिल करने हेतु दिया गया समय परिणाम हासिल करने में लगने वाले न्यूनतम समय का सूचक है। सूची में दी गई कई गतिविधियाँ क्रमवार ढंग से की जाने वाली नहीं हैं, अक्सर आप पूर्व गतिविधियों की सफलता के आधार पर उन्हें साथ–साथ चला सकते हैं।

चरण 1 – युवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये तैयार होते हैं
समय : 3 से 4 महीने
परिणाम : नियोजित समूह से 14 से 25 वर्ष की आयु वाले लगभग 50 लड़के–लड़कियों का जागरूक तथा कार्यान्वयन करने के लिये तैयार समूह

गतिविधियाँ

1. समुदाय में मौजूद युवा समूहों/क्लबों का पता लगाना
2. प्रतिबंध हटाने, एकजुटता बढ़ाने तथा महिलाओं पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता को मन में बिठाने के लिये युवाओं को कार्यशालाओं के ज़रिये आकर्षित करना
3. महिलाओं पर होने वाली हिंसा के मुद्दे पर युवा समूह व्यवस्थित करना और उन्हें तैयार करना
4. सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण के ज़रिये युवा समूहों में संवेदनशीलता तथा जागरूकता पैदा करना
5. युवा सार्वजनिक तौर पर ज़िम्मेदारी लें और बदलाव लाने का संकल्प करें
6. संभावित युवा नेताओं की पहचान
7. मूल समूह का गठन

चरण 2 – युवा–संचालित सामुदायिक क्रिया–कलाप
समय : 4 से 6 महीने

परिणाम : समाज को युवाओं द्वारा जागरूक किया जा सकता है। युवा जागरूकता पैदा करते हैं, अपने आस–पड़ोस तथा समुदायों में महिलाओं तथा लड़कियों पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने की माँग करते हैं और इसके लिये आवश्यक कदम उठाते हैं।

गतिविधियाँ :

1. युवा संचालक/लीडर सामुदायिक समर्थन प्राप्त करने हेतु समुदाय के सदस्यों तथा बड़े–बूढ़ों को यह कार्यक्रम तथा महिलाओं पर होने वाली हिंसा का मुद्दा समझाते हैं
2. युवा लीडर समुदाय में से स्वयंसेवियों, स्थानीय मीडिया, प्रमुख सामुदायिक संस्थान तथा सहभागियों और सहयोगियों के रूप में अन्य व्यक्तियों की पहचान करते हैं
3. युवा लीडर समुदाय (गाँव, वार्ड, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, बाज़ार, पुलिस थाना इत्यादि) में सहभागी सुरक्षा परीक्षण (पार्टिसिपेट्री सेफ्टी ऑडिट) करवा सकते हैं।
4. इस ऑडिट के परिणाम उन सार्वजनिक आयोजनों में साझा किये जा सकते हैं, जिनकी अध्यक्षता नगरपालिका/पंचायत के प्रमुखों द्वारा की जा रही हो।
5. युवा लीडर महिलाओं पर होने वाली हिंसा के मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने और संस्थानों से इस पर कार्रवाई करने की मांग करने हेतु अभियान चलाते हैं।

चरण 3 – उत्तरदायी तथा ज़िम्मेदार संस्थान

समय : 3 से 4 महीने

परिणाम : स्थानीय संस्थान युवाओं से सहभागिता करने और महिलाओं पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिये समुदाय द्वारा उठाई गई मांगों को संबोधित करने हेतु ठोस कदम उठाने के लिये सहमत हो जाते हैं। युवा नेताओं तथा समुदायों के साथ लगातार तालमेल बनाये रखने के लिये विभिन्न संस्थानों में प्रमुख अधिकारियों/संरचनाओं की पहचान की जाती है।

इस चरण की गतिविधियाँ ऐसी हों, जो युवा नेताओं को कार्रवाई की मांग करने हेतु संस्थानों के साथ जुड़ने के लिये प्रोत्साहित कर सकें। महिलाओं तथा लड़कियों पर होने वाली हिंसा को रोकने के मुद्दे के प्रति जागरूक तथा वचनबद्ध संस्थान कार्रवाई नियोजित करेंगे और अपने संस्थान के भीतर महिलाओं पर होने वाली हिंसा की रोकथाम, निवारण तथा सुधार के लिये अनुकूल योजनायें तैयार करेंगे।

इस मुद्दे को जीवित रखने, इसमें आगे बढ़ने तथा इस मुद्दे के प्रति अपनी वचनबद्धता को क़ायम रखने हेतु युवा लीडर अपनी स्वयं की कार्य योजनायें भी तैयार करेंगे, जिससे संस्थानों के साथ फॉलो–अप का समय निर्धारित कर सकें।

अध्याय 2 : चरण 1

युवाओं को कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये तैयार करना

समय : 3 से 4 महीने

परिणाम : नियोजित समूह से 14 से 25 वर्ष की आयु वाले लगभग 50 लड़के–लड़कियों का जागरूक तथा कार्यान्वयन करने के लिये तैयार समूह

2.1 समुदाय में मौजूद युवा समूहों / क्लबों का पता लगाना

लगभग हर समुदाय में युवा लोगों के समूह होते हैं, जो मिलकर कुछ क्रिया–कलाप करते हैं। यह समूह कोई स्थानीय स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये कोई आस–पड़ोस का संगठन हो सकता है अथवा कल्याणकारी गतिविधियाँ चलाने वाला कोई समूह हो सकता है। यदि आपको समुदाय में काम करते हुये कुछ समय हो चुका है, तो आप आसानी से ऐसे समूहों का पता लगा लेंगे। आमतौर पर युवक ऐसे समूहों के सदस्य होते हैं, क्योंकि उन्हें घर से बाहर निकलने और खेल–कूद या सांस्कृतिक समारोहों में हिस्सा लेने की आज़ादी होती है। युवतियों, खासतौर पर ग्रामीण समुदायों की युवतियों, को स्कूल जाने के अलावा, घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। जहाँ ऐसे सख़्त सामाजिक क़ायदे मौजूद हों, वहाँ आपके लिये युवा लड़कियों से मेल–जोल बढ़ाना तब आसान होगा, जब वे अपनी माताओं के साथ स्वयं–सेवी समूहों की बैठकों में या किसी स्वास्थ्य शिविर में आयें।

आप समुदाय से सहायकों तथा सामाजिक नेताओं की मदद भी ले सकते हैं। ये शिक्षक हो सकते हैं, ए एन एम या आशा कार्यकर्ता हो सकते हैं, पंचायत लीडर हो सकते हैं, वार्ड सभा के सदस्य हो सकते हैं या समुदाय के बड़े–बूढ़े भी हो सकते हैं।

ऐसा भी हो सकता है, कि जिस समुदाय में आप काम करने जा रहे हैं, वहाँ ऐसा कोई समूह मौजूद ही न हो। फ़िक्र न करें। आप 2–3 लड़के या लड़कियों के समूह से बात करके शुरुआत कर सकते हैं और बाद में इसमें और लड़के–लड़कियों को शामिल करते हुये दायरा बढ़ा सकते हैं।

युवा समूह बनाने का उद्धेश्य

– युवाओं को एकता की ताक़त का पता लगाने हेतु आगे आने, आत्म–विश्वास विकसित करने तथा अपने कार्यों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिये प्रोत्साहित करना
– लड़कियों के लिये एक ऐसी सुरक्षित जगह बनाना, जहाँ वे मिलकर भेदभाव, हिंसा तथा उत्पीड़न के अपने–अपने अनुभव तथा किस्से आपस में साझा कर सकें।
– लड़कों को लैंगिक भेदभाव तथा हिंसा के विभिन्न रूपों के बारे में बात करने को प्रोत्साहित करना
– लड़के–लड़कियाँ सेक्स तथा जेंडर के बीच भेद समझ सकें
– लड़के–लड़कियों को महिलाओं पर होने वाली हिंसा का अर्थ तथा इससे निबटने के कानूनी प्रावधान समझाये जा सकें
– युवाओं को इस मुद्दे से जुड़े रहने तथा सम्मिलित रूप से कार्रवाई करने के लिये प्रेरित किया जा सके

उन समुदायों में जहाँ युवा लोगों के ऐसे समूह पहले से ही मौजूद हों, जो साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे हों, वहाँ अगला कदम होगा इन युवाओं को उनके स्वयं के विचार, रुझान, शक्तियाँ तथा कमज़ोरियां उजागर करने हेतु प्रोत्साहित करना।

2.2. अवरोध/रुकावट को दूर करने के लिए युवाओं को सहभागी कार्यशालाओं के ज़रिये जोड़ना

युवा अपने आप को किसी काबिल समझे, उनमें आत्म विश्वास जागे और वे अपने कार्यों को अपने नियंत्रण में ले सकें, इसके लिये उनका किसी काम में लगा होना ज़रूरी है। सशक्तीकरण की प्रक्रिया तभी शुरु हो जाती है, जैसे ही उन्हें पता लगता है, कि उनकी स्थिति कोई अनोखी नहीं है और उनके जैसे और भी लोग हैं, जिनके सामने उनके जैसी ही कठिनाइयाँ हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं इसकी जागरूकता और समाजीकरण तथा असमान शक्ति संबंधों के कारणों की समझ, उन्हें इस दिशा में कुछ करने के लिये आज़ाद कर देती है।

यह एक अच्छा विचार हो सकता हैं कि लड़के तथा लड़कियों को अलग–अलग जोड़ा जाए क्योंकि कहीं–कहीं इनके परिवार एवं समुदाय में इनको आपस में मिलने–जुलने की अनुमति न देते हैं।

फील्ड से अनुभव

प्रिया कई सालों से कन्या भ्रूणहत्या तथा दलित महिलाओं पर हिंसा के मामले में सोनीपत में काम कर रही है। प्रिया के अनुदेशको (एनीमेटर्स) को समुदाय में आदर की नज़र से देखा जाता था। एनीमेटर्स ने देखा कि कई लड़कियाँ अपनी माताओं के साथ आती थीं, तो एनीमेटर्स ने किशोरी लड़कियों को अपना एक अलग समूह – किशोरी समूह – बनाने के लिये प्रोत्साहित किया। ज्यादातर किशोरी लड़कियाँ अपनी माताओं तथा परिवार की अन्य महिला सदस्यों के साथ खुल कर बातचीत करती है तो ये बड़े उम्र की स्त्रियों को प्रभावित कर सकती हैं। ये सीखने के लिये उत्सुक रहती हैं और गतिविधियों में शामिल किये जाने की इच्छुक होती हैं। एनीमेटर्स ने गाँवों में शिक्षकों को भी महिलाओं पर होले वाली हिंसा के मुद्दे पर जागरूक किया, जिन्होंने किशोरी लड़कियों के बीच इस मामले में और रुचि पैदा करने में मदद की।

प्रिया ने सोनीपत जिले की 20 ग्राम पंचायतों में कदम बढ़ाते चलो कार्यक्रम चलाया। हर गाँव में किशोरी समूह तथा किशोर समूह बनाये गये, इस प्रकार कुल 20 युवा समूह बनाये गये। हर समूह में लगभग 20 सदस्य थे, जिनमें वे युवा भी शामिल थे, जो स्कूल नहीं गये। युवा समूह दो शैक्षिक संस्थानों (जींदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी तथा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय) में भी बनाये गये, जो कि मिले–जुले थे। हरेक कॉलेज ने एक प्राध्यापक नियुक्त किया, जिसने इस पहल को समर्थन दिया और समूह का मार्ग–निर्देशन किया।

आपको लैंगिक असमानता (लड़का–लड़की में फ़र्क करना), घर तथा सार्वजनिक स्थानों में होने वाली हिंसा के प्रकार, समाजीकरण तथा पितृसत्ता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिये सप्ताह में कम से कम एक बार युवाओं से मिलना चाहिये। इस बात पर चर्चा तथा वाद–विवाद करें कि किस प्रकार परिवार, स्कूल, विश्वविद्यालय, पंचायत, पुलिस, कानूनी निकाय इत्यादि महिलाओं पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं और कैसे इसके ख़िलाफ़ की जाने वाली कार्रवाई में रोड़े अटका सकते हैं।

समूह का हिस्सा होने के नाते लड़के तथा लड़कियों को हिंसा की प्रक्रिया में अपनी भूमिका दर्शाने, हमउम्रों तथा समाज का दबाव तथा जातियों के बीच संघर्ष के अपने स्वयं के अनुभव बाँटने का अवसर मिलेगा।

अभ्यास / अध्ययन सामग्री संख्या 1 युवा समूहों में चुप्पी तोड़ने में सहायक हो सकती है।
अभ्यास / अध्ययन सामग्री संख्या 2 लिंग (जेंडर) के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायक हो सकती है।
अभ्यास / अध्ययन सामग्री संख्या 3 लिंग–आधारित भूमिकायें समझाने में सहायक हो सकती है।
अभ्यास / अध्ययन सामग्री संख्या 4 लिंगों की रूढ़िबद्धताओं को समाजीकरण के परिणाम के रूप में समझाने में सहायक हो सकती है।
अभ्यास / अध्ययन सामग्री संख्या 5 पितृसत्ता के विषय में समझाने में सहायक हो सकती है

इस अवधि के दौरान यह ज़रूरी है, कि लड़के तथा लड़कियाँ सेक्स तथा जेंडर के बीच का अन्तर समझ जायें।

अभ्यास / अध्ययन सामग्री संख्या 6 आपको सेक्स तथा जेंडर के विषय में जागरूकता पैदा करने हेतु एक वर्कशॉप आयोजित करने में सहायता प्रदान करेगी।

बैठक / मीटिंग के लिये कोई ऐसी जगह चुने, जो बीच में हो और जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके। बैठकों के लिये कोई एक सही समय तय करें।

यह सुनिश्चित कर लें, कि आपने युवाओं के अभिभावकों से बात कर ली हो और उन्हें बैठक के समय की जानकारी हो। कुछ शुरुआती बैठकों में आप उन्हें देखने के लिये आमंत्रित भी कर सकते हैं।

2.3 महिलाओं पर होने वाली हिंसा के मुद्दे पर युवा समूह व्यवस्थित करना और उन्हें तैयार करना

जब किशोर लड़के तथा लड़कियाँ एक अलग व्यक्तित्व के रूप में आगे आकर एक समूह बनाते हैं, तो वे स्वयं को अभिव्यक्त/व्यक्त करना शुरु कर देते हैं। बाद में, संगठित होने के लिये वे समुदाय के अन्य सदस्यों से भी बातचीत करने लगेंगे, जिससे सम्पूर्ण विकास के लिये आम मुद्दे एक साथ संबोधित किये जा सकें।

युवाओं को इस कार्यक्रम के लिये तैयार करने के लिये विभिन्न प्रकार के अभ्यासों तथा संदर्भों में कई तरीके, विधियाँ, उपकरण तथा प्रक्रियायें विकसित किये गये हैं। जागरूकता पैदा करना, जानकारी साझा करना, क्षमतायें बढ़ाना तथा बाहरी सम्पर्क तैयार करना, कुछ ऐसे तरीके हैं, जो इस कार्यक्रम के लिये तैयार किये जाने में काम में लाई जा सकती हैं।

आपको घर तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं तथा लड़कियों पर होने वाली हिंसा के प्रकारों पर चर्चा करने के लिये सप्ताह में कम से कम एक बार युवाओं से मिलना चाहिये। इस बात पर चर्चा तथा वाद–विवाद करें कि किस प्रकार परिवार, स्कूल, विश्वविद्यालय, पंचायत, पुलिस, वैधानिक निकाय इत्यादि महिलाओं पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं और कैसे इसके ख़िलाफ़ की जाने वाली कार्रवाई में रोड़े अटका सकते हैं।

किशोर लड़के तथा लड़कियों में चुप्पी तोड़ने का एक अनूठा ज़रिया है, खेल।

फील्ड से अनुभव

उत्पीड़न का वह दायरा जो लड़कियों पर रोक लगाता है, जयपुर में तोड़ दिया गया, जब कदम बढ़ाते चलो कार्यक्रम में शामिल युवाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ खेल खेले। लड़के–लड़कियों ने बताया, कि लड़कियाँ सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ खेल खेलती शायद ही कभी नज़र आती हैं, वास्तव में लड़कियों को अपने घर से बाहर कोई खेल खेलते देखना आम बात नहीं है। जो छेड़–छाड़ तथा यौन उत्पीड़न लड़कियों को अपने समुदाय के लड़कों तथा पुरुषों से लगातार झेलना पड़ता है, उससे उत्पन्न असुरक्षा की भावना ने उनके जीवन का दायरा सीमित कर दिया है।

''लड़कियाँ खेलती नहीं हैं, और घर से बाहर जाकर तो बिल्कुल नहीं,'' ऐसा करना सुरक्षित नहीं होता क्योंकि लड़के हर समय आस–पास मंडराते रहते हैं'' ऐसा मातायें लड़कियों को समझाती हैं।

''हम खेलना चाहते हैं। हमें भी वही आज़ादी चाहिये, जो लड़कों को मिलती है, घर से बाहर जाकर खेलने की।'' लड़कियों ने कहा।

मार्था फैरेल फाउंडेशन ने प्रिया तथा प्रो स्पोर्ट्स डेवेलपमेंट के साथ मिलकर जयपुर के 5 शहरी वार्डों से 215 किशोर–किशोरियों (85 लड़कियाँ तथा 130 लड़के) को चार–दिवसीय स्पोर्ट्स कैम्प में भाग लेने हेतु एक ऐसा ही अवसर प्रदान किया। ड्रैगंस टेल'', कैच मी इफ़ यू कैन'', ''एक्ट लाइक'' तथा ''साइमन सेज़'' जैसे संवादपूर्ण, ग़ैर–प्रतिस्पर्धी खेल इन युवाओं की चुप्पी तोड़ने में बेहद कारग़र साबित हुये। जल्दी ही लड़के तथा लड़कियाँ एक साथ क्रिकेट भी खेलते नज़र आये।

यह कार्यक्रम इन युवाओं द्वारा ही तैयार किया गया था और उन्होंने ही इसका नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं इसके लिये स्थान चुने और समय निर्धारित किया। उन्होंने आँगनवाड़ी के पीछे खेलने का फैसला किया, उन्होंने चौक चुना क्योंकि यह अँधियारा और सुनसान जगह है। बगीचा चुना, क्योंकि इन जगहों पर हर वक्त लड़कों तथा पुरुषों की भीड़ होती है, जो घूरते रहते हैं और फ़ब्तियाँ कसते हैं। इन्होंने स्थानीय पार्क में खेला, क्योंकि यही वो जगह है, जहाँ ''गन्दी चीज़ें'' होती हैं। इन्होंने शाम चार बजे से छः बजे तक खेला, क्योंकि जैसे–जैसे दिन ढलता है और अँधेरा होने लगता है, लड़कियों के लिये घर से बाहर रहना असुरक्षित हो जाता है।

खेलने के बाद, लड़के तथा लड़कियों ने अपने अनुभव ज़ाहिर किये। लड़कियों ने पूरी खुशी और जोश के साथ क्रिकेट के खेल में अपनी भागीदारी के बारे में बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, कि वे शायद पहली बार लड़कों के साथ किसी गतिविधि में शामिल हुई थीं और लड़कों की उपस्थिति में भी उन्होंने कोई खतरा महसूस नहीं किया था। लड़कों को भी लड़कियों के साथ खेल कर अच्छा लगा। खेल के ज़रिये उन्होंने सभी खिलाड़ियों के प्रति सम्मान का भाव रखना सीखा और यह भी सीखा कि ''उन्हें सावधानी बरतनी चाहिये और अपने किसी शब्द या हरक़त से लड़कियों को उत्पीड़ित नहीं करना चाहिये।''

2.4 सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण के ज़रिये युवा समूहों में संवेदनशीलता तथा जागरूकता पैदा करना

अ. प्रशिक्षण बदलाव के लिये एक सशक्त साधन है।
ब. प्रशिक्षण की आवश्यकता सभी प्रक्रियाओं में निर्णायक है, क्योंकि ज्ञान का प्रसार समाज में बदलाव लाने के लिये सबसे महत्वपूर्ण है।
स. हालांकि, प्रशिक्षण कारग़र साबित हो, इसके लिये ज़रूरी है, कि यह एक सम्मिलित, संवादपूर्ण, प्रेरक तथा प्रोत्साहित तरीके से डिज़ाइन और डिलीवर किया जाये।
द. युवा समूहों में सहभागितापूर्ण प्रक्रियाओं के ज़रिये भी संवेदनशीलता तथा जागरूकता पैदा की जा सकती है, जैसे फिल्म शो, केंद्रित सामूहिक चर्चायें।

सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण के बारे में समझने के लिये अभ्यास / अध्ययन सामग्री संख्या 7 पढ़ें और अभ्यास / अध्ययन सामग्री संख्या 8 आपको महिलाओं पर होने वाली हिंसा के मुद्दे पर सहभागितापूर्ण प्रशिक्षण वर्कशॉप आयोजित करने में मददगार रहेगी।

2.5 युवा सार्वजनिक तौर पर यह ज़िम्मेदारी ले और बदलाव लाने तथा इसके लिये कार्य करने का संकल्प ले

समुदाय में सामुदायिक नेताओं की मदद से एक सार्वजनिक समारोह आयोजित करें। इसमें कार्यक्रम और लिंग आधारित हिंसा के विषय में बात करें। युवा सदस्यों को प्रोत्साहित करें, कि वे समारोह में व्यक्तिगत रूप से संकल्प लें, कि वे बदलाव लाने में सहयोग देंगे और महिलाओं पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने हेतु कार्रवाई करेंगे।

आप यह समारोह इस मुद्दे से जुड़े किसी महत्वपूर्ण दिन पर आयोजित कर सकते हैं, जैसे

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस – 8 मार्च
अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवस – 12 अगस्त
अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस – 10 दिसम्बर
महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा मिटाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय दिवस – 25 नवम्बर
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (भारत में) – 24 अप्रैल

(स्कूलों में परीक्षा तथा अवकाश की तारीखें ध्यान में रखें।)

2.6 संभावित युवा लीडरों की पहचान

कैसे चुनें युवा लीडर

- युवा समूहों को अपना प्रतिनिधि नेता चुनने को कहें
- आप कुछ इच्छुक सदस्यों को वॉलंटियर करने को भी कह सकते हैं
- हर संभावित उम्मीद्वार को निम्न प्रश्नों के आधार पर अपना मूल्यांकन करने को कहें

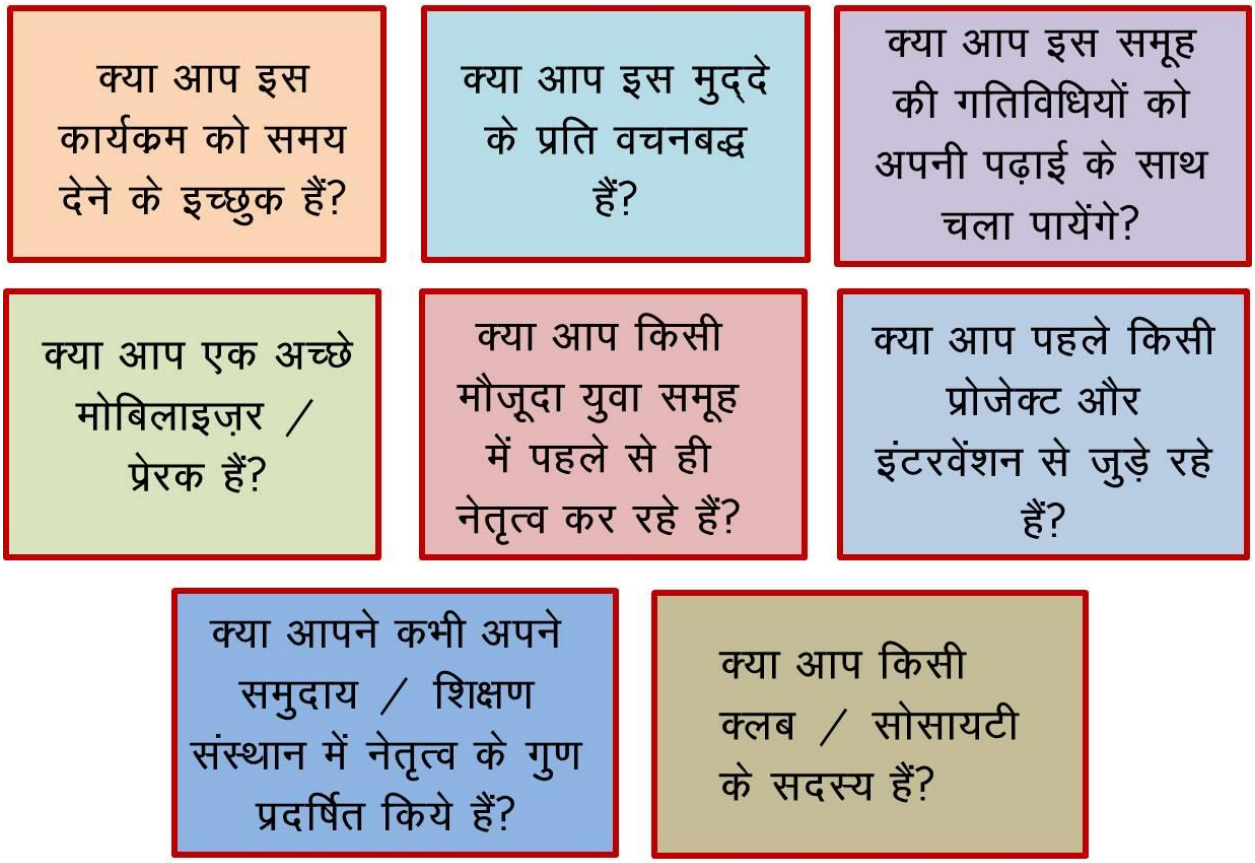

इस बात को ध्यान में रखते हुये एक बड़ी संख्या को नामांकित किया जा सकता है, कि कई लोग बीच में छोड़ कर भी जा सकते हैं।

युवा लीडरों के क्या काम है?

- संबद्ध समुदायों में युवा समूहों की बैठकें आयोजित कीजिये और प्रक्रिया को रिकॉर्ड कीजिये
- बैठक की महत्वपूर्ण बातें नियमित अंतराल पर युवा समूहों के साथी सदस्यों के साथ साझा कीजिये
- पार्टिसिपेट्री सेफ़्टी ऑडिट करवाइये, जिनमें गाँव का मानचित्र तैयार करना और केंद्रित सामूहिक चर्चाओं में मदद करना शामिल हो।
- समुदाय को व्यक्तिगत तथा सामूहिक, दोनों ही स्तरों पर जागरूक बनाइये
- पार्टिसिपेट्री सेफ़्टी ऑडिट के परिणाम संस्थानों तथा समुदायों के साथ बाँटिये
- प्लानिंग (योजना) तथा डिज़ाइनिंग अभियान
- अभियान की प्रगति का मूल्यांकन तथा निगरानी
- स्थानीय स्तर पर समारोह स्थल (वेन्यू) के लिये अनुमति हासिल करने की प्रक्रिया तथा अन्य आवश्यक सुविधायें जुटाने में मदद कीजिये
- महिलाओं पर हुई हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट कीजिये
- महिलाओं पर हुई हिंसा की घटनाओं को सुलझाने का प्रयास करने में पहल कीजिये

2.7 मूल समूह का गठन

अगला कदम होगा, मूल समूह का गठन। मूल समूह में वे युवा लीडर होंगे, जिन्हें निर्धारित किया गया है। मूल समूह अभियान की रणनीति तैयार करने, समारोहों के लिये योजना बनाने तथा इन्हें क्रियान्वित करने में पहल करेगा।

फील्ड से अनुभव

सोनीपत में समुदाय तथा दो शैक्षिक संस्थानों (जींदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी तथा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय) से बनाये गये युवा समूहों में से युवा लीडरों के दो मूल समूह बनाये गये। मूल समूह शैक्षिक संस्थानों में से एक में प्रिया के स्टाफ़ तथा संस्थान के संबंद्ध प्राध्यापक के साथ महीने में एक बार बैठक करते थे और अपने समुदाय में हुई युवा समूह की बैठकों के बारे में चर्चा करते थे। इन बैठकों से अलग–अलग लीडरों के बीच समझ का एक न्यूनतम समान स्तर विकसित करने में मदद मिली।

मूल समूह की बैठकें बहुत ध्यान से करवाना बेहद ज़रूरी है। चूँकि, युवा अलग–अलग पृष्ठभूमियों /वातावरण से होते हैं, सभी को समान रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। जो स्वयं को ठीक तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाते या अपने अनुभव नहीं बाँट पाते, उन्हें ऐसा करने में मदद की जानी चाहिये। मूल समूह में एकता की भावना विकसित की जानी चाहिये।

यह सुनिश्चित करें कि मूल समूह अपनी बैठकें शैक्षिक संस्थानों अथवा पंचायत भवन में ही आयोजित किया करें। इससे इस प्रकार के संस्थान आपके समूह को स्वीकार्यता देने और एक संसाधन के रूप में कार्य करने के लिये प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि ये भी महिलाओं तथा लड़कियों की सुरक्षा तथा बचाव सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार हैं।

युवाओं को वयस्कों की सहभागिता में काम करने हेतु तैयार होने के लिये नेतृत्व संबंधी गुणों को विकसित और/अथवा सुधारने की आवश्यकता होती है। नेतृत्व / लीडरशिप प्रशिक्षण युवाओं को समय के सही प्रबंधन, एक टीम के रूप में काम करने, लक्ष्य निर्धारित करने, बातचीत शुरु करने, बैठकें आयोजित करने तथा प्रभावी प्रस्तुतीकरण करने के लिये तैयार करता है। युवाओं में बातचीत का बुनियादी कौशल विकसित कीजिये और उन्हें चर्चायें छेड़ने का तरीका सिखाइये।

वयस्कों के साथ पूरी तरह से भाग लेने के लिये युवाओं को, जिस पर काम करना है, उस समस्या, चुनौती अथवा मुद्दे का वयस्क दृष्टिकोण, वह खास शब्दावली जो वयस्क अपने काम के लिये प्रयोग करते हैं और वह रणनीतियां जो वे अपने काम में अपनाते हैं, अच्छी तरह से मालूम होने चाहियें। इस प्रकार, मूल समूह को एक प्रशिक्षण से गुज़रने और उन अवधारणा तथा मुद्दों की एक आम समझ विकसित करने की भी आवश्यकता होती है, जो वे अपने–अपने समुदायों तथा संस्थानों को ज़िम्मेदार बनाने के लिये उनके सामने उठाने वाले हैं।

गतिविधियों से युवा लीडरों के बीच एक स्वामित्व की भावना आ जानी चाहिये और उनके भीतर इतना आत्म–विश्वास पैदा हो जाना चाहिये, कि वे एक साथ मिलकर काम कर सकें।

जिन मुद्दों पर मूल समूह को प्रशिक्षित किया जा सकता है, उनमें से कुछ हैं :

- लिंग आधारित भेदभाव (आयाम, प्रभाव तथा परिणाम)
- महिलाओं तथा लड़कियों पर होने वाली हिंसा, जेंडर आधारित भेदभाव के जड़ के रूप में
- स्थानीय शासन तथा प्रशासन
- अधिकारों को समझना तथा बढ़ावा देना (अध्ययन सामग्री संख्या 9 देखें)
- अभियान प्रबंधन

अध्याय 3 : चरण 2

युवा–संचालित सामुदायिक कार्य

समय : 4 से 6 महीने

परिणाम : समाज युवाओं द्वारा जागरूक किया जाता है। युवा जागरूकता पैदा करते हैं, अपने आस–पड़ोस तथा समुदायों में महिलाओं तथा लड़कियों पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने की माँग करते हैं और इसके लिये आवश्यक कदम उठाते हैं।

गतिविधियाँः

3.1 समुदाय से समर्थन हासिल करना

अब तक आप युवा लीडरों के क्षमता विकास में काफ़ी प्रगति कर चुके होंगे। यह बेहद ज़रूरी है, कि यह पहल सबकी नज़र में आये और युवाओं द्वारा संचालित तथा उनका अपना प्रयास लगे।

युवा लीडर अपने परिवार के सदस्यों तथा बड़े–बूढ़ों को इस कार्यक्रम और महिलाओं पर होने वाली हिंसा के मुद्दे के बारे में बताने से शुरुआत कर सकते हैं। उन्हें युवा समूह की बैठकों तथा लीडरशिप ट्रेनिंग (नेतृत्व प्रशिक्षण) सत्रों में हुई चर्चाओं के बारे में घर में बात करने के लिये प्रोत्साहित कीजिये।

इस मुद्दे के लिये सामुदायिक समर्थन हासिल करने के लिये छोटी–छोटी सामुदायिक बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं। कभी–कभार किसी और उद्धेश्य से आयोजित की गई बैठक के अन्त में इस मुद्दे को पेश करना भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिये, महिलाओं के स्वयं–सेवी समूह की बैठक में कुछ युवा लीडर लड़कियाँ, महिलाओं पर होने वाली हिंसा के मुद्दे को प्रस्तुत कर सकती हैं।

युवा लीडरों को उन अधिकारियों तथा संस्थानों के साथ भी मिलना शुरु कर देना चाहिये, जो संस्थानों तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार हैं। युवाओं को सावधान कर दें, कि घर, समुदाय तथा संस्थान में चर्चा के लिये यह मुद्दा उठाये जाने पर उनका विरोध हो सकता है। 'लीडरशिप हैंड–होल्डिंग' सत्रों में इस तरह के विरोध का सामना पूरी गरिमा तथा आत्म–विश्वास के साथ करने हेतु साथी समूह के समर्थन को भी शामिल किया जा सकता है।

3.2 प्रमुख हितधारियों, सहयोगियों तथा सहभागियों की पहचान करना

यह बिल्कुल स्पष्ट है, कि कदम बढ़ाते चलो एक युवा संचालित पहल है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अन्य हितधारियों से सहभागिता करना भी महत्वपूर्ण है, जो इस पहल को प्रभावित तथा प्रोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं? हितधारी वे सभी लोग हैं, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समाज में महिलाओं पर होने वाली हिंसा की रोकथाम से जुड़े हैं। मुख्य उद्धेश्य है, समाज के हित के लिये सहयोग देने हेतु उनकी सहमति प्राप्त करना। इन हितधारियों से जुड़ने और इनका समर्थन प्राप्त करने से भविष्य में गतिविधियाँ आयोजित करने में और संस्थानों की ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

- समर्थकों तथा सहभागियों का पता लगाने हेतु युवा का दिशा–निर्देशन कीजिये। ये किस आधार पर निर्धारित किये जा सकते हैं ?
- उनसे पूछिये कि किस तरह वे इन निर्धारित हितधारियों से सहभागिता कर सकते हैं।
- किस तरह वे इन निर्धारित हितधारियों / सहभागियों से इस पहल के प्रति वचनबद्धता हासिल कर सकते हैं? उदाहरण के लिये, युवा उनमें से कुछ को अपनी युवा समूह या मूल समूह की बैठकों में आमंत्रित करने पर विचार कर सकते हैं।

कुछ संभावित हितधारक

पंचायतें (गाँवों में) तथा मोहल्ला सभायें (कस्बों तथा शहरों में)

हमारे गाँवों में पंचायतों के प्रमुख कार्य तथा भूमिकायें क्या होती हैं? हम पंचायत को गाँवों में शासक निकाय (Governing bodies) के रूप में देखते हैं। पंचायतें फैसला करती हैं। वे नियमित अंतराल पर बैठक करती हैं, उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चायें करती हैं, जिनका सामना संबद्ध समुदायों द्वारा किया जा रहा हो, उनका समाधान निकालती हैं और उन समाधानों को कार्यान्वित भी करती हैं। वे उन्हें न्याय दिलाते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ हो। शहरों तथा कस्बों में मोहल्ला सभायें होती हैं, जो सामुदायिक निकाय होते हैं और बचाव तथा सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने के लिये नगर–निगम/नगरपालिका पर दबाव बना सकते हैं। गाँवों में पंचायत / मोहल्ला में वार्डों के समर्थन के साथ की जाने वाली सभी प्रमुख गतिविधियाँ अधिक प्रभावशाली होंगी।

पुलिस स्टेशन

पुलिस के प्रमुख कार्य क्या हैं? अगर आपके इलाके में कोई अपराध होता है, तो आप शिकायत दर्ज कराने कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन। पुलिस हमारे समुदायों में कानून लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे समुदायों को निर्भय तथा सुरक्षित रखना पुलिस का काम है। केवल महिला पुलिस स्टेशन भी हैं, जो विशिष्ट रूप से महिलाओं पर होने वाली हिंसा से जुड़े मामले देखते हैं।

चुने गये प्रतिनिधि

चुने गये प्रतिनिधि (सरपंच, पार्षद, विधान सभा सदस्य, संसद सदस्य) नीतियों पर प्रभाव डालते हैं और उन मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने में मदद करते हैं, जो समुदाय के लिये महत्वपूर्ण हों। प्रभावशाली प्रतिनिधि लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और लोगों द्वारा उठाये गये मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करते हैं।

शिक्षण संस्थान

युवा हाई स्कूल तथा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान काफी समय बिताते हैं। इसलिये शिक्षण संस्थानों की यह ज़िम्मेदारी बनती है, कि वे युवाओं को स्थान उपलब्ध करायें, जिससे वे तनाव–मुक्त वातावरण में पढाई कर सकें, खेल सकें। इस प्रकार शिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करने का भी दायित्व लेना चाहिये, कि उनके परिसर सुरक्षित हों, सभी विद्यार्थी बिल्कुल सुरक्षित हों। उन्हें संस्थान के बाहर, विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले सार्वजनिक परिवहन में और अध्यापकों के साथ भी विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने सामाजिक दायित्व का अहसास भी होना चाहिये।

समुदाय आधारित संगठन

समुदाय आधारित संगठन सड़क निर्माण, शौचालय निर्माण, स्ट्रीट लाइट तथा आय उत्पत्ति कार्यक्रमों से लेकर कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं पर हिंसा इत्यादि जैसे मुद्दों तक कई विभिन्न मुद्दों पर कई लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। समुदाय के वे सदस्य, जो स्वयं–सेवी समूहों से ताल्लुक रखते हैं या समुदाय आधारित संगठनों में काम करते हैं, वे अपनी बैठकों में महिलाओं तथा लड़कियों पर होने वाली हिंसा का मुद्दा उठा कर तथा इस पर चर्चा करके इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

3.3. पार्टिसिपेट्री सेफ़्टी ऑडिट करना (**PSA**)

सार्वजनिक स्थानों, जैसे शिक्षण संस्थान, सड़कें, खेल के मैदान, बाज़ार, बस स्टैंड इत्यादि में यौन उत्पीड़न, छेड़–छाड़, बलात्कार तथा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार इस तरह से लड़कियों तथा महिलाओं के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, कि यह लगभग ''सामान्य'' सी बात लगती है। असुरक्षित सार्वजनिक स्थान स्कूलों, काम करने की जगहों तथा मनोरंजक गतिविधियों में हिस्सा लेने की महिलाओं की स्वतन्त्रता को सीमित कर देते हैं। कभी–कभी तो पानी तथा स्वास्थ्य सेवाओं जैसी ज़रूरी सेवायें ले पाना भी उनके लिये मुश्किल हो जाता है। निर्धारित समुदाय में मौजूद इस मुद्दे का दायरा समझना बेहद ज़रूरी है। क्या हम अपने इलाके के सभी सुरक्षित तथा असुरक्षित स्थानों के बारे में जानते हैं?

पार्टिसिपेट्री सेफ़्टी ऑडिट आपके किसी इलाके के सभी सुरक्षित तथा असुरक्षित स्थानों को अंकित करने में मदद करता है। यह इन स्थानों पर लड़कियों की सुरक्षा संबंधी मुद्दों, इन स्थानों में रह रहे लोगों के रवैये तथा मानसिकता तथा महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों की एक स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध कराता है। युवा, खासतौर से लड़कियों को अपने माहौल तथा सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी होती है और इन्हें उपयुक्त जानकारी साझा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

पार्टिसिपेट्री सेफ़्टी ऑडिट का उद्धेश्य

- समुदाय के सदस्यों के रवैये को समझना
- मौहल्ले, गाँव, स्कूल, कॉलेज इत्यादि में सुरक्षित तथा असुरक्षित समझे जाने वाले स्थानों के प्रकार को समझना
- असुरक्षा के मुद्दे पर स्थानीय तथा संदर्भ विशेष के अनुरूप समाधानों को प्रोत्साहन देना
- मौजूदा रवैये तथा धारणाओं को बदलने तथा असुरक्षित स्थानों को सुरक्षित बनाने हेतु चलाये जाने वाले अभियान के लिये उचित रणनीति विकसित करना

निम्न कदम उठायें (स्टेप्स)

1. टीम बनायें
   टीम में निम्न लोग होने चाहियें:
   - टीम लीडर, जो एक संचालक या इंटरव्यू लेने वाले की भूमिका निभा सके
   - दो डॉक्यूमेंटर, जो सभी चर्चाओं का ब्यौरा रखेंगे
   - एक ऑब्ज़र्वर, जिसका काम रिपोर्ट लिखने का होगा

2. शुरुआती फील्ड विज़िट
   स्कूल/कॉलेज प्रमुख, सामुदायिक नेता इत्यादि जैसे संबंधित अधिकारी से अनुमति पाने के लिये फील्ड का एक शुरुआती दौरा करें और समुदाय की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें।

3. ओरिएन्टेशन वर्कशॉप
   कार्यक्रम का आधार ग्रहण करवाने तथा इसकी योजना निर्धारित करने हेतु चुने गये प्रतिनिधियों, सामुदायिक नेताओं, शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों तथा संचालक दलों (लड़के तथा लड़कियाँ दोनों) के साथ कार्यक्रम के उद्धेश्य और इसके लिये जो विधियाँ तथा प्रक्रियायें अपनाई जायेंगी, उन पर चर्चा करने के लिये एक औपचारिक बैठक करें। इस वर्कशॉप

का प्रमुख उद्धेश्य एक आम समझ पैदा करना होगा। ओरिएन्टेशन वर्कशॉप में मोटे तौर पर निम्न बातें आ जानी चाहियें:

- यह समुदाय/स्कूल/कॉलेज के लिये क्यों आवश्यक है?
- क्या प्रक्रियायें तथा कदम होंगे?
- टीम के विभिन्न सदस्यों की भूमिका

4. खाका तैयार करना (**Mapping Exercise**)

पुरुषों तथा लड़कों के लिये वास्तविकतायें महिलाओं तथा लड़कियों से भिन्न होती हैं। लड़के तथा लड़कियों के अपने–अपने अनूठे अनुभव पाने के लिये उनके अलग–अलग समूह बनाये जाने चाहियें। सभी समूहों से मानचित्र (गाँव, मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज इत्यादि) पर उपयुक्त मूड स्टिकर की सहायता से उनके गाँव, स्कूल या विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिये सुरक्षित, असुरक्षित तथा कुछ हद तक सुरक्षित स्थानों की पहचान करने को कहा जाये।

- *प्रसन्न मूड का स्टिकर सुरक्षित स्थानों को अंकित करने हेतु।* ये वे स्थान हैं, जहाँ लड़कियों को अकेले जाने में भी कोई परेशानी नहीं होती। इन स्थानों पर होने में उन्हें डर का कोई अहसास नहीं होता।
- *उदास मूड का स्टिकर असुरक्षित स्थानों को अंकित करने हेतु।* असुरक्षित स्थान वे स्थान हैं, जहाँ लड़कियाँ दिन हो या रात, अकेले हों या समूह में वहाँ जाने से डरती हैं। इन स्थानों पर होने में उन्हें, डर, तनाव तथा अप्रसन्नता का अहसास होता है।
- *सामान्य मूड का स्टिकर उन स्थानों को अंकित करने हेतु, जो कभी तो सुरक्षित हैं, लेकिन कभी असुरक्षित।* ये वे स्थान हैं, जहाँ लड़कियाँ अपनी सहेलियों के समूह के साथ या अपनी माँ के साथ जा सकती हैं। हालांकि, वे अकेले इन स्थानों पर नहीं जायेंगी।

5. केंद्रित सामूहिक चर्चायें

केंद्रित सामूहिक चर्चाओं में सदस्य लड़कियों तथा महिलाओं की सुरक्षा/सुरक्षा की कमी से संबंधित जानकारी तथा रवैये को स्पष्ट करने के लिये अपने स्वयं के पिछले अनुभव साझा करते हैं। ध्यान रहे, कि विभिन्न प्रकार के समूहों – पुरुष, महिलायें, लड़कियाँ तथा लड़के – के लिये अलग–अलग सामूहिक चर्चायें आयोजित की जायें।

चर्चायें निम्न विषयों पर केंद्रित होनी चाहियें:

- पुरुषों, महिलाओं, लड़कों तथा लड़कियों के व्यवहार तथा रवैये को समझना
- सुरक्षित/असुरक्षित स्थानों के मानचित्रण से पैदा हुये मुद्दों को बारीकी से समझना

6. समीक्षा एवं विश्लेषण

मूल समूह द्वारा भविष्य के लिये योजनायें तैयार करने के लिये यह एक निर्णायक चरण है। इस चरण में, सुरक्षित/असुरक्षित स्थानों के मानचित्रण तथा केंद्रित सामूहिक चर्चा से प्राप्त जानकारी का मिलान तथा विश्लेषण किया जाता है। संचालक दल तथा युवा समूहों के सदस्य मानचित्रण से प्राप्त आँकड़ों की समीक्षा तथा विश्लेषण और केंद्रित सामूहिक चर्चाओं को समझने में सहायता प्रदान करें।

सभी मानचित्रों तथा रेखा–चित्रों, जो कागज़/चार्ट या फोटोग्राफ़ के रूप में दर्ज किये गये हैं, को दीवार पर प्रदर्शित कीजिये।

भागीदारों को प्रोत्साहित करें, कि वे इस अध्ययन के परिणामों को वर्गीकृत करें और एक या दो ऐसे मुद्दे बतायें, जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
प्रतिक्रियाओं तथा चर्चाओं का ब्यौरा रखिये।

3.4 सेफ़्टी ऑडिट के परिणाम साझा करना

सेफ़्टी ऑडिट से प्राप्त परिणामों को समुदाय के साथ साझा करना बेहद ज़रूरी है। इस ऑडिट के परिणामों को ग्राम पंचायत के सरपंच या वॉर्ड काउंसिलर और अन्य हितधारियों, जिनकी पहचान ऊपर चरण 2 में की गई है, के साथ भी बाँटा जाना चाहिये। इन्हें किसी ऐसे सार्वजनिक आयोजन में घोषित किया जा सकता है, जिसकी अध्यक्षता नगर–निगम/वार्ड/पंचायत के प्रमुख द्वारा की जा रही हो।

जिस बैठक में सेफ़्टी ऑडिट के परिणामों को साझा किया गया है, यदि उसी बैठक में संस्थागत हितधारियों द्वारा इस मुद्दे पर, एक निश्चित समय के भीतर ठोस कदम उठाने का फैसला ले लिया जाता है, तो यह बेहद फायदेमंद रहेगा। सार्वजनिक मंच पर लिये गये निर्णय / उठाये गये कदम काफ़ी ज़िम्मेदारी भरे होते हैं, क्योंकि समुदाय बाद में इन वायदों को पूरा करने की माँग कर सकता है।

फील्ड से प्राप्त अनुभव

प्रिया ने सोनीपत के 20 गाँवों में पार्टिसिपेट्री सेफ़्टी ऑडिट कराया। जब ऑडिट पूरा हो गया, तो संचालक दल तथा युवा समूहों द्वारा इसके परिणामों का विश्लेषण किया गया। इन परिणामों को समुदाय के सरपंच के साथ साझा किया गया।

जिन गाँवों में सेफ़्टी ऑडिट कराया गया, उन सभी के सरपंचों ने शपथ ली, कि वे अपने गाँवों को हिंसा–मुक्त बनाने के लिये गाँव के युवाओं के साथ निकट से कार्य करेंगे।

इन परिणामों को साझा करने के लिये सभी गाँवों के सरपंचों द्वारा विशेष ग्राम सभा बुलाई गई। रेहमाना गाँव में, सरपंच ने वादा किया कि वह शराब की सभी दुकानें बंद करवा देगा। जब वह अपना वादा पूरा कर पाने में असफल रहा, तो समुदाय के वयस्क सदस्यों ने यह मामला सरपंच के सामने उठाया।

सेफ़्टी ऑडिट के परिणाम, माँगों के एक 10 प्वाइंट चार्टर / घोषणा पत्र के साथ मिलाये गये और हरियाणा में वर्ष 2014 के राज्य स्तर के विधान सभा चुनावों के दौरान युवा लीडरों ने इसे 11 निर्वाचन क्षेत्रों में 8 राजनीतिक दलों के 23 उम्मीद्वारों और दो निर्दलीय उम्मीद्वारों के सामने प्रस्तुत किया। चार्टर में निम्न बातें थीं :

- राज्य में महिलाओं तथा लड़कियों के लिये सुरक्षा नीतियाँ बनाना
- पंचायत स्तर पर युवा हिंसा निगरानी समूह का गठन
- राज्य में सेफ़्टी ऑडिट संस्थागत किये जायें
- गाँवों तथा शिक्षण संस्थानों में महिला कॉंस्टेबलों की तैनाती
- पूरे गाँव में स्ट्रीट लाइट लगाना और रिहाइशी इलाकों तथा शिक्षण संस्थानों के आस–पास शराब की दुकानों पर रोक
- स्कूलों के पाठ्यक्रम में जेंडर को शामिल किया जाये
- यह सुनिश्चित करना कि संस्था तथा राज्य स्तर पर आंतरिक शिकायत समितियों तथा स्थानीय शिकायत समितियों का गठन किया जाये
- भद्दे गाने रिलीज़ किये जाने पर कड़ी रोक
- सभी जिलों में एक वन–स्टॉप बलात्कार संकट केंद्र की स्थापना

दोनों विश्वविद्यालयों (ओ.पी. जींदल यूनिवर्सिटी तथा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय) के छात्रों ने सेफ़्टी ऑडिट के परिणाम अपनी फैकल्टी के साथ बाँटे और इससे पैदा हुये मुद्दों को संबद्ध प्राधिकरणों के सामने पेश किया। दोनों ही विश्वविद्यालयों में यौन उत्पीड़न विरोधी समिति का गठन फिर से किया गया।

3.5 जागरूकता पैदा करने हेतु अभियान

सेफ़्टी ऑडिट से सामने आये परिणामों पर ही महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने और महिलाओं तथा लड़कियों के बचाव तथा सुरक्षा के मुद्दे को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता अभियान (कैम्पेन) आधारित होगा।

महिलाओं तथा लड़कियों पर हिंसा कोई नया विषय नहीं है और इससे जुड़ी कई चुनौतियाँ विश्व भर में सुनने को मिलती हैं। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है, कि हो सकता है, जिस क्षेत्र में परियोजना चलाई जा रही है, वहाँ की सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थितियाँ किशोरियों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रखती हों। अभियान इस तरह से तैयार किया जाये, कि यह उस क्षेत्र विशेष की चुनौतियों को संबोधित कर सके।

जानकारी का वितरण और ऐसा करने के लिये विशेष रणनीति युवा लीडरों की मुख्य भूमिका होगी। अभियान के प्रयासों का नेतृत्व मूल समूह द्वारा किया जाना चाहिये, जिसे परियोजना की टीम द्वारा समर्थन दिया जाये। अभियान रणनीति की योजना तथा कार्यान्वयन युवाओं द्वारा किये गये बेसलाइन (आधार–रेखा) अध्ययन पर आधारित होना चाहिये। मूल समूह तथा इसकी टीमों को तकनीकी तथा व्यावसायिक समर्थन प्रदान किया जा सकता है।

किसी योजना के प्रभावी ढंग से तैयार होने के लिये यह आवश्यक है, कि यह क्रमानुसार होनी चाहिये और इसमें क्या, कब, क्यों, कैसे और किसके लिये जैसे प्रश्न स्पष्ट रूप से संबोधित किये गये होने चाहियें। इस तरह की योजना स्पष्ट दिशा प्रदान करती है।

किसी भी अभियान की योजना में निम्न प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर होने चाहियें:

1. अभियान क्यों चलाया जा रहा है? अभियान का उद्धेश्य क्या है? अभियान से किन परिणामों की अपेक्षा की जाती है?
2. अभियान में क्या–क्या गतिविधियाँ चलाई जायेंगी? इसमें वे सभी प्रक्रियायें आ जानी चाहियें, जो आवश्यक जानकारी वितरित करने हेतु प्रयोग की जाने वाली हैं।
3. अभियान कब शुरु किया जाने वाला है? इससे अभियान का समय और अवधि स्पष्ट पता लगनी चाहिये।
4. गतिविधि किस जगह पर होने जा रही है? इसमें भौगोलिक सीमा के भीतर कवरेज क्षेत्र स्पष्ट पता लगना चाहिये।
5. गतिविधियाँ कौन आयोजित करेगा?
6. अभियान किस तरह से चलाया जायेगा? इसमें क्रमवार ढंग से पूरी प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिये।
7. अभियान किसके लिये चलाया जा रहा है?

आयोजनों का एक कैलेंडर तैयार कीजिये। आप उन दिनों पर समारोह आयोजित कर सकते हैं, जो स्थानीय समुदाय के लिये महत्वपूर्ण हैं, जैसे कृषि मेले, धार्मिक दिन इत्यादि।

योजना बहुत दृढ़ नहीं होनी चाहिये। लचीलापन सफलता की कुँजी है। लचीलेपन से यह सुनिश्चित हो जाता है, कि अभियान को ज़्यादा असरदार बनाने के लिये यदि कुछ परिवर्तन करने पड़ें, तो तुरंत कर लिये जायें।

बजट तैयार करना हर गतिविधि का एक अहम् हिस्सा है। हर समारोह पर होने वाले विभिन्न खर्चों का हिसाब लगाने में मूल समूह की मदद कीजिये और उसके अनुसार बजट तैयार कीजिये। उन्हें हर गतिविधि निर्धारित बजट तथा समय के

भीतर ही सम्पन्न करनी चाहिये। स्थानीय दुकानों तथा कम्पनियों से स्पॉन्सरशिप लेने के अलावा, जिन हितधारियों के साथ आपने सहभागिता की है, उसने स्पॉन्सर करने को कहें। इससे समारोह की लागत निकालने में मदद मिलेगी।
कुछ नियोजित गतिविधियाँ (जैसे वॉकाथॉन, साइकिल रैलियाँ इत्यादि) शरीर को थका देने वाली हैं। इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, कि यदि बजट हो तो भाग लेने वालों के लिये पीने का पानी और कुछ जलपान की व्यवस्था भी कर दी जानी चाहिये। अभियान के लिये सामग्री – जैसे बैनर, पोस्टर, चित्र तथा ग्राफिक्स, गीत, नारे तथा वीडियो – तैयार करने के लिये समुदाय तथा कॉलेज के युवा लड़के–लड़कियों के मिले जुले समूहों के साथ स्थानीय स्तर की वर्कशॉप आयोजित करें। यह सामग्री सभी हितधारियों तथा लक्ष्य क्षेत्रों के लिये उपयुक्त होगी।

- भाग लेने वालों को 3–4 के समूहों में बाँटें। उन्हें समझायें कि वे अभियान के लिये स्वयं सामग्री तैयार करने के लिये एक साथ मिलकर काम करेंगे।
- समूह मिलकर यह तय करेंगे, कि वे क्या तैयार करना चाहते हैं, क्या चीज़ उनके जीवन, दूसरों के जीवन, उनके समाज और दुनिया पर प्रभाव डालती है।
- हर समूह अपने स्वयं के शीर्षक चुन सकता है या फिर समूह निम्न चार में से किसी एक शीर्षक से चुन सकते हैं:
    - लड़के–लड़कियों में समानता को बढ़ावा
    - लड़कियों के लिये सुरक्षा बढ़ायें
    - कम उम्र में शादी को बंद की जायें
    - लड़कियों को स्कूल में पढ़ते रहने के लिये प्रोत्साहित करें
- समूह चुने हुये शीर्षक के आधार पर पोस्टर, फ्लायर, कविता, नारा, ऑडियो रिकॉर्डिंग अथवा वीडियो, कुछ भी तैयार कर सकता है।

फील्ड से प्राप्त अनुभवः सोनीपत में मूल समूह

फील्ड से प्राप्त अनुभवः सोनीपत में मूल समूह (कोर ग्रूप)

1. आप यह अभियान क्यों चला रहे हैं?

मूल समूह (कोर ग्रूप) को इस पहल के उद्धेश्य की बिल्कुल स्पष्ट समझ थी। वे यह अभियान अपने समुदाय तथा निर्धारित हितधारियों को यह संदेश देने के लिये चला रहे थे, कि लड़कियों तथा महिलाओं पर होने वाली हिंसा उन्हें स्वीकार नहीं, यह एक सामाजिक समस्या है और इस पर सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है।

2. आप यह अभियान किसके लिये चला रहे हैं?

मूल समूह – जिसमें ग्रामीण तथा शहरी, दोनों ही समुदायों के युवा थे – ने तय किया कि उनका लक्ष्य उनके अपने–अपने समुदाय के लोग तथा अपने–अपने स्कूल–कॉलेज के लड़की, लड़के, पुरुष तथा महिलायें होंगे।

3. आप गतिविधियाँ कब शुरु करना चाहते हैं?

मूल समूह के सदस्यों ने विभिन्न समुदाय के विभिन्न सदस्यों, स्कूल–कॉलेजों के प्रमुखों, स्थानीय पुलिस स्टेशन इत्यादि से बातचीत की और इस बातचीत के आधार पर उन्होंने एक ऐसा समय तय किया, जब विभिन्न स्थानों पर गतिविधियाँ की जा सकती थीं। समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर समारोह तय किये गये, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिये थी, कि स्थानीय समारोह सुविधाजनक समय पर हों। इन्होंने स्कूल/कॉलेज की छुट्टियाँ, कृषि गतिविधियाँ इत्यादि ध्यान में रखते हुये आयोजनों के लिये समय तय किया।

4. आप गतिविधि कहाँ आयोजित करना चाहते हैं?

समुदाय के बड़े–बूढ़ों (पुरुष तथा महिलायें) और शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों के साथ नियमित रूप से मिलकर यह तय किया गया, कि अभियान उन गाँवों में, जिनसे युवा समूह के सदस्य संबंध रखते हैं, तथा एक शिक्षण संस्थान में चलाया जायेगा।

5. आपकी कौन–कौन सी गतिविधि आयोजित करने की योजना है?

युवाओं का स्वयं को अभिव्यक्त करने का अपना तरीका होता है, चाहे यह आर्ट हो, कविता हो, नाटक हो या संगीत। इन बातों को ध्यान में रखते हुये, योजना तैयार करते समय मूल समूह द्वारा अभियान के तरीके बहुत ध्यान से चुने गये थे। तय किया गया, कि अलग–अलग गाँवों में अलग–अलग गतिविधियाँ आयोजित की जायेंगी। ऑनलाइन अभियान भी योजना में था। इन्होंने सभी आयोजनों की तारीखों के साथ एक सूची तैयार की और इसे प्रमुख स्थानों पर लगाने के अलावा, सभी गाँव वालों में भी बाँटा गया।

6. गतिविधियाँ कौन आयोजित करेगा?

जब आयोजनों की योजना तैयार हो गई, तो मूल समूह के अलग–अलग सदस्य को हर आयोजन की ज़िम्मेदारी दी गई। उन्हें ही समुदाय के लोगों से बातचीत करनी थी और उन्हें तैयार करना था। समूह ने इस पर भी विचार किया, कि विभिन्न समारोहों के लिये उचित मुख्य अतिथि कौन रहेंगे और उन्हें आयोजन में आमंत्रित करने की ज़िम्मेदारी भी बाँट दी गई।

इन समारोहों के आयोजनों में पुलिस, चिकित्सा तथा न्यायिक सेवाओं, पंचायत, स्कूल तथा समुदाय के निर्धारित हितधारियों को शामिल कीजिये।

हर समारोह के लिये मुख्य अतिथि को काफी पहले से ही निमंत्रित कर दिया जाना चाहिये। मुख्य अतिथि ऐसे व्यक्ति होने चाहियें, जो समाज को बदलने में प्रेरक साबित हों, जैसे चुने गये प्रतिनिधि, पुलिस थानों के प्रमुख, शिक्षण संस्थानों के प्रमुख, प्रसिद्ध वकील, मीडिया के व्यक्तित्व इत्यादि। ये भीड़ आकर्षित करने का काम भी करेंगे, जिससे आपका आयोजन सफल होगा और मीडिया कवरेज भी अच्छी मिलेगी।

समारोह आयोजित करने से पहले सभी संबद्ध प्राधिकरणों से अनुमति ज़रूर ले लें।

चूँकि, उद्धेश्य अपना संदेश फैलाना है, मीडिया कवरेज अभियान का अभिन्न अंग है। आयोजनों को कवर करने हेतु मीडिया को आमंत्रित करें। अख़बारों तथा मीडिया चैनलों के साथ सहभागिता करें। वॉलंटियर प्रेस नोट बनायें और तस्वीरें खींचे, जो बाद में मीडिया को दिये जा सकें।

जब पूरी योजना तैयार हो जाये और आयोजनों की तारीखें तय हो जायें, तो अभियान शुरु किया जा सकता है। अभियान की शुरुआत किसी विशेष दिन, पर किसी विशिष्ट मुख्य अतिथि द्वारा की जा सकती है।

अभियान की कुछ प्रस्तावित गतिविधियाँ	
गतिविधि	विवरण
दीवारों पर लिखना तथा पेंट करना	इसमें मुख्यतः युवा समूह के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक स्थानों की दीवारों पर नारे लिखना शामिल है। इस उद्धेश्य के लिये सार्वजनिक इमारतों की दीवारें, परिसर इत्यादि चुने जाते हैं। हालांकि, अनुमति प्राप्त करने के बाद आस–पास की निजी इमारतों की दीवारों को भी पेंट किया जा सकता है। गहरा लाल, हरा, नीला, काला तथा भूरा रंग चमकदार रहता है।
पोस्टर लगाना	अभियान के तहत आयोजित किये जाने वाले समारोहों की समय–सारणी के पोस्टर तैयार करके पूरे क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्रों की दीवारों पर चिपकाये जा सकते हैं।
फ़्लायर / विज्ञापन	समुदाय के सदस्यों तथा बड़े समारोह में हिस्सा लेने वाले अन्य हितधारकों में महिलाओं पर होने वाली हिंसा पर फ़्लायर बाँटे जा सकते हैं, जिनकी सामग्री तथा डिज़ाइन युवा समूहों के सदस्यों द्वारा तैयार किया गया हो। अभियान की अवधि के दौरान ये फ़्लायर घर–घर जाकर भी बाँटे जा सकते हैं।

नारेबाज़ी	फ़्लैक्सी बैनरों पर नारे लिखे तथा प्रिन्ट किये जा सकते हैं। ये बैनर साइकिल रैली, वॉकाथॉन इत्यादि जैसी अन्य गतिविधियों के दौरान भी प्रयोग किये जा सकते हैं।
साइकिल रैली	साइकिल रैली में लोग बड़े पैमाने पर समूहों में इस उद्धेश्य के लिये साइकिल चलायेंगे। लड़कियाँ तथा लड़के, लड़कियों पर साइकिल से एक साथ कहीं आने–जाने पर प्रतिबंध के मुद्दे को संबोधित करेंगे। रैली का शुरुआती तथा आख़िरी बिन्दु और इस गतिविधि के शुरु होने का समय तय करें। रैली के लिये सड़के खाली रखने में स्थानीय पुलिस का सहयोग लें। उन प्रतिभागियों के लिये साइकिल की व्यवस्था करें, जिनके पास अपनी साइकिल नहीं हैं। इसके लिये, जितने लोग रैली में साइकिल चलाने वाले हैं, उनकी संख्या का मोटा–मोटा अंदाज़ा पहले से होना चाहिये। सोनीपत के मोहाना सरकारी स्कूल की एक छोटी लड़की ने मोहाना में हुई साइकिल रैली में हिस्सा लिया और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने और उसकी सहेलियों ने तथा अन्य गाँवों की लड़कियों ने इतनी बेफ़िक्री से और लड़कों के साथ देखे जाने पर समाज के बड़े–बूढ़ों से डाँट–फटकार सुने बिना, इससे पहले कभी साइकिल नहीं चलाई थी। रैली में लगभग 100 लोग साइकिल चला रहे थे, जिनमें से 30 लड़कियाँ थीं और इनके साथ पैदल चल रहे थे, लगभग 500 लोग, जो रैली के गाँव से गुज़रने पर नारे लगा रहे थे। कई लड़कियाँ साइकिल रैली में हिस्सा नहीं ले सकीं, क्योंकि उन्हें साइकिल चलानी ही नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें सीखने का अवसर कभी दिया ही नहीं गया।
वॉकाथॉन	वॉकाथॉन किसी उद्धेश्य के लिये बड़े–बड़े समूहों में पदयात्रा करने को कहा जाता है।

	इस तरह के आयोजनों में भीड़ के प्रबंधन तथा समर्थन के लिये बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स की आवश्यकता होती है। युवा समूह के सदस्यों, स्कूल तथा कॉलेज के स्टाफ, पंचायत के सदस्य तथा पुलिस को वॉलंटियर करने को कहा जा सकता है। वॉकाथॉन का शुरुआती तथा समाप्ति बिन्दु तय करें। साथ ही इस गतिविधि को शुरु करने का समय भी तय करें। सोनीपत जिले में, अभियान का लॉच समारोह 3 किलोमीटर लम्बी एक यात्रा थी, जो पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं तथा जिला विधि सेवाओं के साथ मिलकर सोनीपत शहर के बिल्कुल बीचों–बीच की गई। हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय, महिला तथा बाल विकास मंत्री सुश्री कविता जैन ने वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाई और एक निजी संकल्प पर हस्ताक्षर किये। वॉकाथॉन में 1500 से भी अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। वॉकाथॉन के हिस्से के रूप में लड़कियों ने मोटरसाइकिल तथा ट्रैक्टर भी चलाये।
नुक्कड़ नाटक	नुक्कड़ नाटक स्थानीय समुदायों में विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने का एक प्रभावी ज़रिया हैं। किसी स्थानीय थिएटर ग्रुप से सम्पर्क करके महिलाओं तथा लड़कियों पर होने वाली हिंसा पर एक नुक्कड़ नाटक तैयार कर इसका मंचन किया जा सकता है। इसमें युवाओं के अनुभवों और सेफ़्टी ऑडिट के परिणामों तथा केंद्रित सामूहिक चर्चाओं से प्राप्त जानकारी को भी सम्मिलित किया जा सकता है। जयपुर में प्रिया ने राजस्थान विश्वविद्यालय के नाटक विभाग के साथ मिलकर, एक महीने भर लम्बी थिएटर वर्कशॉप आयोजित करने तथा एक नुक्कड़ नाटक तैयार करने हेतु, थिएटर आर्टिस्ट तथा ट्रेनर – बबीता मदान को नियुक्त किया। 11 से 17 वर्ष तक की आयु वाले 30 बच्चों ;15 लड़के तथा 15 लड़कियों ने वार्ड 62 में आयोजित की गई इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। इसके बाद वार्ड काउंसिलर के दफ़्तर के

	सामने इन बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। जयपुर में अभियान के दौरान दिल्ली के एक थिएटर ग्रुप *अस्मिता* ने 'दस्तक' नाम का एक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया।
फिल्म स्क्रीनिंग	महिलाओं तथा लड़कियों पर होने वाली हिंसा पर शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग भी समुदाय में चर्चाओं को बढ़ावा देने का एक अच्छा तरीका है। जयपुर 5 वार्डों, चार स्कूलों तथा दो कॉलेजों में अनुराग कश्यप की शॉर्ट फिल्म 'दैट डे आफ्टर एवरीडे' की स्क्रीनिंग की गई, जिसके दर्शकों में लड़के–लड़कियाँ, महिलायें तथा पुरुष सभी शामिल थे। फिल्म की स्क्रीनिंग ने फिल्म में दिखाये गये हिंसा के विभिन्न रूपों पर चर्चा को बढ़ावा दिया।
साहित्यिक आयोजन	एक साहित्यिक आयोजन युवाओं को महिलाओं तथा लड़कियों पर हिंसा के मुद्दे पर अपनी कवितायें तथा कथायें साझा करने हेतु मंच उपलब्ध कराता है। चूँकि, इस आयोजन में वक्ता को सुनने के लिये भीड़ मौजूद होती है, यह सुनिश्चत करें, कि यह बाहर खुले में न आयोजित किया जाये या यदि बाहर खुले में आयोजित किया जाये, तो यह सुनिश्चित कर लें, कि स्टेज पर उपयुक्त साउंड सिस्टम हो। इस तरह के आयोजनों में भीड़ के प्रबंधन तथा समर्थन के लिये बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स की आवश्यकता होती है। युवा समूह के सदस्यों, स्कूल तथा कॉलेज के स्टाफ, पंचायत के सदस्य तथा पुलिस को वॉलंटियर करने को कहा जा सकता है। सोनीपत के रेहमाना गाँव में आयोजित किये गये एक–दिवसीय साहित्यिक आयोजन में 200 से भी अधिक युवाओं तथा समुदाय के सदस्यों ने महिलाओं पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने के मुद्दे पर कथायें, कवितायें तथा निबंध पेश किये। वरिष्ठ पुरुषों ने सरपंच से सवाल किया, कि उसने गाँव में शराब

	की दुकाने बंद करने की जो शपथ ली थी उसका क्या हुआ। 30 से भी अधिक पुरुष तथा महिलाओं ने अपने गाँव से शराब की दुकानें हटाने की याचिका पर हस्ताक्षर किये। इस याचिका की एक प्रति जिला प्राधिकरणों के पास ले जाने के लिये युवा समूहों को दी गई।
कला उत्सव / आर्ट फेस्टिवल	आर्ट फैस्टिवल में किसी दिये गये शीर्षक पर कला प्रदर्शन शामिल होता है, जैसे नारे लिखना, कवितायें लिखना, दीवारें पेंट करना, चित्र बनाना इत्यादि। फैस्टिवल का स्थान तय कर लें। सुनिश्चित करें, कि कार्यक्रम को बिना किसी परेशानी के चलाने हेतु आपके पास वॉलंटियर्स पर्याप्त संख्या में हों। इसमें मुख्यतः सार्वजनिक स्थानों की दीवारों पर कला का प्रयोग करके नारे लिखना तथा अभिव्यक्तियों के चित्र बनाना शामिल होता है। आस–पास के क्षेत्रों में कुछ निजी इमारतों की दीवारों को भी पेंट किया जा सकता है। सोनीपत में हुये आर्ट फैस्टिवल में लड़कियों के साथ–साथ लड़कों ने भी लैंगिक भेदभाव, छेड़छाड़ तथा मादा भ्रूण हत्या पर अपने विचार व्यक्त किये।
खेल दिवस	चूँकि, खेल दिवस आयोजित करने के लिये एक बड़े मैदान की आवश्यकता होगी, इस उद्धेश्य से किसी शैक्षिक संस्थान के साथ मिलकर काम करने और इस तरह के आयोजन के लिये उनकी जगह इस्तेमाल करने में समझदारी होगी। युवाओं को शैक्षिक संस्थान के प्रमुख के साथ इस बात पर चर्चा करनी चाहिये और आयोजन करने के लिये अनुमति लेनी चाहिये। समूह को खेले जाने वाले खेलों की सूची तैयार कर लेनी चाहिये। भाग लेने वाले छात्रों ,लड़के तथा लड़कियाँ, दोनों की संख्या का भी अनुमान लगा लेना

	चाहिये। सोनीपत में किये गये सेफ़्टी ऑडिट के दौरान लड़कियों ने बताया, कि उन्होंने कभी खेला नहीं है, क्योंकि उन्हें, स्कूल जाने के अलावा, घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। वो चाहती हैं, कि काश! वे भी सुरक्षित वातावरण में खेल सकतीं। भारत सरकार के *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ* अभियान के समर्थन में भगत फूल सिंह महिला कॉलेज के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी में एक स्पोर्ट्स कार्निवल आयोजित किया। आयोजन में 400 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 270 प्रतिभागी उन 20 गाँवों से थे, जहाँ अभियान चलाया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।
सांस्कृतिक उत्सव	सांस्कृतिक उत्सव एक ऐसा मंच है, जहाँ लोग एक साथ आकर किसी विशेष विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सकते हैं। यह उत्सव किसी हॉल अथवा सभागार में करना अच्छा रहेगा, तो इस उद्धेश्य से किसी शैक्षिक संस्थान के साथ मिलकर काम करने और इस तरह के आयोजन के लिये उनकी जगह इस्तेमाल करने में समझदारी होगी। युवाओं को शैक्षिक संस्थान के प्रमुख के साथ इस बात पर चर्चा करनी चाहिये और आयोजन करने के लिये अनुमति लेनी चाहिये। वॉलंटियर आयोजन के स्थान को तैयार करें। सोनीपत के राजपुर राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में हुये सांस्कृतिक उत्सव का विषय था ''अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता''। लड़के–लड़कियों ने नृत्य, संगीत तथा नाटकों के ज़रिये स्वयं को अभिव्यक्त करने हेतु मंच का प्रयोग किया।

पतंग उत्सव	ग्रामीण भारत में महिलाओं तथा लड़कियों का पतंग उड़ाना अच्छा नहीं समझा जाता। महिलाओं पर पतंग उड़ाने के लिये पाबंदी है, इसलिये अन्य महिलाओं के साथ मिल कर पतंग उड़ाना उनकी आज़ादी का सूचक है और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी पहचान को सुदृढ़ करता है। सोनीपत जिले के रोहात में राजकीय उच्चतम माध्यमिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्कूल की लड़कियों के लिये एक ''काइट फ्लाइंग डे'' – पतंग दिवस – घोषित किया। उनके स्कूल के 100 विद्यार्थियों और गाँव की 150 लड़कियों तथा 100 लड़कों ने इसमें हिस्सा लिया। इन 150 लड़कियों में से केवल दो को ही पतंग उड़ानी आती थी। दूसरी तरफ़, लड़कों में से सभी पतंग उड़ाना जानते थे। महिला दिवस ;8 मार्च के अवसर पर गाँव की महिलाओं तथा भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय की छात्राओं ने एकता का प्रदर्शन करते हुये पतंगें उड़ाईं।
रोड शो	समारोहों में, युवा समूहों द्वारा तैयार किये गये गीतों के ऑडियो कैसेट चलाये जा सकते हैं। समुदाय में कैंडल लाइट प्रदर्शन तथा हस्ताक्षर अभियान भी इस संदेश को फैलाने में मदद करेंगे। हस्ताक्षर अभियान में पुरुष, महिलाओं, लड़कों तथा लड़कियों से एक शपथ पर हस्ताक्षर करने को कहा जाता है, कि वे अपने जीवन में कम से कम एक कदम ऐसा ज़रूर उठायेंगे, जिससे महिलाओं तथा लड़कियों पर होने वाली हिंसा को समाप्त करने में मदद मिले। यह कदम इस धारणा को स्पष्ट करता है, कि जो बदलाव आप चाहते हैं, उसकी शुरुआत खुद से करें।
ऑनलाइन अभियान	ज़मीनी गतिविधियों के अलावा, यदि मानव एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों, तो एक ऑनलाइन अभियान भी चलाया जा सकता है। एक वेबसाइट नियोजित करें, एक विशिष्ट फेसबुक पेज सेट अप करें, अभियान की गतिविधियों को बढ़ावा दें और सोशियल मीडिया पर इस विषय से जुड़े सभी कानूनों तथा नीतियों का अपडेट उपलब्ध करायें।

	विचारों तथा जानकारियों के आदान–प्रदान के लिये विभिन्न गाँवों के युवाओं के बीच व्हॉट्सएप ग्रुप भी बनाये जा सकते हैं। जयपुर में महिला हिंसा पर बनी हुई यथा–स्थिति पर सवाल उठाते हुये, जयुर की जनता को इस मुद्दे से जोड़ते हुये, 50,000 टैक्स्ट मैसेज महीने में दो–दो बार भेजे गये।

क्या अभियान सफल रहा?

इन सब गतिविधियों का आयोजन काफी सशक्त प्रक्रिया लग सकता है। लेकिन युवाओं को कैसे मालूम पड़ेगा, कि इन सब अध्ययनों तथा गतिविधियों से उनके समुदायों में कुछ बदलाव आये भी हैं या नहीं?

अभियान के असर का पता लगाने के लिए वापस अभियान के उद्धेश्यों की ओर लौटें। यही इस विश्लेषण का आधार होगा, कि अभियान सफल रहा या नहीं।

याद रहे, अभियान का असर तुरंत नहीं दिखाई देने लगेगा। यह कुछ समय बाद नज़र आयेगा, खासतौर से अगला और अंतिम चरण चलाये जा चुकने के बाद।

सोनीपत, हरियाणा में अभियान का 18 महीने की अवधि के बाद निम्न परिणाम हासिल करने का अभिप्राय थाः

- शैक्षिक संस्थान महिलाओं तथा लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बदलाव, जिनमें वैधानिक आवश्यकतायें भी शामिल हैं, करेंगे।

ओ.पी. जींदल यूनिवर्सिटी तथा भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न विरोधी समितियों का पुनर्गठन किया गया। समिति के सदस्यों तथा विद्वार्थियों के हमउम्र शिक्षकों को, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर प्रिया इंटरनेशनल एकेडॅमी द्वारा एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स कराया गया और फेस–टु–फेस प्रशिक्षण भी दिया गया। भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी की यौन–उत्पीड़न विरोधी समिति में प्रिया को थर्ड पार्टी सदस्य मनोनीत किया गया है।

- महिलायें तथा लड़कियाँ अपने बढ़े हुये आत्म–विश्वास और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा का अहसास बढ़ने की बात करने लगेंगी।

लड़कियों ने बताया, ''मैं पहले कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, अब मैं निकलती हूँ।''

एक युवती, जो कदम बढ़ाते चलो कार्यक्रम का हिस्सा थी, ने कहा, ''कदम बढ़ाते चलो से जुड़ने के बाद ही मुझे महिलाओं पर होने वाली हिंसा के विभिन्न प्रकार मालूम हुए। इससे पहले मुझे नहीं मालूम था, कि सीटी बजाना, आँख मारना, फ़ब्तियाँ कसना जैसी छोटी–मोटी चीज़ें भी महिलाओं पर हिंसा का ही रूप हैं। अब मैं इन सभी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ।''

- पुरुषों तथा युवकों ने लड़कियों तथा महिलाओं के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव बताया

जो लड़के युवा समूहों से सीधे जुड़े हुये थे, वे इस बात का विश्लेषण तथा पहचान कर पाने में समर्थ थे, कि हिंसा केवल शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं होती। वे अपने गाँवों में युवा समूहों के साथ सत्र तथा बैठकें आयोजित कर रहे हैं।

लड़कों ने बताया, ''कदम बढ़ाते चलो कार्यक्रम में शामिल होने से पहले, मुझे नहीं मालूम था कि जेंडर क्या होता है। लोग प्रिया के साथ महिलाओं पर होने वाली हिंसा के मुद्दे पर काम करने के मेरे इरादों पर सवाल उठाया करते थे। पहले मुझे लगता था, कि घरेलू हिंसा लोगों का निजी मामला होता है, लेकिन अब मैं जानता हूँ, कि ऐसा नहीं है। प्रिया से जुड़कर मुझे पता लगा कि लड़कियों के भी हम लड़कों के समान ही अधिकार हैं।''

कुछ अन्य ने बताया, ''ज़्यादातर गालियाँ स्वाभाविक रूप से लिंग आधारित होती हैं। कदम बढ़ाते चलो से जुड़ने के बाद मुझे समझ आया, कि अगर हम गाली देते हैं, तो यह औरतों के लिये अपमानजनक होता है। मैंने गालियाँ देना बंद कर दिया है''

- पुलिस, जिला अधिकारी, पंचायत नेता तथा नगर–निगम महिलाओं पर हिंसा के रिपोर्ट किये जाने वाले मामलों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा संवेदनशीलता दिखाते हैं

बेसलाइन सेफ़्टी ऑडिट के परिणाम साझा करने के लिये हर गाँव के सरपंच द्वारा अपने गाँव में एक विशेष ग्राम सभा बुलाई गई। सेफ़्टी ऑडिट के परिणामों के मांगों को 10 प्वाइंट चार्टर के साथ मिला कर युवाओं द्वारा 23 एमएलए उम्मीद्वारों को सौंपा गया।

अध्याय 4 – चरण 3

प्रतिक्रियाशील तथा उत्तरदायी संस्थान

4.1 संगठनों से सहभागिता

समयः 3 से 4 महीने

परिणामः स्थानीय संस्थान युवाओं के साथ सहभागिता करने और महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने हेतु समुदाय द्वारा की गई पर माँगों को पूरा करने के लिये ठोस कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं। समुदाय के इन युवा नेताओं के साथ सतत् समन्वय / सम्पर्क बनाये रखने के लिये प्रमुख अधिकारियों / संरचनाओं की पहचान कर ली जाती है।

बातचीत के ज़रिये एक सहयोगपूर्ण माहौल तैयार करने का महत्व कौन नहीं जानता। एक ऐसे समाज में जहाँ संरचनात्मक तथा आर्थिक असमानता की जड़ें बेहद गहरी हों, वहाँ युवाओं के लिये एक ऐसा सहायक माहौल सुनिश्चित करना, जहाँ वे स्वयं को अभिव्यक्त कर सकें, खासतौर से एक ऐसी जगह जहाँ महिलायें स्वयं को अभिव्यक्त कर सकें, निश्चित तौर पर चुनौतियों से भरपूर होगा। अभियान चलाने और अपनी वचनबद्धताओं को बनाये रखने के उद्धेश्य से *कदम बढ़ाते चलो* को विभिन्न स्तरों पर – अधिकारी, समुदाय के बड़े–बूढ़े, अभिभावकगण, नागरिकों के समूह तथा बुनियादी कार्यकर्ता – कई हितधारियों से बातचीत करने के कई प्रयास करने होंगे।

इस चरण की गतिविधियाँ ऐसी होनी चाहियें, जो युवाओं को संस्थानों से कार्रवाई की माँग करने को प्रोत्साहित कर सकें। महिलाओं तथा लड़कियों पर होने वाली हिंसा की रोकथाम के मुद्दे के प्रति जागरूक तथा वचनबद्ध संस्थान अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप देंगे और अपने संस्थान के भीतर महिलाओं तथा लड़कियों पर होने वाली हिंसा की रोकथाम, निवारण तथा सुधार के लिये अनुपालन प्रक्रियायें जारी करेंगे।

जो संस्थान युवाओं के साथ यह चर्चा करने के लिये सहभागिता करने को तैयार हो जायें, कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं पर होने वाली हिंसा रोकने के लिये अपने संगठन के भीतर ही शासन तथा शिक्षण संस्थान क्या कदम उठा सकते हैं, उसके सहयोग से एक मल्टी–स्टेकहोल्डर बैठक आयोजित करवाइये। अन्य विशेषज्ञों तथा सामुदायिक नेताओं को भी आमंत्रित कीजिये। यह सुनिश्चित कीजिये, कि जो भी लोग अब तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं, उन सभी को इस आयोजन के लिये आमंत्रित किया जाये।

- इस समारोह का आयोजन करने में युवा नेताओं को पहल करने दीजिये
- जो भी उपस्थित हों उन सभी से फीडबैक तथा प्रतिक्रिया लेने का ध्यान रखें
- जो यहाँ उपस्थित हों, उन्हें आगे क्या कदम उठाये जायें, इस पर कोई ठोस योजना तैयार करने हेतु प्रोत्साहित करें

इस मुद्दे को जीवित रखने, इस पर आगे बढ़ने तथा इस उद्धेश्य के प्रति अपनी वचनबद्धता बनाये रखने के लिये युवा लीडरों को अपनी स्वयं की कार्य योजना तैयार करने की भी ज़रूरत है, जिससे वे संस्थान के साथ फॉलो–अप करने के लिये एक समयावधि निर्धारित कर सकें।

कदम बढ़ाते चलो में हिस्सा लेने के बाद युवा लीडरों तथा युवा समूहों को, उनके ''क्षमता निर्माण'' के परिणामस्वरूप, सफाई अभियान चलाने, सामुदायिक समारोह आयोजित करने इत्यादि जैसी अन्य गतिविधियाँ चलाने को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

आमतौर पर हितधारक आपके उद्धेश्य को सराहते हैं और मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने तथा अनुमति प्रदान करने की दृष्टि से मददगार भी होते हैं। लेकिन, मुद्दे को स्वीकृति देने के बावजूद भी महिलाओं पर होने वाली हिंसा को घटाने के लिये कोई संग्रहित कार्यवाही देखने को नहीं मिलती। संस्थागत हितधारियों से बात करते हुये, तथा उनसे कोई वचन लेते हुये युवाओं को निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

- हो सकता है, कि इन संस्थानों के व्यक्ति मुद्दे के प्रति इतने संवेदनशील न हों, कि व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल हों।
- कुछ चुनी हुई महिला प्रतिनिधि केवल नाममात्र के लिये प्रमुख होती हैं। वे कभी भी दफ़्तर में उपस्थित नहीं होतीं और सारा काम उनके परिवारों के पुरुष संभालते हैं। इसलिये, स्थानीय स्तर पर मुद्दा जब इन महिला प्रतिनिधियों के सामने रखा जाता है, तो ये न तो बात को समझती हैं और न ही मददगार होती हैं।
- महिलायें तथा लड़कियाँ समुदाय के सामाजिक ढाँचे में राजनीतिक अथवा सार्वजनिक रूप से कम ही शामिल होती हैं।

स्रोत

पठन सामग्री

1. पार्टिसिपेट्री रिसर्च इन एशिया (PRIA). (2011)। *अ मैन्यूअॅल फॉर पार्टिसिपेट्री ट्रेनिंग मैथॅडोलॉजी इन डिवॅलपमेंट*। नई दिल्ली : प्रिया
2. पार्टिसिपेट्री रिसर्च इन एशिया (PRIA). (2014)। कैम्पेन फॉर सिटिज़न पार्टिसिपेशन : अ फेसिलिटेटर्स मैन्यूअॅल। नई दिल्ली : प्रिया
3. भसीन, के. (1993)। *व्हॉट इज़ पैट्रीआर्की?* कली फॉर वीमेन
4. भसीन, के. (1998)। *व्हॉट इज़ गर्ल? व्हॉट इज़ बॉय?* स्त्री शक्ति
5. पार्टिसिपेट्री रिसर्च इन एशिया (PRIA)। *जेंडर ऑन द एजेंडा*। नई दिल्ली : प्रिया
6. मैनन, एन. (Ed.). (1999)। जेंडर एण्ड पॉलिटिक्स इन इंडिया।नई दिल्ली : ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

वेबसाइट

1. वॉकाथॉन गाइड (http://walkathonguide.com/)
2- लीग ऑफ़ मिशिगन बाइसाइक्लिस्ट (http://www.lmb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=255)
3. डेली ओ–ओपन टु ओपीनियन्स (http://www.dailyo.in/arts/how-to-organise-a-successful-lit-fest/story/1/1482.html)

मानवीय स्रोत

प्रिया (www.pria.org)
सोसायटी फॉर पार्टिसिपेट्री रिसर्च इन एशिया एक अन्तर्राष्ट्रीय सहभागी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान है। सहभागी प्रशिक्षण तथा अभ्यास विधियों में प्रिया का 34 वर्षों का अनुभव अन्य ग़ैर–सरकारी संगठनों, संचालन संस्थानों तथा शिक्षण संस्थानों द्वारा क्षमता निर्माण के लिये उपयोग किया जाता है। कदम बढ़ाते चलो कार्यक्रम चलाने में प्रिया आपको कैसे सहायता दे सकती है, यह जानने के लिये हमें toinfo@pria.org पर लिखें

मार्था फैरेल फाउंडेशन (www.marthafarrellfoundation.org)
मार्था फैरेल फाउंडेशन जेंडर के प्रति न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है। ऐसा यह जेंडर आधारित भेदभाव को चुनौती देने वाले और संगठनों में तथा व्यापक रूप से समाज में जेंडर मेनस्ट्रीमिंग को बढ़ावा देने वाले व्यावहारिक हस्तक्षेप करके करती है। इस फाउंडेशन की स्थापना डॉ. मार्था फैरेल की विरासत को उसी जोश, उत्कृष्टता तथा ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ाने के इरादे से की गई, जिसे मार्था अपने जीवन के हर पहलू पर लागू किया करती थी। कदम बढ़ाते चलो कार्यक्रम चलाने में फाउंडेशन आपको कैसे सहायता दे सकती है, यह जानने के लिये हमें marthafarrellfoundation@pria.org पर लिखें

प्रो स्पोर्ट डेवेलपमेंट (http://www.prosportdev.in/)
प्रो स्पोर्ट डेवेलपमेंट एक खेल विकास संगठन है, जो खेल को युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिये प्रयोग करता है। ऐसा यह खेल में युवाओं की सतत् भागीदारी को बढ़ावा देकर और उन्हें योग्यता व इच्छा के साथ–साथ ऊँचे स्तरों तक आगे बढ़ने और उन्नति करने के लिये मंच उपलब्ध कराकर करता है।

अभ्यास सामग्री संख्या 1
परिचय

समय : 30 मिनट (अधिकतम)
उद्धेश्य : एक–दूसरे को जानना, कदम बढ़ाते चलो कार्यक्रम से परिचय
विधि : सामूहिक गतिविधियाँ, व्याख्यान विधि
साधन : कच्ची मैक्रोनी, मज़बूत तार, कागज़ की पर्चियाँ

गतिविधि 1

4–5 सदस्यों वाले समूह बनाइये। समूहों की संख्या बैठक में उपस्थित लोगों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रत्येक समूह को मज़बूत तार तथा कच्ची मैक्रोनी का प्रयोग करते हुये चार फुट लम्बा हार बनाना है। जो समूह पहले हार बना लेगा, वह विजेता होगा।

गतिविधि 2

बैठक से पहले:
कागज़ की पर्चियों पर कुछ संदेश/शब्दों के जोड़े लिखिये। संदेश स्थानीय भाषा की कोई लोकप्रिय कहावत हो सकती है, लोकप्रिय हस्तियों के नाम हो सकते हैं, या कोई भी शब्द समूह हो सकता है, जो एक साथ लिखा जाता हो। उदाहरण के लिये, अमिताभ : बच्चन, लालू : यादव, माधुरी : दीक्षित इत्यादि। नाम का पहला हिस्सा ''अमिताभ'' एक पर्ची पर लिखा होगा और आखिरी हिस्सा ''बच्चन'' दूसरी पर्ची पर।

ध्यान रहे, कि पर्चियों की संख्या उतनी ही हो, जितनी इस गतिविधि में भाग लेने वालों की। यदि भाग लेने वालों की संख्या सम है, तो जोड़े बन जायेगें। लेकिन यदि भाग लेने वालों की संख्या विषम है, तो एक पर्ची फैसिलिटेटर को उठानी होगी, जिससे कोई प्रतिभागी शेष न बचे।

प्रकिया:

हर प्रतिभागी को एक पर्ची उठानी होती है और कमरे में धूम कर अपने जोड़ीदार/पार्टनर को ढूँढना होता है, जिसके पास वह पर्ची हो, जो उसकी पर्ची पर लिखे नाम/शब्द समूह को पूरा करती हो। इस तरह 'अमिताभ' को 'बच्चन' ढूँढना होगा और जिस प्रतिभागी ने 'लालू' लिखी पर्ची उठाई है, उसे उस प्रतिभागी को खोजना होगा, जिसने 'यादव' लिखी पर्ची उठाई है। इस गतिविधि से जोड़े बन जाते हैं।

जब जोड़े बन जायें, तो सभी प्रतिभागियों को अपने बारे में अनौपचारिक बातें बताने को कहिये, जैसे उनके शौक, पसंदीदा रंग, फिल्म, पुस्तक इत्यादि, जिससे उनके बीच की चुप्पी टूटे।

जब प्रतिभागी एक–दूसरे से थोड़े घुल–मिल जायें, तो उनसे पूछिये कि युवा समूह में शामिल होने से उनकी क्या उम्मीदें हैं। प्रतिभागी कई तरह की आशंकायें प्रकट कर सकते हैं, जैसे हमें गतिविधियों में हिस्सा लेने को क्यों कहा जा रहा है, ये गतिविधियाँ किसलिये हैं, युवा समूहों की बैठकों में क्या होगा, इत्यादि।

आप कदम बढ़ाते चलो के उद्धेश्य के विषय में बात करके और उन्हें यह बताकर कि युवा होने के नाते वे किस तरह बदलाव ला सकते हैं, उनकी कई आशंकायें दूर कर सकते हैं।

अभ्यास सामग्री संख्या 2
जेंडर के विषय में जागरूकता बढ़ाना

समय : 1 घंटा 30 मिनट

उद्धेश्य : जेंडर के विषय में जागरूकता बढ़ाना

विधि : जेंडर सर्किल, कथा–वाचन तथा चर्चायें

साधन : कुछ ऐसे वक्तव्यों की एक सूची बनाइये, जो प्रतिभागी अक्सर सुना करते हैं। ये वाक्य हो सकते हैं :

- स्त्री तथा पुरुष कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि वे शारीरिक रूप से अलग हैं।
- इस तरह की बातों (जेंडर के विषय में) से घरों में झगड़े होते हैं।
- औरतें शारीरिक रूप से मर्दों से कमज़ोर होती हैं।
- लड़कियाँ आमतौर पर गणित में कमज़ोर होती हैं।
- महिलायें स्वभाव से पुरुषों के मुकाबले कम भ्रष्ट होती हैं।
- स्त्रियाँ स्वाभानिक रूप से पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा जीती हैं।
- औरतें बच्चे पैदा करती हैं, मर्द नहीं।
- स्त्रियाँ स्वाभाविक रूप से, पुरुषों के मुकाबले बच्चों की अच्छी देखभाल करती हैं।
- महिलायें बहुत भावुक होती हैं, इसलिये अच्छी लीडर नहीं बन सकतीं।
- पुरुषों को अधिक कैलोरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे अधिक सक्रिय जीवन जीते हैं।

प्रकियाः

- प्रतिभागियों को, एक–दूसरे की तरफ़ मुँह किये हुये खड़े होकर, दो समकेंद्रित वृत्त बनाने हैं अर्थात एक गोले के अन्दर दूसरा गोला बनाये हुये खड़े होना है।
- जब गोले बन जायें, तो उन्हें विपरीत दिशाओं में गोल घूमने को कहें।
- कुछ देर में उन्हें रुकने को कहें और हर प्रतिभागी को उस व्यक्ति के साथ जोड़ा बनाने को कहें, जो दूसरे गोले में उसके सामने खड़ा है।
- वाक्यों की सूची में से एक वाक्य पढ़ें और प्रतिभागियों से आपस में अपने जोड़े से, लगभग एक मिनट तक इसके बारे में बात करके अपनी प्रतिक्रिया देने को कहें।
- उन्हें फिर से गोल घूमने को कहें और पूरी प्रक्रिया दोहरायें, जब तक वे सभी वाक्यों के बारे में बात न कर लें।
- इसमें लगभग 20 मिनट लगेंगे।
- प्रतिभागियों से तितर–बितर हो जाने और उस गतिविधि के बारे में बात करने को कहें, जो उन्होंने अभी–अभी की है, इसमें 10 मिनट लगना चाहिये।

उन्हें फिर से समूह बनाने तथा गोले में बैठने को कहें और चर्चा करके मालूम करें, कि जो वक्तव्य आपने पढ़े उनके बारे में वे क्या सोचते हैं और वो ऐसा क्यों सोचते हैं। चर्चा के ज़रिये उन्हें समझाने की कोशिश करें, कि जेंडर क्या होता है।

चर्चा के बिन्दु

जेंडर क्या है?

जेंडर का तात्पर्य किसी भी समाज में पुरुष तथा महिला की पहचान से होता है। यह सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। जीववैज्ञानिक (biological) तथा शारीरिक (Physical) स्थिति नर (Male) अथवा मादा (Female) लिंग निर्धारित करती हैं। हालांकि, जेंडर मर्दाना (Masculine) तथा जनाना (Feminine) गुणों और भूमिकाओं की सामाजिक तथा सांस्कृतिक धारणाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जेंडर उन गुणों का परिचायक है, जिन्हें कोई समाज या संस्कृति स्त्री अथवा पुरुष के रूप में परिभाषित करते हैं।

इस प्रकार, यद्यपि नर या मादा के रूप में आपका लिंग (Sex) एक प्राकृतिक सत्य है अर्थात् यह सभी संस्कृतियों में समान है, जबकि लिंग (Sex) के आधार पर समाज में निर्धारित किये गये जेंडर रोल्स' विभिन्न संस्कृतियों में अलग–अलग हो सकते है। इन 'जेंडर रोल्स' ;लिंग आधारित भूमिकाओंद्ध का व्यक्ति के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से 'लिंग आधारित भूमिकाओं' का तात्पर्य उन गुणों तथा व्यवहारों से है, जिन्हें विभिन्न संस्कृतियॉ लिंगों से जोड़ती हैं। किसी भी संस्कृति में 'असल पुरुष' होने का अर्थ है, नर लिंग और समाज/संस्कृति द्वारा परिभाषित मर्दाना गुणों तथा व्यवहार का संयोजन। इसी तरह, किसी भी संस्कृति में 'असल स्त्री' होने का अर्थ है, मादा लिंग और समाज/संस्कृति द्वारा परिभाषित स्त्रियोचित् गुणों तथा व्यवहार का संयोजन।

'पुरुष' = नर लिंग. मर्दाना सामाजिक भूमिका ('असल पुरुष', 'मर्दाना', अथवा पुरुषोचित्)
'स्त्री' = मादा लिंग. स्त्रियोचित् सामाजिक भूमिका ('असल स्त्री', 'जनाना', अथवा 'स्त्रियोचित्')

लिंग आधारित भूमिकायें

जेंडर का बोध किसी समाज विशेष की संस्कृति में समाजीकरण की प्रक्रिया के ज़रिये होता है। कई संस्कृतियों में लड़कों को 'पुरुषोचित्' गुण' तथा लड़कियों को 'स्त्रियोचित् गुण' अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा उन्हें खेलने के लिये दिये गये खिलौनों, उन पर लागू किये गये अनुशासन, काम–काज, जिनकी वे आकांक्षा रख सकते हैं और मीडिया में पुरुष तथा महिला के चित्रण के ज़रिये किया जाता है। बच्चों को जन्म से ही, विभिन्न कार्यों के प्रदर्शन के ज़रिये, उनके जेंडर के बारे में सिखाया जाता है। फिर जीवनभर इसे अभिभावकों, शिक्षकों, साथियों, उनकी संस्कृति तथा समाज से मिलती पुष्टि द्वारा और दृढ़ कर दिया जाता है।

अभिभावक शायद ऐसा उन 'जेंडर अपेक्षाओं' की प्रतिक्रिया के तौर पर करते हैं, जो छोटे बच्चों के रूप में उनसे रखी जाती थीं। परम्परागत तौर पर, पिता लड़कों को सिखाता है, कि चीज़ों को बनाया कैसे जाता है और उन्हें ठीक कैसे किया जाता है, मातायें लड़कियों को सिखाती हैं, कि खाना कैसे पकाया जाता है, सिलाई कैसे की जाती है और घर कैसे संभाला जाता है। बच्चों को अभिभावकों की स्वीकृति तब मिलती है, जब वे उनके जेंडर से रखी जाने वाली उम्मीदों और परम्परागत तथा सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत भूमिकाओं पर खरे उतरते हैं। और यह सब मीडिया जैसे अतिरिक्त सामाजीकरण कारकों

द्वारा और भी पक्का कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, लिंग आधारित भूमिकायें केवल सामाजिक संदर्भ में होती हैं और अभिभावकों तथा समाज की मान्यतायें पीढ़ी–दर–पीढ़ी बच्चों तक पहुँचाई जाती रहती हैं।

लिंग आधारित भूमिकायें, जो बचपन में अपनाई जाती हैं, आमतौर पर वयस्क जीवन में भी ज़ारी रहती हैं। घरों में, लोगों के फैसले लेने, बच्चे पालने, वित्तीय ज़िम्मेदारियों आदि के बारे में कुछ धारणायें होती हैं। काम–काज की जगहों पर लोगों में शक्ति, श्रम विभाजन तथा संगठनात्मक संरचनाओं को लेकर कुछ धारणायें होती हैं। इनमें से किसी का भी तात्पर्य ये नहीं होता, कि लिंग आधारित भूमिकायें, अपने आप में अच्छी हैं, या बुरी हैं – ये बस हैं। लिंग आधारित भूमिकायें लगभग हरेक के जीवन की सच्चाई हैं।

गतिविधिः

जेंडर तथा जेंडर रोल के विषय में चर्चा के बाद प्रतिभागियों को नीचे दी गई मनु तथा सनु की कहानी सुनायें और उनसे सूची में दिये गये प्रश्न पूछें। अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु फैसिलिटेटर को प्रतिभागियों को अच्छी तरह से टटोल कर पूछना होगा।

मनु तथा सनु की कहानी

हरि तथा विमला के दो बच्चे थे, मनु तथा सनु। मनु उनका बड़ा बच्चा था। जब सनु का जन्म हुआ, तो पड़ोसियों में मिठाई बाँटी गई। जब ये दोनों बच्चे छोटे थे, हरि उनके लिये खिलौने लाया करता था – सनु के लिये बन्दूकें तथा फुटबॉल और मनु के लिये गुड़ियाँ और किचन सेट। सनु को बाहर अपने साथियों के साथ खेलने की इजाज़त थी, जबकि मनु को घर पर ही रह कर घर के काम–काज़ में विमला का हाथ बँटाना होता था। हरि खेत जोतने में सनु की मदद लिया करता। साथ ही, मनु की मदद खरपतवार हटाने, पौध रोपने में ली जाती। किशोरावस्था में सनु को अँधेरा हो जाने के बाद भी घर लौटने की इजाज़त थी, जबकि मनु को हमेशा अँधेरा होने से पहले ही घर आ जाने को कहा गया था। एक दिन, विमला से बात करते हुये सनु की आवाज़ अचानक कर्कश हो गई।

एक दिन मनु तथा सनु, दोनों अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर घर लौटे। उन दोनों ने ही परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन सनु को मनु के मुकाबले अधिक नम्बर मिले थे। उनके पिताजी उन दोनों को ही कोई उपहार देना चाहते थे। वे सनु के लिये साइकिल लाये और मनु के लिये क्रॉकरी सेट।

जब वे दोनों बड़े हुये, उनके माता–पिता ने उनकी शादियाँ तय कीं। अब उन दोनों के एक–एक बच्चा है। कुछ सालों बाद हरि का देहांत हो गया। मनु ने खूब आँसू बहाकर अपना दुख प्रकट किया, जबकि सनु ने शांत रहकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद हरि की सारी सम्पत्ति सनु की हो गई, जबकि मनु को विमला के कुछ गहनों के अलावा कुछ नहीं मिला।

प्रतिभागियों से निम्न प्रश्न पूछें:

- भाई कौन है और बहन कौन है? मनु या सनु?
- समूह के छोटे सदस्यों ने ये कैसे तय किया, कि कौन भाई है और कौन बहन? कहानी में कौन सी स्थिति ऐसी थी, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला?

- कहानी में दी गई स्थितियों में से कौन सी स्थिति ऐसी है, जिसे हम बदल सकते हैं? कौन सी बदली नहीं जा सकती?

श्रम विभाजन

श्रम विभाजन को समाज में जेंडर की अवधारणा से समझाया जा सकता है। स्त्री और पुरुष के बीच के जीववैज्ञानिक/शारीरिक अन्तर सार्वभौमिक है जिसके आधार पर प्रजनन का कार्य होता है। समाज इसी अन्तर को अन्य कार्यों के आबंटन के लिये भी प्रयोग करते हैं। कार्य सांस्कृतिक ज़रूरतों तथा प्राथमिकताओं के अनुसार आबंटित होते हैं। पुरुष तथा महिलायें समाज के प्रत्येक स्तर पर अलग–अलग भूमिकायें निभाते हैं और इसलिये अलग–अलग ज़िम्मेदारी भी अपना लेते हैं, परिणामस्वरूप, विभिन्न प्रक्रियाओं में उनके प्रभाव, शक्ति तथा नियंत्रण का स्तर फ़र्क होता है। हालांकि, ये भूमिकायें तथा ज़िम्मेदारियाँ व्यक्तियों को ज़्यादातर उनके लिंग के आधार पर सौंपी जाती हैं, न कि उनकी योग्यताओं तथा क्षमताओं के आधार पर। यह देखते हुये, कि महिलाओं तथा पुरुषों की आवश्यकतायें तथा प्राथमिकतायें अलग–अलग होती हैं, उनके लिये बाधायें अलग–अलग तरह की होती हैं और संवृद्धि तथा विकास में उनका योगदान अलग–अलग तरह से होता हैं, यह ज़रूरी है, कि उनकी भूमिकाओं तथा ज़िम्मेदारियों में बदलाव लाने पर विचार किया जाये, जो कि अभी पूरी तरह से उनकी पारंपरिक तथा सामाजिक छवियों के आधार पर हैं।

महिलाओं तथा पुरुषों के अनुभव तथा आवश्यकतायें अलग–अलग होने का कारण उनकी लिंग आधारित भूमिकायें हैं। लाभकारी /धनार्जन करवाने वाले कार्य तथा सामुदायिक जीवन की धुरियों पर पुरुष तथा महिलायें, दोनों ही अपनी भूमिकायें निभाते हैं, लेकिन महिलाओं के योगदान को कम महत्व दिया जाता है। जहाँ एक ओर, पुरुष के कार्य उसे नकद आमदनी करवाते हैं, वहीं, महिलायें परिवार के उपभोग के लिये भोजन तैयार करती है या फिर ऐसे काम करती है, जिनका नकद मूल्य आमतौर पर आंका ही नहीं जाता। परिवार तथा बच्चों की देखभाल, घर का रख–रखाव, पानी तथा ईंधन की व्यवस्था, खाना पकाना, जिसमें खाद्य पदार्थों को पकाने हेतु तैयार करने के लिये कूटना, पीसना, काटना, धोना इत्यादि भी शामिल है घर तथा घर के सदस्यों को साफ़–सुथरा तथा स्वस्थ रखना आमतौर औरत के काम समझे जाते हैं। ये काम काफ़ी मेहनत वाले तथा समय लगने वाले होते हैं और इन्हें कुछ काम समझा ही नही जाता। महिलाओं तथा पुरुषों के संबंध तथा उनकी लिंग आधारित भूमिकायें समाज में मौजूद असमानताओं को दर्शाती हैं।

- महिलायें विश्व के कुल कार्य का दो–तिहाई करती हैं
- महिलायें विश्व की कुल आमदनी का 1/10 अर्जित करती हैं
- विश्व के कुल निरक्षरों में दो–तिहाई महिलायें हैं
- विश्व की कुल सम्पत्ति के 1/100वें हिस्से से भी कम की मालकिन महिलायें हैं

उपरोक्त वाक्य महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। उन्हें गरीबी, अत्यधिक कामकाज़, खराब स्वास्थ्य इत्यादि जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समाज में पुरुष की स्थिति के मुकाबले महिला की स्थिति बहुत नीचे हैं।

,,,,,,,

(यदि समय हो, तो भाग लेने वालों को *वह शेर जो खुद को बिल्ली समझता था*, की कथा सुनाकर उनके विचार जानें।)
कहानी नीचे दी गई है।

एक समय की बात है, जंगल में एक शेरनी रहती थी। उसके तीन बच्चे शावक थे। बरसात की एक रात में उसका एक बच्चा खो गया। खोया हुआ यह शेर का बच्चा एक बिल्ली को मिला, जो माँ भी थी। उसे लगा वह किसी बिल्ली का बच्चा है और वह उस शावक को अपने घर ले आई। इस तरह शेर का बच्चा भी बिल्ली के अन्य बच्चों के साथ पलने लगा। शेर के बच्चे को भी पीने को दूध दिया जाता, वह भी बिल्ली की तरह म्याऊँ करना सीख गया और उसे बिल्ली की तरह व्यवहार करना सिखाया गया। इस प्रकार वह शेर का बच्चा खुद को बिल्ली समझता हुआ बड़ा होने लगा। एक दिन जब वह अन्य बिल्लियों के साथ खेल रहा था, उसने देखा एक शेर हिरण का शिकार कर रहा है। वह भी शिकार करना चाहता था, लेकिन अन्य बिल्लियों ने उसे रोक दिया, क्योंकि बिल्लियाँ शिकार नहीं करतीं। लेकिन शेर के बच्चे में शिकार के प्रति गहरी रुचि पैदा हो गई थी। इसलिये यह चुपचाप जंगल की ओर चला गया और शिकार करना शुरु कर दिया। अब जाकर शेर के बच्चे को अहसास हुआ कि वह कोई बिल्ली नहीं बल्कि शेरनी है।

याद रखने योग्य बातें:

- फैसिलिटेटर यह सुनिश्चित कर ले, कि गतिविधियाँ करने के लिये जगह पर्याप्त हो
- संवादपूर्ण ढंग से चर्चा करें
- भाग लेने वालों को चर्चा के दौरान तथा उसके बाद भी अपना दृष्टिकोण बताने के लिये प्रोत्साहित करें
- जैसे ही या जब भी प्रतिभागियों के मन में कोई संदेह उठे, उसे दूर करें
- गतिविधियों का उद्धेश्य प्रतिभागियों को शामिल करना और उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है।

अभ्यास सामग्री संख्या 3

लिंग आधारित भूमिकायें

समयः 40–45 मिनट
उद्धेश्यः भाग लेने वालों को सामाजिक तौर पर स्वीकृत उन लिंग आधारित भूमिकाओं के विषय में सोचने के लिये प्रोत्साहित करना जिन्हें वे भी मानते हैं
विधिः व्यक्तिगत गतिविधि
साधनः एक्टिविटी शीट, नीचे देखें
गतिविधिः 1;20 मिनट

टीम लीडर को निम्न विषयों पर प्रतिभागियों से उनका अपना–अपना फीडबैक लेने के लिये उनमें एक्अिविटी शीट बाँटनी हैं।

- दो गतिविधियाँ जो करना तुम्हें पसंद है और जो तुम्हारे जेंडर रोल के अनुरूप भी हैं
- दो गतिविधियाँ जो तुम्हारे जेंडर रोल के अनुरूप तो हैं, लेकिन उन्हें करना तुम्हें पसंद नहीं
- दो गतिविधियाँ जो करना तुम्हें पसंद है, लेकिन वे तुम्हारे जेंडर रोल के अनुरूप नहीं हैं
- दो गतिविधियाँ, जो आप सोचते हैं, कि काश आप कर पाते

प्रक्रियाः

प्रतिभागियों को एक्टिविटी शीट भरने के लिये अधिकतम 10 मिनट का समय दिया जा सकता है। भरी हुई एक्टिविटी शीट्स की प्रतिभागी एक–दूसरे के साथ अदला–बदली कर सकते हैं और प्रतिभागियों को अपनी शीट ज़ोर से पढ़कर समूह को सुनाने के लिये कहा जा सकता है। प्रतिभागियों के जवाबों की सूची बनाई जा सकती है और शीट्स के आदान–प्रदान के दौरान या उसके बाद उन पर चर्चा की जा सकती है। लीडर यह सुनिश्चित करें, कि जवाबों पर चर्चायें करते हुये सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर रोल और किस तरह से हम इनके विपरीत जाने की इच्छा रखते हैं, यह उजागर हो।

बचे हुये समय में फैसिलिटेटर कदम बढ़ाते चलो कार्यक्रम, युवा नेतृत्व तथा मूल समूह की अवधारणा से परिचय करवा सकते हैं।

याद रखने योग्य बातें:

- जो सदस्य पहले हुई बैठक में हिस्सा ले चुके हैं, उन्हें एक दिन पहले बैठक के बारे में याद दिलाया जा सकता है
- जिन सदस्यों में पहले की बैठक में हिस्सा लिया, उनकी उपस्थिति नोट की जा सकजी है, और नये सदस्यों का विवरण रजिस्टर किया जा सकता है। जो सदस्य दोनों बैठकों में शामिल हों, उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर मूल समूह का सदस्य बनने के लिये प्रेरित किया जा सकता है।
- मूल समूह के गठन के लिये समूह के सक्रिय सदस्यों की पहचान की जा सकती है। जो युवा सभी बैठकों में उपस्थित रहे हों, उन्हें मूल समूह के गठन के लिये प्राथमिकता दी जा सकती है।
- प्रतिभागियों को यह आश्वासन देने के लिये कि उनका दृष्टिकोण मायने रखता है, उनका फीडबैक अवश्य लिया जाना चाहिये।

- लीडर को उन निर्णायक भूमिकाओं पर ज़रूर ज़ोर डालना चाहिये, जो इन प्रतिभागियों को निभानी होंगी। यह बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे न केवल प्रतिभागी अभिप्रेरित होंगे, बल्कि वे ज़िम्मेदार भी बनेंगे।
- अगली बैठक के लिये तिथि तथा स्थान तय किये जा सकते हैं।
- अगली बैठक और आसान बनाने तथा इन बैठकों की पहुँच का स्व–मूल्यांकन करने के उद्धेश्य से अगली बैठक में समुदाय के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

एक्टिविटी शीट

नाम :ऐच्छिक

आयु:

क्रम संख्या	विषय	प्रतिक्रिया
1	दो गतिविधियाँ जो करना तुम्हें पसंद है और जो तुम्हारे जेंडर रोल के अनुरूप भी हैं	
2	दो गतिविधियाँ जो तुम्हारे जेंडर रोल के अनुरूप तो हैं, लेकिन उन्हें करना तुम्हें पसंद नहीं	
3	दो गतिविधियाँ जो करना तुम्हें पसंद है, लेकिन वे तुम्हारे जेंडर रोल के अनुरूप नहीं हैं	
4	दो गतिविधियाँ, जो आप सोचते हैं, कि काश आप कर पाते	

अभ्यास सामग्री संख्या–4

लिंग:जेंडर आधारित रूढ़ियाँ : समाज की देन

समयः 1 घंटा 30 मिनट

उद्धेश्यः पुरुष तथा महिलाओं के व्यवहार को लेकर अपनी रूढ़िगत धारणाओं को टटोलना और देखना कि किस तरह यह पुरुष तथा स्त्री, दोनों को ही कमज़ोर करती हैं

गतिविधिः प्रतिभागियों द्वारा वक्तव्यों पर अभिनय करना

साधनः फैसिलिटेटर निम्न विषयों और परिस्थितियों की पर्चियाँ बना सकते हैं

विषय जिन पर अभिनय किया जा सकता है

- जब आप बाज़ार में थे, तो किसी ने आपके पैसे चुरा लिये
- आपको अभी–अभी प्यार हो गया है
- आप जंगल से गुज़र रहे थे, कि आपके सामने एक बाघ आ गया
- आपको अभी–अभी पता चला है, कि आपके कुत्ते की मौत हो गई

निम्न परिस्थितियों में आप इन लोगों के बारे में क्या कहेंगे?

- दो औरतें बात कर रही हैं – आपको क्या लगता है, वे किस बारे में बात कर रही होंगी
- एक आदमी ऑफिस में देर तक काम कर रहा है
- एक औरत ऑफिस में देर तक काम कर रही है
- औरतें मोबाइल फोन पर बात कर रही हैं
- आदमी मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं

प्रक्रियाः

वॉलंटियर्स को इन बताये गये दृश्यों पर दो बार अभिनय करने को कहेंः एक बार विपरीत लिंग के रूप में और एक बार स्वयं के रूप में। यदि लड़के तथा लड़कियों, दोनों के साथ काम कर रहे हैं, तो इस गतिविधि के लिये पुरुष तथा महिलाओं की संख्या बराबर रखें।

विचार :

जब हर कोई अपनी–अपनी दोनों भूमिकायें निभा चुका हो, तो इस गतिविधि पर एक चर्चा छेड़ें, जो इन प्रश्नों पर केंद्रित होः यह गतिविधि करना उन्हें कैसा लगा? उन्होंने महिला तथा पुरुष की भूमिका में अलग–अलग ढंग से अभिनय क्यों किया?

मिले–जुले दर्शक हों तो पुरुष तथा महिलाओं दोनों से प्रश्न पूछें। महिलाओं से पूछें, कि क्या पुरुषों ने उनकी प्रतिक्रियाओं

का अच्छा अभिनय किया? पुरुषों से भी पूछें कि क्या महिलाओं ने उनकी प्रतिक्रियाओं का अभिनय अच्छा किया?

इस चर्चा को आगे ले जायें, और पूछें: अगर किसी परिस्थिति में आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया उससे अलग होती है, जिसकी कि उम्मीद की जाती है, तो उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या होगा, अगर कोई पुरुष बात–बात पर रो दे? क्या होगा अगर कोई महिला अपने दृष्टिकोण को लेकर हर किसी से झगड़े?

क्या आपको याद है, कि किसी तरीके से, कभी आपको वे भावनात्मक प्रतिक्रियायें सिखाई गई हों, जिनकी आपसे उम्मीद की जाती है? उदाहरण के लिये, छोटे लड़के जब रोते हैं, तो उन्हें कहा जाता है, कि वे लड़कियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। छोटी लड़कियों को पेड़ पर चढ़ने से मना किया जाता है, ज़ोर से हँसने को मना किया जाता है। क्या आपको याद है, कि आपको कैसा महसूस हुआ था, जब बचपन में आपको किसी खास तरीके से व्यवहार करने को मना किया गया था? क्या आपको कभी वैसा व्यवहार करने की इच्छा होती थी, जैसा करने की आपको मनाही थी? क्या आपका कभी मन करता है, कि बस रो दें?

क्या आपको लगता है, कि भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को लेकर महिलाओं तथा पुरुषों के लिये ज़्यादा नियम हैं? आपको क्या लगता है, कि इनसे उनकी ज़िन्दगी कैसे मुश्किल हो जाती होगी?

इस गतिविधि से प्रतिभागियों के काफी शानदार अनुभव निकल कर सामने आयेंगे। फैसिलिटेटर पूरी रुचि लेकर, ध्यान से सुनें और प्रतिभागियों के प्रदर्शन तथा प्रतिक्रियाओं की छोटी से छोटी बात पर भी ग़ौर करें। यदि प्रतिभागी सोच–समझ कर अभिनय करते हैं और अपने प्रदर्शन कुशलता से करने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक प्रतिक्रियायें देना कठिन होगा।

चर्चा

जन्म के समय केवल यौन अंग ही किसी को नर तथा मादा में वर्गीकृत करते हैं। ये शारीरिक तथा जीववैज्ञानिक लक्षण सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात् हर संदर्भ, हर देश में समान ही होते हैं। हालांकि, पोशाक, व्यवहार, भूमिकायें तथा ज़िम्मेदारियों जैसे गुण तथा विशेषतायें सामाजिक तौर पर अपनाये जाते हैं। ये समाज द्वारा मढ़ी गई ज़िम्मेदारियाँ ही किसी व्यक्ति की लैंगिक पहचान बनाती हैं। लैंगिक ;जेंडर पहचान हासिल किया हुआ गुण है। यह सामाजीकरण की प्रक्रिया के ज़रिये हममें डाला जाता है। स्त्री तथा पुरुष की सामजिक तथा सांस्कृतिक परिभाषा जेंडर कहलाती है। यह समाज में मौजूद ढाँचों के सतत् सम्पर्क का नतीजा होता है। किसी व्यक्ति के स्वाभाविक / जीववैज्ञानिक लिंग से उलट, जेंडर विशेषतायें अथवा गुण भिन्न–भिन्न परिवारों, समाजों तथा देशों में भिन्न–भिन्न होते हैं।

जेंडर में अन्तर बहुत ही कम उम्र से हमारे अन्दर डाला जाता है और यह सामाजिक स्वीकृति के द्वारा बार–बार मज़बूत किया जाता रहता है। कहावतें, लोकोक्तियाँ, लोक साहित्य, चिन्ह तथा सांस्कृतिक पद्धतियों जैसे अन्य घटक और पीढ़ी–दर–पीढ़ी चली आ रही लिंग आधारित भूमिकायें इन्हें और दृढ़ करते जाते हैं। किसी व्यक्ति की निर्दिष्ट लिंग; जेंडर पहचान को परखने तथा निर्धारित करने हेतु इन्हें कसौटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लोग, अनजाने ही समाज की सहमति तथा स्वीकृत पाने के लिये समाज द्वारा स्वीकृत जेंडर भूमिकायें निभाते चले जाते हैं। यह जेंडर पहचान ही है, जो पुरुष तथा महिला के बीच में असमानता पैदा करती है। सामाजिक ढाँचे, संस्कृति तथा संस्थान इन अन्तरों पर ज़ोर देते हैं। किसी भी व्यक्ति की परवरिश निर्धारित करती है, कि वह कैसे बड़ा होगा और क्या बनेगा।

सामाजीकरण की यही प्रक्रिया है, जो लड़के तथा लड़कियों और पुरुष तथा महिलाओं के लिये अलग–अलग भूमिकायें निर्धारित करती है। व्यक्तियों पर आचार–व्यवहार के कुछ नियम लाद दिये जाते हैं। उदाहरण के लिये, लड़कियों पर बिल्कुल बचपन से ही पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। आरंभिक बचपन के अनुभव ही व्यक्ति की आत्म–अनुभूति को बढ़ावा देते हैं। आनुवंशिकता तथा माहौल, दोनों मिलकर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। लड़कियाँ कैसे रहें, क्या करें, किधर जायें और उनकी सैक्सुऐलिटी उनके माता–पिता तथा रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित की जाती है। दूसरी तरफ, लड़कों को अपनी मर्दानगी दिखाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

हम इन भूमिकाओं से न तो असहमत होते हैं और न ही कभी इन पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि समाज अपनी अप्रसन्नता इतने कड़े ढंग से दिखाता है, कि हम इन मानकों को स्वाभाविक तथा जन्मजात मान कर स्वीकार कर लेते हैं। वयस्क जीवन में जेंडर एक भिन्न रूप ले लेता है, जो उन संदर्भों तथा संबंधों पर आधारित होता है, जो पुरुष तथा स्त्री के बीच मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि कैरियर विकल्प भी लिंग आधारित रूढ़ियों द्वारा निर्देशित होते हैं। जेंडर हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में घर कर जाता है और संसाधनों तक हमारी पहुँच पर भी असर डालता है। यह घर के भीतर तथा बाहर श्रम विभाजन को भी प्रभावित करता है। श्रम विभाजन सामाजिक तौर पर किया जाता है और यह हरेक की परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है। सामाजिक–राजनीतिक तथा आर्थिक घटक जैसे हानिकारक घटक किसी सामाजिक व्यवस्था में पुरुष तथा महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका तय करने में निर्णायक होते हैं। लिंग आधारित भूमिकायें समय के साथ बदल सकती हैं।

लिंग आधारित रूढ़ियाँ हर जेंडर की भूमिकाओं का सामान्यीकरण है। लिंग आधारित भूमिकायें आमतौर पर न तो सकारात्मक होती हैं और न ही नकारात्मक, यह केवल स्त्री तथा पुरुष की विशेषताओं का वर्गीकृत सामान्यीकरण होता है। चूँकि, हर व्यक्ति की अपनी अलग इच्छायें, विचार तथा भावनायें होती हैं, जिनसे उनके जेंडर का कोई लेना–देना नहीं होता, ये रूढ़ियाँ बिल्कुल एकतरफ़ा हैं और किसी भी जेंडर के हर व्यक्ति की विशेषतायें नहीं दर्शाती।

नीचे पुरुष तथा महिलाओं को लेकर कुछ आम लिंग आधारित रूढ़ियों की सूची दी गई है। याद रहे, ये रूढ़ियाँ हैं, क्योंकि ये हर महिला तथा हर पुरुष पर लागू होने का दावा करती हैं।

महिलाओं को लेकर लिंग आधारित रूढ़ियाँ

क्या आपने कभी किसी छोटी बच्ची को घर–घर खेलते देखा है? पाँच–छः साल की उम्र में भी उसे मालूम होता है, कि जब उसका पति काम पर जायेगा, तो उसे घर पर बच्चे के साथ रहना है और शाम को जब तक वह घर लौटे उसे रात का खाना तैयार रखना है। यहाँ रूढ़ी यही हैः औरतें घर पर रहती हैं, जबकि मर्द काम पर जाते हैं।

कुछ अन्य रूढ़ियों में शामिल हैं:

- महिलायें पुरुषों जितनी ताकतवर नहीं होतीं
- महिलाओं को पुरुषों से कम कमाना चाहिये
- घर पर रहने वाली मातायें ही सबसे अच्छी औरतें होती हैं
- महिलाओं को कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होती
- महिलायें खेल नहीं खेलतीं
- महिलायें राजनीतिज्ञ नहीं होतीं
- महिलायें पुरुषों से ज़्यादा शांत होती हैं और उन्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिये
- महिलाओं को आज्ञाकारी होना चाहिये और जो कहा जाये वह करना चाहिये

- महिलाओं को खाना पकाना होता है और घर का काम करना होता है
- बच्चे पालना महिलाओं की ज़िम्मेदारी होती है
- महिलायें तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं होतीं और वे कार मरम्मत जैसी प्रायोगिक परियोजनाओं में अच्छी नहीं होतीं
- महिलाओं को अबला नारी बनकर रहना चाहिये, बहादुरी नहीं दिखानी चाहिये
- महिलाओं को दिखने में खूबसूरत होना चाहिये
- महिलाओं को गाना और नाचना पसंद होता है
- महिलायें वीडियो गेम्स नहीं खेलती
- महिलायें अपने सौंदर्य से पुरुषों को रिझाती हैं
- महिलायें कभी प्रभारी / इंचार्ज नहीं होतीं

पुरुषों से संबंधित रूढ़ियाँ

पुरुषों को मुश्किल काम करने होते हैं, कोई भी काम जिसमें मांसपेशियों की ज़रूरत होती है। उन सभी को काम पर जाना होता है और अपने परिवार को पालना होता है। छोटे लड़के यह देखते हैं और इस प्रकार यह रूढ़ीवादिता ज़ारी रहती है।

अन्य लिंग आधारित रूढ़ियाँ जो सभी पुरुषों को गलत ढंग से चित्रित करती हैं:

- सभी पुरुषों को कारों में दिलचस्पी होती है
- पुरुष नर्स नहीं होते, वे डॉक्टर होते हैं
- पुरुष ''कठिन कार्य'' करते हैं, जैसे निर्माण तथा मैकेनिक, वे सेक्रेट्री, टीचर या ब्यूटीशियन नहीं होते
- पुरुष घर का काम–काज नहीं करते, बच्चों की देखभाल उनकी ज़िम्मेदारी नहीं होती
- पुरुष वीडियो गेम खेलते हैं
- पुरुष खेल खेलते हैं
- पुरुषों को आउटडोर गतिविधियाँ पसंद होती हैं, जैसे – कैंपिंग, फिशिंग तथा हाइकिंग
- पुरुष इंचार्ज होते हैं, वे हमेशा सर्वोच्च पद पर होते हैं
- पति के रूप में पुरुष अपनी पत्नियों को बताते हैं, कि क्या करना है
- पुरुष आलसी और/ या अस्तव्यस्त होते हैं
- पुरुष गणित में अच्छे होते हैं
- विज्ञान, इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी क्षेत्रों में काम करने वाले हमेशा पुरुष ही होते हैं
- पुरुष खाना नहीं पकाते, सिलाई–कढ़ाई या बुनाई नहीं करते

जिन महिलाओं या पुरुषों को आप जानते हैं, उनके लिये ये बाते वास्तव में कितनी सही हैं? हो सकता है, कि ये खुद आपके लिये बिल्कुल सही हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कि ये दुनिया की हर महिला या हर पुरुष के बारे में सही हो। इसीलिये ये रूढ़िवाद है, क्योंकि वास्तविकता यह है, कि ये चीजें ''मानक / कसौटी'' मानी जाती हैं और हर पुरुष या महिला से इन्हीं के अनुसार व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। हर व्यक्ति भिन्न होता है और अगर कोई महिला कारोबार चलाती है और कोई पुरुष बच्चों की देखभाल के लिये घर पर रहता है, तो यह बात भी बिल्कुल सामान्य है। उसी तरह किसी पुरुष का नर्स होना, खेलों को नापसंद करना और खाना पकाना पसंद करना भी पूरी तरह से स्वीकार्य है।

स्त्री तथा पुरुष इंसान हैं, वे केवल नर या मादा होने से कहीं ज़्यादा है। हमारा जेंडर हमारी पहचान का केवल एक हिस्सा है, एक इंसान के रूप में यह हमें परिभाषित नहीं करता।

फैसिलिटेटर (नीचे दिया गया या कोई और) किस्सा सुना सकते हैं, और प्रतिभागियों के सोच–विचार के लिये चर्चा को ज़ोरदार प्रश्नों के साथ समाप्त कीजिये।

एक रात 'डी' तथा 'ई' एक सुनसान सड़क से गुज़र रहे थे। अचानक उन्हें एक चोर ने रोक लिया, उन्हें चाकू दिखाया और सख़्त आवाज़ में उनसे अपने सारे पैसे निकालकर उसे दे देने को कहा। डी ने विपरीत दिशा में भागना शुरु कर दिया, जबकि ई ने चोर का हाथ पकड़ा और उसे एक ज़ोर का मुक्का मारा, चोर के हाथ से चाकू गिर गया। चोर चाकू वहीं छोड़ भाग निकला।

याद रखने योग्य बातें:

- फैसिलिटेटर यह सुनिश्चित करे कि गतिविधि में सभी प्रतिभागी सक्रिय हों और हर प्रतिभागी को गतिविधि में हिस्सा लेने और गतिविधि के बाद होने वाली चर्चा में अपना दृष्टिकोण रखने का कम से कम एक मौका ज़रूर मिले।
- जैसे ही या जब भी प्रतिभागियों के मन में कोई प्रश्न उठे, उसे दूर करें
- गतिविधियों का उद्धेश्य प्रतिभागियों को शामिल करना और उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है।

अभ्यास सामग्री संख्या 5
पितृसत्ता को समझना

उद्धेश्यः पितृसत्ता की अवधारणा से परिचय कराना और इसकी गहरी समझ विकसित करना

पितृसत्ता के विषय पर आप दो बैठकें आयोजित कर सकते हैं। पहली बैठक में इसकी अवधारणा तथा संरचना समझाई जा सकती है और दूसरी बैठक में इस अवधारणा की और गहरी समझ दी जा सकती है।

पितृसत्ता / पुरुष प्रधानता से परिचय

समयः 1 घंटा 30 मिनट

विधिः एक लॉटरी टिकिट निकालना

साधनः दो अलग–अलग रंगों के कागज़ के टुकड़े (हर प्रतिभागी के लिये एक)

प्रक्रियाः
हर लड़की तथा लड़का किसी बॉक्स या हैट में से एक लॉटरी टिकिट निकालेगा और उनके टिकिट के रंग के आधार पर उन्हें दो समूहों में बाँट दिया जायेगा। एक समूह सारे अच्छे–अच्छे काम करेगा ;संगीत सुनना, बातें करना, कम्प्यूटर पर खेलना इत्यादि, जबकि दूसरा समूह सारे अच्छे न लगने वाले काम करेगा ; स्कूल की बेंचों से कूड़ा निकालना, धूल साफ़ करना, ब्लैकबोर्ड साफ़ करना इत्यादि । 15 मिनट के बाद वे बैठ जायेंगे और चर्चा करेंगे।

चर्चाः
पहले समूह के लड़के–लड़कियों को कैसा लगा? दूसरे समूह के लड़के–लड़कियों को कैसा लगा? काम का ये विभाजन क्या न्यायपूर्ण था? क्या पहला समूह ऐसा कुछ कर सकता है, जिससे दूसरे समूह को अच्छा लगे? और क्या वे मदद करना चाहेंगे? उन्हें मदद क्यों करनी चाहिये? हम बच्चों को यह समझने के लिये प्रेरित करते हैं, कि अच्छा सह–अस्तित्व संभवतः तभी हो सकता है, जब हर समूह को ''सन्तुष्ट'' महसूस करने का मौका मिले। इस गतिविधि के साथ यह बेहद ज़रूरी है, कि बच्चों के पास अपनी भूमिका से बाहर निकल आने का पर्याप्त समय हो और उन्हें इस बात के लिये कोई दुख न महसूस हो।

पितृसत्ता क्या है?

पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें पुरुष महिलाओं पर हावी रहते हैं। पितृसत्ता मानवों के नर तथा मादा के रूप में विभाजन पर आधारित है। यह विभाजन पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठतर आँकता है। इसलिये, प्रभुत्व, भेदभाव तथा शोषण इसके परिणाम होते हैं।

परिवार में महिलाओं की गतिविधि उसके पति के काम तथा कारोबार से नियंत्रित होती है। पितृसत्ता का महत्वपूर्ण आधार महिला की श्रम शक्ति पर पुरुष का नियंत्रण है। यह नियंत्रण आर्थिक दृष्टि से उत्पादक संसाधनों से महिलाओं को दूर रख कर तथा उनकी सेक्सुएलिटी को प्रतिबंधित करके रखा जाता है। पुरुष महिलाओं से अपने निजी कार्य तथा सेवा करवा

कर अपने स्वामित्व का प्रदर्शन करते हैं, घर के काम–काज करने तथा बच्चे पालने से बच कर, सैक्स के लिये औरतों के शरीर पर अपना अधिकार समझ कर और ताकतवर होकर तथा स्वयं को ताकतवर महसूस करके वे महिलाओं पर अपना नियंत्रण चलाते हैं।

पितृसत्ता का शब्दिक अर्थ है, पिता की सत्ता, जो कि असल में एक विशिष्ट प्रकार के पुरुष प्रधान परिवार का वर्णन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में, इस शब्द का तात्पर्य ज़्यादातर पुरुष प्रधानता तथा उन शक्ति संबंधों से होता है, जिनसे पुरुष महिलाओं पर अपना वर्चस्व रखते हैं और इस शब्द से वह प्रणाली प्रतिबिम्बित होती है, जिसमें महिलाओं को कई तरीकों से आधीन रखा जाता है। पितृसत्ता का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जो महिलाओं को निजी तथा सार्वजनिक, दोनों ही क्षेत्रों में वश में रखती है। इस सामाजिक व्यवस्था से यह धारणा जुड़ी हुई है, कि पुरुष महिला से श्रेष्ठ है, महिलाओं को पुरुष द्वारा नियंत्रित किया जाता है और किया जाना चाहिये और महिलायें पुरुष की सम्पत्ति हैं। यही धारणा हमारे कई धार्मिक कानूनों और उन सभी धार्मिक प्रथाओं का आधार भी हैं, जो महिलाओं को घर की चार–दीवारी में क़ैद रखते हैं और उनके जीवन को नियंत्रित करते हैं।

परवशता ;जैसे भेदभाव, अनादर, बेइज़्ज़ती, नियंत्रण, शोषण, हिंसा जो महिलायें रोज़ महसूस करती हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग से संबंध रखती हो कई रूप ले लेती है, और केवल परिवार में ही नहीं, काम करने की जगह तथा समाज में भी।

महिलाओं पर पुरुष प्रधान संस्कृति का प्रभाव

पुरुष प्रधानता महिलाओं की उपलब्धि में बाधा उत्पन्न करती है। उन्हें सिर्फ़ उतनी ही उपलब्धियाँ हासिल करने दी जाती हैं, जितने में उनके अभिभावकों अथवा पति की उम्मीदों के साथ कोई द्वन्द न हो। महिलाओं से क्या उम्मीद की जाती है, ये विभिन्न तरीकों से उजागर कर दिया जाता है, जैसे उन्हें शादी को अपना लक्ष्य बनाये रखने के लिये प्रोत्साहित करना। बौद्धिक रूप से सक्षम महिलाओं के प्रति द्वेष या मिली–जुली भावनायें रखी जाती हैं, खासतौर से उन संदर्भों में, जहाँ पुरुषों से खुला मुकाबला या तुलना हो रही होती है। क्योंकि महिलायें केवल अपने घर और घर में उन्हीं कामों तक सीमित होती हैं, जो उनकी परम्परागत भूमिकाओं से मेल खाते हैं, उनकी क्षमतायें बहुत सीमित हो जाती हैं। दूसरी तरफ़, जो महिलायें इन परिस्थितियों से आगे निकल गई हैं और समाज द्वारा परम्परागत रूप से पुरुषों के साथ जोड़े जाने वाले कामों में अपने–आप को साबित कर चुकी हैं, उनकी आमतौर पर हँसी उड़ाई जाती है, उन्हें मान्यता नहीं दी जाती।

पितृसत्ता की उत्पत्ति

जब धरती पर पहले–पहल जीवन शुरु हुआ तो जो भी जिस जनजाति के पास होता था, वो सभी का साझा होता था। खाना, पानी, भूमि तथा पशु जैसे सभी संसाधन पर सभी का बराबर का हक था। वर्गों का किसी भी तरह से विभाजन नहीं था, इसलिये कोई भी शासक वर्ग नहीं था और न ही कोई राज्य था। पुरुष बड़े जानवरों का शिकार करते थे, जबकि महिलायें खाने योग्य वनस्पति एकत्र करती थीं और छोटे जानवरों का शिकार करती थीं। चूँकि, महिलायें एक जगह में ज़्यादा समय तक रहती थीं, वे कई चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर लेती थीं, जैसे पेड़–पौधे उगाना; जिससे खेती का जन्म हुआ, घरेलू उपयोग के लिये जानवर पालना, ज़हरीले तथा चिकित्सा की दृष्टि से उपयोगी पौधों का पता लगाना।

बच्चे किसी भी जनजाति की सबसे बड़ी संपदा थे, निजी सम्पत्ति की अवधारणा ने अब तक जन्म नहीं लिया था इसलिये जायदाद किसी के पास नहीं होती थी। बच्चे बड़े होकर अपने कबीले की शक्ति बढ़ाया करते थे और जो कि जीवित रहने

के लिये प्रकृति अथवा अन्य कबीलों से होने वाले युद्ध में अपने समूह की मदद किया करते थे। केवल माताओं को ही पता होता था, कि उनके बच्चे कौन से हैं, क्योंकि यौन संबंध केवल एक से ही बनाये जाने का चलन तब तक नहीं था। बच्चों का पता उनकी माता के वंश से लगाया जाता था, न कि पिता के वंश से, जिसका उन्हें पता ही नहीं होता था। इसे मातृसत्ता कहा जाता था और समाज की इस व्यवस्था को मातृवंशीय। विश्व के कई हिस्सों – जैसे अफ्रीकी देशों की जनजातियों, मेघालय के खासी तथा गारो जनजाति, केरल के नायर तथा मापिल्ले इत्यादि में समाज का यह रूप अब भी मौजूद है।

मातृवंशीय तथा पितृवंशीय समाज में अन्तर

मातृवंशीय समाज	पितृवंशीय समाज
व्यक्ति उसी वंश का माना जाता है, जिस वंश से उसकी माँ ताल्लुक रखती है	व्यक्ति उसी वंश का माना जाता है, जिस वंश से उसका पिता ताल्लुक रखता है
सम्पत्ति परिवार की स्त्री वंशज को जाती है / एक स्त्री से दूसरी स्त्री को जाती है और उस पर उन्हीं का अधिकार होता है	सम्पत्ति परिवार के पुरुष वंशज को जाती है / एक पुरुष से दूसरे पुरुष को जाती है और उस पर उन्हीं का अधिकार होता है
पुत्र के बच्चे उसकी माँ के परिवार के सदस्य नहीं होते, क्योंकि वे अपने पिता के वंश का नाम नहीं अपना सकते	पुत्री के बच्चे उसके पिता के परिवार के सदस्य नहीं होते, क्योंकि वे अपनी माँ के वंश का नाम नहीं अपना सकते
आमतौर पर पति अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल में रहता है	पत्नी अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहती है

मातृसत्ता ने पुरुष तथा स्त्रियों को समान बना दिया। पौधे लगाने तथा पशु प्रजनन की योग्यता विकसित कर लेने के बाद, लोगों ने एक परिवार की ख़पत से ज्यादा उत्पादित करना शुरु कर दिया। साथ ही विवाह संस्था का जन्म हुआ – एक के एक से वैवाहिक संबंध स्थापित हुये। अब पुरुषों को मालूम होना शुरु हुआ कि उनके बच्चे कौन से हैं, इससे एक परिवार व्यवस्था की शुरुआत हुई। एक बिल्कुल नई व्यवस्था ने जन्म लिया जहाँ स्त्रियाँ घर और बच्चों को सँभानने लगी ओर पुरुष बाहरी कामों में लग गए ।

ज्यादा उत्पादन के चलते वर्ग बनने लगे, जिनके पास अधिक था वे मालिक बन गये और दासों के स्वामी हो गये और जिनके पास कम या बिल्कुल नही था, वे दास बन गये। निजी सम्पत्तियाँ विकसित होने लगीं। दास तथा औजार सबसे बड़ी सम्पत्ति मानी जाने लगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन में ये दोनों ही काम आते थे। कृषि तथा पशु–पालन के क्षेत्र में बेहतर तकनीकी आ जाने से और अधिक उत्पादन होने लगा।

चूँकि, पुरुषों के पास दास थे और उन्होंने औजार उत्पन्न किये, उन्होंने अपनी इन सम्पत्तियों पर अपना स्वामित्व बनाये रखा। और अब, क्योंकि वे जानते थे, कि उनके बच्चे कौन हैं, अपनी सम्पत्ति अपने बच्चों को सौंपने की प्रथा शुरु हो गई। उन्होंने अपनी सम्पत्ति अपने पुत्रों को सौंपनी शुरु की और ऐसा शुरु होने पर पितृसत्ता स्थापित हो गई – विरासत का अधिकार, अपनी सम्पत्ति सौंपने तथा प्राप्त करने का अधिकार, परिवार के भीतर फैसले लेने का अधिकार। इस प्रक्रिया के ज़रिये समाज में धीरे–धीरे "स्त्री–पुरुष समानता"; जहाँ स्त्री तथा पुरुष समान शर्तों पर अपना जीवन जीते थे, से एक ऐसी

व्यवस्था की ओर आ गया, जिसमें पुरुष की पहुँच तथा शक्तियाँ अधिक थी और फैसले लेने में उसकी बात के अधिक मायने थे। महिलाओं की स्थिति धीरे–धीरे अधीनस्थ/नीचे की हो गई और पीढ़ी–दर–पीढ़ी होते दमन से धीरे–धीरे उसका दर्जा समाज में असमान हो गया।

पितृसत्ता को समर्थन देने वाली व्यवस्थायें

सामाजिक ढाँचा (उदाहरण के लिये परिवार इत्यादि) : महिलाओं तथा पुरुषों की सामाजिक भूमिकाओं को लेकर एक अलग धारणा – पुरुष को परिवार का मुखिया तथा कमाने वाले के रूप में देखा जाता है और स्त्री को पालने वाली तथा देखभाल करने वाली के रूप में।

राजनीतिक ढाँचा (उदाहरण के लिये सरकार तथा राजनीतिक दल) : महिलाओं तथा पुरुषों को जिस तरह से लिया जाता है और जिस तरह से उन्हें सत्ता तथा अधिकार दिये जाते हैं, उन तरीकों में बहुत फ़र्क है – पुरुषों को राष्ट्रीय तथा उच्च स्तरीय राजनीति में शामिल किया जाता है, जबकि महिलाओं को स्थानीय स्तर, खासतौर से उनकी घरेलू भूमिकाओं से जुड़ी गतिविधियों में शामिल किया जाता है।

शैक्षिक ढाँचा (उदाहरण के लिये स्कूल) : लड़के तथा लड़कियों को दिये जाने वाले अवसर तथा उनसे रखी जाने वाली उम्मीदों में अन्तर – परिवार के संसाधन लड़की की बजाय लड़कों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च किये जाते हैं, लड़कियों को शिक्षा के कम चुनौतिपूर्ण विकल्प चुनने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

आर्थिक ढाँचा (उदाहरण के लिये ऑफिस, व्यापार निगम) : करियर, वित्तीय नियंत्रण तथा अन्य उत्पादक स्रोतों जैसे ऋण, भूमि स्वामित्व इत्यादि तक महिला तथा पुरुषों की पैठ में अन्तर है।

धार्मिक ढाँचा (उदाहरण के लिये चर्च, मंदिर, मस्जिद इत्यादि): सभी धर्मों में महिलाओं को ऊँचा दर्जा दिया गया हुआ है। परंतु इन धर्मों को चलाने वाले/उपदेशक पुरुष हीं हैं जो पितृसत्तात्मक रवैया रखते हैं – धार्मिक संस्थानों में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम महत्वपूर्ण भूमिकायें दी जाती हैं।

पितृसत्ता पर समझ बढ़ाना
समयः 1 घंटा 30 मिनट

गतिविधिः लिंग आधारित भूमिकायें

साधनः एक्टिविटी शीट

प्रकियाः

नीचे दी गई भूमिकायें तथा गतिविधियाँ पढ़ते ही जो पहला ख़्याल प्रतिभागियों के मन में आता है, वह उन्हें दर्ज करना है। इसमें कोई जवाब सही या गलत नहीं है। उन्हें सिर्फ़ विभिन्न भूमिकाओं तथा गतिविधियों के लिये महिला या पुरुष – जो भी उन्हें लगता है, कि ज़्यादातर उस भूमिका में होते हैं या उस गतिविधि को करते हैं – के कॉलम में सही का चिन्ह लगाना है। उन्हें इन भूमिकाओं या गतिविधि के विषय में ज़्यादा सोचने न दें। सूची में आगे बढ़ते जाने को कहें। इस गतिविधि को करने के लिये अधिकतम समय 2 मिनट है। इसके बाद चर्चा करें।

एक्टिविटी शीट

भूमिकायें	पुरुष	महिला
शेफ (प्रधान रसोइया)		
गृहणी		
किसान		
नर्स		
दर्जी		
सामुदायिक नेता		
अकांउटेंट		
देखभाल करने वाला		
संघ का आयोजक		
राजनेता		
उग्रवादी		
परिवार का मुखिया		
पालनकर्ता / कमानेवाला		
गतिविधियाँ	पुरुष	महिला
सिलाई		
भारी वज़न उठाना		
मशीनों का संचालन		
खाना पकाना		
बेचना		
टोकरी बुनना		
बातें करना		
सब्ज़ियाँ उगाना		
आग जलाना		
बजट बनाना		
योजना बनाना		
फैसले लेना		
पानी लाना		

चर्चा

प्रतिभागियों द्वारा दर्ज किये गये जवाबों को समूह के साथ साझा करके फैसिलिटेटर चर्चा शुरु कर सकते हैं। प्रतिभागियों से उनके जवाब का कारण देने को कहा जाये और जवाबों में अन्तर हो तो उसका भी ध्यान रखा जाये।

पितृसत्ता का प्रभावः

परवशता/आधीनता का अहसास तथा अनुभव महिलाओं के आत्म–सम्मान, स्वाभिमान तथा आत्म–विश्वास, नष्ट कर देता है और उनकी महत्वाकांक्षाओं की सीमायें तय कर देता है। अपने–आप को साबित करने के लिये वे जो भी साहसपूर्ण कार्य करती हैं, उसे 'मर्दाना' या 'औरतों को शोभा नहीं देता' कहकर उनकी निंदा की जाती है। जैसे ही वे उनके लिये तय की गई सीमाओं या भूमिकाओं से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, उन्हें बेपरदा/बेशर्म कह दिया जाता है। वे मानक तथा चलन, जो उन्हें पुरुषों से कम बताते हैं, जो उन पर नियंत्रण लगाते हैं, वे हमारे घरों, सामाजिक संबंधों, धर्म, कानून, स्कूल, पाठ्य–पुस्तक, मीडिया, कार्यस्थल, हर जगह मौजूद हैं।

परवशता/आधीनता चंद महिलाओं का नसीब नहीं है, महिलायें नर नियंत्रण की, पितृसत्ता वर्चस्व तथा श्रेष्ठता की एक ऐसी व्यवस्था का सामना करती हैं, जिसमें वे आधीन हैं। यहाँ तक कि पति के लिये प्रयोग होने वाले सभी शब्दों – स्वामी, शौहर, मालिक – के अर्थ भी यही आधीनता प्रकट करते हैं। यह समझना बेहद ज़रूरी है, कि महिलाओं तथा पुरुषों को अलग–अलग भूमिकायें उनके शारीरिक अन्तरों को देखते हुये नहीं दी गई हैं, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था के चलते दी गई हैं, जो यह परिभाषित करती है, कि महिलाओं को क्या–क्या करना चाहिये और पुरुषों को क्या–क्या करना चाहिये।

पितृसत्ता का स्वरूप एक ही समाज के अलग–अलग वर्गों और अलग–अलग समाजों में अलग–अलग होता और हो सकता है। साथ ही, यह अलग–अलग समय पर भी अलग–अलग हो सकता है। इस संबंध में समानता यह है, कि पितृसत्तात्मक बल नियंत्रण में होते हैं, केवल इस नियंत्रण का स्वरूप भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिये, हमारी नानी–दादियों के समय में पितृसत्ता/पुरुष प्रधानता का जो स्वरूप था, वह आज वैसा नहीं हैं, यह आदिवासी महिलाओं तथा एक ऊँची जाति की हिन्दू महिला के लिये भी अलग–अलग होगा, यह भारतीय महिला और विश्व के किसी दूसरे देश की महिला के लिये भी अलग–अलग होगा।

पुरुष प्रधान व्यवस्था में महिलाओं के जीवन के निम्न क्षेत्र आमतौर पर पितृसत्तात्मक स्वरूप के नियंत्रण में होते हैंः

उत्पादकता या श्रम शक्तिः महिलाओं की उत्पादकता को घरेलू तथा घर से बाहर के आमदनी वाले, दोनों ही तरह के कामों में नियंत्रित किया जाता है। घर में महिलायें अपने बच्चों, पति तथा परिवार के अन्य सभी सदस्यों को पूरे जीवन भर निःशुल्क सेवायें उपलब्ध कराती है। इनकी कमरतोड़ तथा अन्तहीन मेहनत को कोई काम समझा ही नहीं जाता और गृहणियों को उनके पति पर निर्भर माना जाता है।

घर से बाहर भी महिलाओं के श्रम को कई तरीकों से नियंत्रित किया जाता है। महिलाओं से ज़बरदस्ती भी काम करवाया जा सकता है और उन्हें काम करने से रोका भी जा सकता है। उनकी कमाई उनसे छीन ली जा सकती है। अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों से महिलाओं को अलग रखा जाता है, उन्हें बहुत कम मेहनताने पर काम करने को मजबूर किया जाता है या घर के भीतर ही काम करने पर मजबूर किया जा सकता है, जिसे 'गृह आधारित उत्पादन'; सबसे ज़्यादा शोषण वाली प्रणाली कहा जाता है। महिलाओं के श्रम पर यह नियंत्रण और उनका शोषण बताता है, कि पुरुष समाज की पुरुष प्रधानता से असल में पुरुष लाभान्वित होते हैं और महिलाओं की आधीनता से वे ठोस धन लाभ प्राप्त करते हैं।

प्रजननः

महिलाओं की प्रजनन शक्ति को भी कई तरीकों से नियंत्रित किया जाता है। कई समाजों में महिलाओं को यह तय करने का अधिकार नहीं है, कि उन्हें कितने बच्चे चाहियें, कब चाहियें, वे परिवार नियोजन के तरीके इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं या वे गर्भपात करा सकती हैं या नहीं, इत्यादि। व्यक्तिगत रूप से पुरुष के नियंत्रण के अलावा पुरुष प्रधानता वाले संस्थान, जैसे चर्च अथवा कुछ देश भी महिलाओं की प्रजनन क्षमता के संबंध में नियम लागू करते हैं। उदाहरण के लिये,

कैथलिक चर्च में पुरुष धार्मिक हाईरार्की (महंत) यह तय करते हैं, कि पुरुष तथा महिलायें जन्म नियंत्रण पद्धतियाँ प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। जनसंख्या वृद्धि दर और जो भी अपेक्षित दर राज्य निर्धारित करता है, उसके आधार पर यह महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिये प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करता है। भारत में हमेशा ही जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित करने के लिये नीति रही है, जबकि स्वीडन जैसे कई देशों में जहाँ जन्म दर बहुत कम है, महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है / इंसेंटिव दिये जाते हैं।

यौन संबंध/सेक्शूऐलिटीः स्त्रियाँ अपने पुरुषों को उनकी आवश्यकता तथा इच्छा के अनुसार यौन सेवायें प्रदान करने के लिये मजबूर की जाती हैं। किसी स्त्री के अपनी शादी से बाहर किसी से यौन संबंध हर समाज में वर्जित हैं, जबकि पुरुष के अनैतिक यौन संबंधों पर आँखें मूँद ली जाती हैं। कुछ स्थितियों में पुरुष अपनी पत्नियों, बेटियों या अन्य किसी भी महिला, जो उनके नियंत्रण में हो, को वेश्यावृत्ति के लिये बाध्य करते हैं। बलात्कार अथवा बलात्कार की धमकी, एक अन्य तरीका है, जिसमें 'शर्म' या 'इज़्ज़त' के नाम पर किसी महिला की सेक्शुऐलिटी पर अधिकार रखा जाता है।

आना–जाना/गतिविधि (मोबिलिटी): महिला की सेक्शूऐलिटी, उत्पादिता तथा प्रजनन पर नियंत्रण रखने के लिये उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने की ज़रूरत होती है। महिलाओं की गतिविधियों पर कई तरह से रोक–टोक लगाई जाती है, जो कि पुरुषों पर नहीं होती। उदाहरण के लिये – परदा करना, दूसरे मर्दों से एक हद तक ही बात करना, वे घर से कब बाहर निकल सकती हैं और कब नहीं, क्यों निकल सकती हैं और क्यों नहीं इत्यादि।

सत्पत्ति तथा अन्य आर्थिक संसाधनः अधिकांश सम्पत्ति तथा उत्पादक संसाधन पुरुषों के नियंत्रण में ही होते हैं और वे एक पुरुष से दूसरे पुरुष को सौंपे जाते हैं, आमतौर पर पिता से पुत्र को। यहाँ तक कि, जहाँ महिलाओं को इस तरह की सम्पत्ति पर कानूनी अधिकार है, वहाँ भी ढेर सारे रीति–रिवाज़, भावनात्मक तथा सामाजिक दबाव उन्हें अपना हक लेने से रोकते हैं।

परिवार, धर्म, शिक्षा प्रणाली, मीडिया तथा कानून का विश्लेषण भी दर्शाता है, कि इन पर पुरुषों का वर्चस्व है। परिवार में पुरुष को परिवार का मुखिया समझा जाता है। यहीं पर बच्चा अपने बड़ो से भेदभाव एवं आधीनता पहला पाठ सीखता है। लड़के अड़े रहना तथा वर्चस्व दिखाना सीखते हैं और लड़कियाँ झुकना तथा असमान व्यवहार स्वीकार करना सीख जाती हैं।

अधिकांश आधुनिक धर्म पुरुष सत्ता को सर्वोपरि मानते हैं। सभी प्रमुख धर्म ऊँची जाति के उच्च–वर्गीय पुरुषों द्वारा समझाये गये हैं तथा इन्हीं के द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं – उन्होंने ही पुरुषों तथा महिलाओं के कर्तव्य तथा अधिकार और उनके बीच के संबंध निर्धारित किये हैं। परिवार, विवाह तथा उत्तराधिकार से जुड़े कानून सम्पत्ति पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण से बहुत नज़दीक से जुड़े हैं। अदालतों, जजों तथा वकीलों का रवैया तथा उनका कानून को समझने का तरीका भी काफी समय तक पुरुष प्रधान ही था। लगभग सभी राजनीतिक संस्थान, सभी स्तरों पर पुरुष प्रधान हैं। संसद में महिलाओं का प्रतिशत दक्षिण एशिया में कभी भी और कहीं भी 10–15 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा। लड़कियों को पढ़ाने की बजाय लड़कों को पढ़ाने पर अधिक ज़ोर है। पाठ्य–पुस्तकों में पुरुष तथा महिलाओं की भूमिका उसी तरह से चित्रित की जाती है, जैसे समाज ने निर्धारित की हुई है, इस प्रकार ये उसे और भी दृढ़ कर देती हैं। मीडिया में पुरुष के उत्कृष्ट और महिला के हीन होने के संदेश लगातार दोहराये जाते हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अक्सर दिखाई जाती है, खासतौर से फिल्मों में। महिलाओं के मुद्दों को पर्याप्त कवरेज नहीं दी जाती और रिपोर्टिंग, कवरेज तथा विज्ञापनों में पक्षपात किया जाता है।

पुरुष प्रधान व्यवस्था में, कुछ महिलायें हैं, जिन्होंने समाज द्वारा उनके लिये निर्धारित की गई सीमायें लाँघी और उच्च पद हासिल किये। लेकिन अधिकांश ने इसी व्यवस्था का अनुकरण करना और बिना कोई सवाल किये इसे स्वीकार कर लेना

सीख लिया। लेकिन चंद महिलायें ऐसी भी हैं, जो डटे रहना और नई भूमिकायें निभाना सीख रही हैं। जो इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेती हैं, वे इसे बनाये भी रखती हैं – उदाहरण के लिये, महिलायें अक्सर अपने बेटों के साथ बेहतर व्यवहार करती हैं, लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखती हैं, उनकी स्वतन्त्रता पर प्रतिबंध लगाती हैं इत्यादि। एक ग्रामीण महिला ने इसे बेहद सटीक ढंग से समझाया। उसने कहा, ''हमारे परिवारों में पुरुष सूर्य जैसे होते हैं, उनके पास अपनी रोशनी होती है ,उनके पास संसाधन होते हैं, वे कहीं भी आ–जा सकते हैं, उन्हें फैसले लेने की स्वतन्त्रता है, इत्यादि। परिवार की महिलायें उपग्रह की तरह होती हैं, उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वे तभी चमकती हैं, जब सूर्य की रोशनी उन्हें छूती है। इसलिये महिलाओं को सूर्य की रोशनी का बड़ा हिस्सा लेने के लिये लगातार एक–दूसरे से मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि इस रोशनी के बिना जीवन नहीं है।''

पुरुषों को लगभग हर जगह ही, पुरुष होने के कुछ फायदे मिलते हैं। लेकिन पुरुष–प्रधानता के कुछ नुकसान उन्हें भी झेलने पड़ते हैं। महिलाओं की ही तरह, उनसे भी कुछ भूमिकायें निभाने और किसी खास तरीके से व्यवहार करने की उम्मीद की जाती और जो व्यवहार में आक्रामक नहीं होते, उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है। जो अपनी पत्नियों का उन काम–काज़ों में हाथ बंटाते हैं, जिन्हें करने की अपेक्षा केवल 'महिलाओं' से ही की जाती है, उनका मज़ाक बनाया जाता है। पुरुषों के पास भी उन भूमिकाओं से बाहर निकलने का विकल्प नहीं है, जो समाज ने उनके लिये निर्धारित कर दी हैं। वे मुश्किल से ही अपने कमाने और परिवार की देखभाल करने की भूमिका से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि, इस अनुभव की तुलना, एक समूह के रूप में महिलाओं की आधीनता से नहीं की जा सकती। उनके साथ शायद ही कभी भेदभाव होता हो और न ही उन्हें वे परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जो महिलाओं को झेलने पड़ते हैं।

यहाँ हमें यह समझने की ज़रूरत है, कि केवल पुरुष ही नहीं, महिलायें भी समाज की पुरुष प्रधान मानसिकता में जकड़ी हुई हैं। इसलिये कई बार महिलायें ही पुरुषों जैसा व्यवहार करती हैं और जाने–अनजाने खुद ही पुरुष प्रधानता को स्वीकार करती हैं। कई बार हमें देखने को मिलता है, कि माँ स्वयं ही अपने बेटे तथा बेटी में भेदभाव करती है या शिशु हत्या के मामले में वह अधिकतर परिवार की महिला सदस्या ही होती है, जो कन्या भ्रूण हत्या में सम्मिलित होती हैं। कई उदाहरणों में देखने को मिलता है, कि पुरुष प्रधानता की आड़ में, संभवतः घर में बेहतर स्थान हासिल करने के लिये, सास ही बहू का उत्पीड़न करती है।

याद रखने योग्य बातें:

- फैसिलिटेटर यह सुनिश्चित कर ले, कि गतिविधियों की योजना पहले से बनी हो
- चर्चायें संवादपूर्ण ढंग से होनी चाहियें
- भाग लेने वालों को चर्चा के दौरान तथा उसके बाद भी अपना दृष्टिकोण तथा धारणायें बताने के लिये प्रोत्साहित करें
- जैसे ही या जब भी प्रतिभागियों के मन में कोई संदेह उठे, उसे दूर करें
- गतिविधियों का उद्धेश्य प्रतिभागियों को शामिल करना और उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है।

अभ्यास सामग्री संख्या 6

सेक्स तथा जेंडर में अन्तर

समयः 1 घंटा

उद्धेश्यः सेक्स तथा जेंडर के अन्तर को समझना

गतिविधिः शब्द श्रृंखला तथा चर्चा

सामग्री : फ्लिप चार्ट / एक पुरुष तथा एक महिला की बड़ी प्रतिमाओं के 2 सेट, विशेषतायें लिखी हुई पर्चियॉ, टेप, वैकल्पिक गतिविधि के लिये दो चार्ट, जिन पर पुरुष तथा महिला शीर्षक लिखा हो, मोटे–मोटे मार्कर

पर्चियों पर निम्न शब्द लिखे जा सकते हैंः

मूछें	जन्म देना	बैंकिंग	खाना पकाना	मसल्स
स्तन	फ्रैंडशिप बैंड	रोएंदार	गुड़िया	खरीदारी
मोटरबाइक	स्कूटर	अपनी शक्ल की परवाह	संवेदनशील	ड्राइविंग
सर्जन	डेंटिस्ट	गहने	शक्ति	सेना
स्टंट डायरेक्टर	साड़ी	कार दुघर्टना	तकनीकी समझ	ताकतवर
ट्रैक्टर	जींस	डांसर	गोरा	स्मार्ट
कमेंटेटर	बच्चे को दूध पिलाना	लम्बे बाल	सिंदूर	घूंघट

प्रकियाः

- प्रतिभागियों को दो समूहों में बाँट दें
- उन्हें बतायें कि कमरे के सामने पर्चियों से भरा एक कटोरा रखा है
- समूह के सदस्यों को उसमें से एक–एक पर्ची उठानी हैं और उनके हिसाब से जिस श्रेणी से उसमें लिखी विशेषता/गुण संबंध रखती है, उस श्रेणी के नीचे उस पर्ची को लगाना है।
- जो टीम सबसे अधिक पर्चियां लगायेगी, वो इस गतिविधि की विजेता होगी।
- गतिविधि समाप्त होने पर उस समूह को विजेता घोषित करना होगा, जिसने सबसे अधिक पर्चियां लगाई हैं।

वैकल्पिक गतिविधिः

प्रक्रियाः

- प्रतिभागियों को दो समूहों में बाँट दें।
- समूहों को पंक्तिबद्ध तरीके से अलग–अलग बिठायें।
- फैसिलिटेटर को क्रमशः 'पुरुष' तथा 'महिला' शीर्षक लिखे दो चार्ट लगाने हैं। एक समूह को 'पुरुष' शीर्षक वाला तथा दूसरे समूह को 'महिला' शीर्षक वाला चार्ट आबंटित करें।

- समूह के सदस्यों को आकर इन पर वह शब्द लिखना है, जो 'पुरुष'/'महिला' शब्द सुनकर उनके दिमाग़ में आता है। दोनों पंक्तियों में सबसे आगे बैठे सदस्य फैसिलिटेटर से संकेत मिलने पर यह खेल शुरु करेंगे। जब सबसे आगे बैठे सदस्य चार्ट पर लिख चुके हों, तो वे पेन पंक्ति के अगले सदस्य को दे देंगे और फिर पंक्ति में सबसे पीछे जाकर बैठ जायेंगे। फैसिलिटेटर रुकने का संकेत देगा।
- जो समूह अधिक शब्द/शब्द समूह लिखेगा, वह विजेता माना जायेगा।

दोनों गतिविधियों के लिये फॉलो अप कीजिये

समूहों ने विशेषतायें लिखी हुई पर्चियां ठीक ढंग से लगाई हैं या नहीं, इसकी एक बार जाँच की जा सकती है।

फैसिलिटेटर प्रतिभागियों पर यह सोचने के लिये ज़ोर डाले, कि क्या 'पुरुष' तथा 'महिला' श्रेणी के अन्तर्गत लगाई गई पर्चियों की अदला–बदली की जा सकती है।

यदि प्रतिभागी इस बात से सहमत होते हैं, कि अदला–बदली की जा सकती है, तो उन पर्चियों की एक अलग सूची बना लें, जिनकी अदला–बदली हो सकती है। उन विशेषताओं की भी सूची बना लें, जिनकी अदला–बदली नहीं की जा सकती।

एक छोटी सी फॉलो अप चर्चा भी की जाये, जिसमें संचालक/फैसिलिटेटर 'जेंडर' तथा 'सेक्स' की विशेषताओं को अलग–अलग करे। जिन विशेषताओं की अदला–बदली की जा सकती हैं, वे 'जेंडर' से संबंधित हैं और जिनकी अदला–बदली नहीं की जा सकती, वे 'सेक्स' से संबंधित हैं।

सेक्स	जेंडर
जीववैज्ञानिक/शारीरिक तौर पर निर्धारित होता है	समाजिक–सांस्कृतिक आधार पर निर्धारित होता है
यह कुदरती होता है और इसका तात्पर्य लड़के तथा लड़की के यौन अंगों में दिखने वाले अन्तर और उनमें पाये जाने वाले प्रजनन संबंधी अन्तर से होता है।	यह समाज द्वारा पैदा किया जाता है, इसलिये सीखा तथा सिखाया जाता है।
यह स्थिर होता है – हर जगह समान ही रहता है।	यह परिवर्तनशील होता है – समय–समय पर बदलता रहता है, अलग–अलग संस्कृतियों में अलग–अलग होता है, यहाँ तक कि एक परिवार से दूसरे परिवार में भी बदल जाता है।
इसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता	इसे वर्गीकृत किया जा सकता
इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता	इसे इसलिये आसानी से बदला जा सकता है।

जेंडर क्या है?

लोग नर या मादा के रूप में पैदा होते हैं और उनके कुछ अंग उनका सेक्स निर्धारित करते हैं। हर लड़के का एक शिश्न होता है और वीर्यकोष होते हैं और वह बड़ा होकर पुरुष बनता है। थोड़े–बहुत शारीरिक भेदों को छोड़ दें, तो पुरुष तथा स्त्री भिन्न नहीं होते। केवल उनके यौन तथा प्रजनन अंग भिन्न होते हैं। *जीववैज्ञानिक अथवा शारीरिक बनावट या अन्तर को सेक्स कहते हैं*। ये जीववैज्ञानिक अथवा शारीरिक अन्तर प्रकृति द्वारा रचे गये हैं, इसलिये हर परिवार, समुदाय या देश में समान हैं। इस प्रकार शारीरिक तौर पर एक लड़का दुनिया की हर जगह पर एक जैसा होगा और लड़की भी दुनिया के

हर कोने में एक समान ही होगी। कभी–कभी कुछ शारीरिक विषमताओं के कारण इनमें कुछ असमानता हो सकती है, जो कि बिरले ही होता है। उदाहरण के लिये – किसी स्त्री में हो सकता है कि गर्भाशय न हो, और किसी पुरुष में हो सकता है, कि एक ही वीर्यकोष हो।

स्त्री–पुरुष में अन्य अन्तर कपड़ों, व्यवहार, शिक्षा, समाज का उनके प्रति रवैये का होता है और ये सारे अन्तर सामाजिक अथवा सांस्कृतिक हैं, प्राकृतिक नहीं हैं। इसीलिये, ये सामाजिक या सांस्कृतिक अन्तर सभी परिवारों और सभी समाजों में एक जैसे नहीं होते। उदाहरण के लिये, कुछ स्त्रियों के बाल लम्बे होते हैं, कुछ के छोटे हो सकते हैं, कुछ परिवारों में पुरुष घर के काम–काज़ों में मदद करवा सकते हैं, कुछ में नहीं। कुछ औरतें घर–परिवार के भीतर ही काम करती हैं और कुछ बाहर जाकर काम करती हैं। *पुरुष तथा महिला के बीच इन सामाजिक तथा सांस्कृतिक भेदों को जेंडर कहते हैं*। उदाहरण के लिये, यह हमें समाज सिखाता है, कि पुरुष ताक़तवर होते हैं और इसलिये भारी वज़न उठा सकते हैं, जबकि महिलायें नाजुक होती हैं। समाज इस बात पर भी ज़ोर देता है, कि स्त्रियों के बाल लम्बे होने चाहियें और पुरुषों को बाल छोटे रखने चाहियें। जेंडर में ये अन्तर प्रकृति ने नहीं बनाये। प्रकृति नर और मादा उत्पन्न करती है, जबकि समाज उन्हें पुरुष तथा स्त्री बना देता है।

यह समझने के लिये कि सामाजीकरण विभिन्न संस्कृतियों में पुरुष तथा महिलाओं को प्रेरित तथा प्रभावित करता है, उन पर विभिन्न भूमिकायें निभाने हेतु दबाव डालता है, विभिन्न आवश्यकतायें विकसित करता है और विभिन्न बाधायें उत्पन्न करता है, हमें सेक्स तथा जेंडर के बीच का अन्तर समझाना ज़रूरी है।

अधिकांश समाजों में पुरुष को परिवार का मुखिया, पालनकर्ता, मालिक तथा सम्पत्तियों का प्रबंधन करने वाला समझा जाता है। ये राजनीति, धर्म, कारोबार तथा व्यवसायों में सक्रिय होते हैं। महिलाओं का सामाजीकरण किया जाता है और उन्हें घर तथा बच्चों की देखभाल करनी, शिशुओं तथा वृद्धों की सेवा–सुश्रूषा और घर के सारे काम करने सिखाये जाते हैं। भूमिकाओं तथा ज़िम्मेदारियों का यह विभाजन परिवार तथा समाज स्तर पर उनके सामाजीकरण का निर्धारण करता है। क्योंकि, पुरुषों को कमाने तथा सम्पत्तियों का प्रबंधन करने की भूमिका दी गई है, उनके हाथ में शक्तियाँ हैं, जबकि महिलाओं को अधीनस्थ भूमिकायें दी गई हैं। यही भूमिकायें तथा ज़िम्मेदारियाँ पुरुष तथा महिलाओं, लड़के तथा लड़कियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार में तब्दील हो जाते हैं। इससे हमारे देश का लिंग अनुपात भी प्रतिबिम्बित होता है। हमारे देश में पुरुषों की तुलना में महिलायें कम हैं। क़ायदे से, प्रकृति के नियम के अनुसार, स्थिति इससे उलट होनी चाहिये।

कुछ ज़ाहिर सा भेदभाव, जो हम देखते हैं:

- लड़कियों को लड़कों के मुकाबले कम खिलाया जाता है
- महिलायें आमतौर पर सबसे आख़िर में तथा सबसे कम खाती हैं
- लड़कों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि लड़कियों को शादी करके परिवार की ज़िम्मेदारी लेने को कहा जाता है

जेंडर पुरुष तथा महिलाओं के बीच असमानता पैदा करता है। समाज यह तय करता है, कि पुरुष शक्तिशाली होते हैं और महिलायें शक्तिहीन। प्रकृति असमानता पैदा नहीं करती, प्रकृति केवल प्रजनन के लिये अलग–अलग अंग प्रदान करती है। असमानतायें, वर्गीकरण, रिवाज़ समाज द्वारा बनाये जाते हैं, अर्थात् हमारे द्वारा। गरीब तथा अमीर में भेदभाव, ब्राह्मण तथा शूद्र में भेदभाव, पुरुष तथा महिला में भेदभाव समाज द्वारा पैदा किया गया है, प्रकृति या ईश्वर द्वारा नहीं। महिलाओं तथा

पुरुषों में समानतायें उजागर करने की बजाय समाज तथा संस्कृतियाँ हमेशा असमानताओं पर ज़ोर देते रहे हैं। इन्हीं असमानताओं के चलते पुरुष तथा महिलाओं में तनाव तथा द्वन्द पैदा हुआ है।

लोग अनजाने ही इन असमानताओं पर सवाल उठाये बिना अपनी ज़िन्दगियाँ जिये चले जाते हैं। ये इन्हें स्वीकार कर लेते हैं, इन्हें दोहराते हैं और इन्हें ज़ारी रखते हैं। इन असमानताओं पर सवाल उठाने से बदलाव लाने में मदद मिलेगी। क्योंकि जेंडर सामाजिक है, हम सब के द्वारा बनाया गया। हम अगर चाहें, तो इसे बदल भी सकते हैं, पुरुष तथा महिला की नई परिभाषायें बना कर। हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ लड़की होने का मतलब हीन या कमज़ोर होना नहीं होगा, जहाँ लड़का होने का मतलब कठोर या हावी होना नहीं होगा।

सच्चाई यह है, कि पुरुष तथा महिलायें जो चाहें वह पहन सकते हैं, खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं और वे जैसे चाहे बड़े हो सकते हैं। आपके पास एक औरत का शरीर है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें घर के काम–काज करने हैं और दूसरों की देखभाल करनी है और उसी तरह एक पुरुष का शरीर होने से निडरता, बुद्धिमानी या शक्ति सुनिश्चित नहीं होती। ये सभी गुण सीखे जाते हैं। वो हमारी परवरिश होती है, जो यह तय करती है, कि हम कैसे बड़े होंगे और क्या बनेंगे।

यदि हम चाहें, तो एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ भूमिकायें, ज़िम्मेदारियाँ, गुण तथा व्यवहार का जेंडर, जाति, वर्ग तथा समुदाय से कोई लेना–देना न हो। एक समाज जहाँ हरेक को अपनी भूमिका स्वयं चुनने का अधिकार हो, अपनी प्रतिभा विकसित करने का अधिकार हो और अपनी मनपसंद ज़िन्दगी जीने का अधिकार हो।

प्रतिभागियों में सबसे आम भ्रांति मातृत्व की भूमिका को लेकर है, जो व्यावहारिक सुविधा के आधार पर समाज द्वारा थोपी गई ज़िम्मेदारी है। व्यावहारिक रूप से यही सबसे आसान था, कि निजी क्षेत्र की सभी भूमिकायें स्त्री को सौंप दी जायें और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिकायें पुरुष लें। इसका अर्थ यह नहीं, कि यह पुरुष तथा स्त्री की योग्यताओं तथा क्षमताओं पर आधारित था। हालांकि, यह सही है, कि पुरुषों में बच्चे को जन्म देने तथा उसे स्तनपान कराने की शारीरिक क्षमता नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि उनमें लालन–पालन के अन्य कौशल (बच्चे को खाना खिलाना, उसके डायपर/नैपी/कपड़े बदलना, लोरी सुनाना) भी शारीरिक रूप से मौजूद नहीं होते। मुख्य कारण यह है, कि उनके पास वह अनुभव और धैर्य नहीं होता, जो बच्चे के पालन–पोषण के लिये चाहिये होता है। दूसरी तरफ़, लड़कियाँ यह बात स्वीकार करते हुये ही बड़ी होती हैं, कि बच्चे पालना उनकी ज़िम्मेदारी होगी, इसलिये वे यह भूमिका लेने को तैयार होती हैं और बच्चे की देखभाल करना सीख लेती हैं।

चर्चा में अन्य सहायक लोगों (बड़ी–बूढ़ी औरतें) की भूमिका पर प्रकाश डालें और बतायें कि स्त्री को भी पालन–पोषण कौशल सीखना पड़ता है। स्त्रियों को भी बच्चों की देखभाल करना स्वाभाविक रूप से नहीं आता। माँ बनने के बाद उन्हें उन बड़ी–बूढ़ी औरतों से सहायता तथा मार्ग–दर्शन की आवश्यकता होती हैं, जिन्हें पहले से यह अनुभव है और साथ ही यह कौशल सीखने के लिये उन्हें काफ़ी धैर्य की भी ज़रूरत होती है। पश्चिमी देशों में, जहाँ सहायता तथा मार्ग– दर्शन के लिये आमतौर पर अन्य बड़े–बूढ़े साथ नहीं होते, अधिकांश अभिभावक ,स्त्री तथा पुरुष, दोनों एक साथ लालन–पालन कौशल सीखते हुये देखे जाते हैं।

पालन–पोषण पर चर्चा के दौरान, ज़ोर देने योग्य प्रमुख बात यह है, कि बच्चे को जन्म देना जीववैज्ञानिक है, जो कि केवल स्त्री कर सकती है, लेकिन बच्चे को पालना जेंडर है, जिसकी योग्यता पुरुष तथा महिला, दोनों के पास होती है या इस भूमिका को निभाने के लिये वे इसे हासिल कर सकते हैं।

याद रखने योग्य बातें:

- फैसिलिटेटर यह सुनिश्चित कर ले, कि गतिविधियाँ करने के लिये जगह पर्याप्त हो
- चर्चायें संवादपूर्ण ढंग से करें
- भाग लेने वालों को चर्चा के दौरान तथा उसके बाद भी अपना दृष्टिकोण तथा धारणायें बताने के लिये प्रोत्साहित करें
- जैसे ही या जब भी प्रतिभागियों के मन में कोई संदेह उठे, उसे दूर करें
- गतिविधियों का उद्धेश्य प्रतिभागियों को शामिल करना और उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है।
- समाज में बदलाव लाने के लिये युवाओं की सक्रिय भागीदारी के महत्व पर ज़ोर देना ज़रूरी है
- जिन भागीदारों ने पिछली दो बैठकों में हिस्सा लिया है, उनका रिकॉर्ड रखा जाना तथा जो नये सदस्य पहली बार बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें रजिस्टर किया जाना बेहद ज़रूरी है।

(अन्य पठन सामग्री : व्हॉट इज़ अ बॉय? व्हॉट इज़ अ गर्ल? लेखिका – कमला भसीन)

अभ्यास सामग्री संख्या–7

सहभागी प्रशिक्षण क्या है?

- सहभागी प्रशिक्षण (पार्टिसिपेट्री ट्रेनिंग) एक शिक्षात्मक हस्तक्षेप है। यह युवाओं को, खासतौर से लड़कियों को, अपनी असहाय, आज्ञाकारिता तथा हीनता की उन भावनाओं का कुछ हल निकालने की प्रेरणा देता है, जिनके चलते वे नियंत्रण तथा अन्याय को स्वीकार करती हैं।
- सहभागी प्रशिक्षण पद्धतियाँ, जहाँ एक ओर व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव लाने में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, वहीं ये व्यक्तियों के समूहों में समाज की वास्तविकता को समझने तथा बदलने के महत्व पर भी ज़ोर देती हैं।
- चलन दर्शाता है, कि संगठित होकर पता लगाने तथा निर्णय लेने से व्यक्ति बदलाव को ज़्यादा आसानी से स्वीकार करते हैं।
- युवाओं को प्रशिक्षित करने में सहभागी प्रशिक्षण के प्रयोग का महत्व इस तथ्य पर आधारित है, कि :
    - इस विधि का उद्धेश्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक बदलाव का अनुभव प्रदान करना और इस प्रकार युवाओं की इस समझ को मज़बूत करना है, कि बदलाव आपके अपने भीतर और समूह के स्तर पर ही संभव है।
    - यह विधि प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे लोगों को स्वयं से यह सवाल करने को प्रेरित करती है, कि क्या उन्होंने हमेशा स्वीकार किया। यह उन्हें अपने स्वयं के अनुभवों का आलोचनात्मक रुप से जाँचने और विश्लेषण करने को प्रोत्साहित करता है। यह प्रक्रिया उन्हें अपनी छिपी हुई/भीतरी शक्तियों का पता लगाने और उन्हें सकारात्मक कार्यों के लिये प्रयोग में लाने में समर्थ बनाती है।
    - यह विधि वास्तविक अनुभवों पर आधारित प्रामाणिक तथा सटीक ज्ञान को मान्यता देती है और नई जानकारी तथा नवनिर्मित अवधारणाओं के साथ अनुभवों के विश्लेषण के आधार पर इसे तैयार करती है। इस प्रकार सृजित यह नया ज्ञान वास्तविकता को बदलने की इच्छाशक्ति को मजबूत करता है और उसे आगे की ओर लेकर जाता है।
    - सहभागी प्रशिक्षण का उद्धेश्य, विभिन्न गतिविधियों तथा सत्रों के द्वारा, लोगों की सोच, रवैया तथा व्यवहार बदलना होता है।
- सहभागी प्रशिक्षण प्रक्रियायें तथा पद्धतियाँ युवाओं के लिये सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि
    - भाग लेने वालों की रुचि बनाये रखने के उद्धेश्य से सीखने के लिये विभिन्न विधियाँ प्रयोग की जाती हैं।
    - व्याख्यान कम से कम रखे जाते हैं और वार्तालाप गतिविधि, नाटक तथा चर्चाओं जैसे अत्यंत सहभागितापूर्ण तरीके प्रयोग किये जाते हैं।
    - प्रतिभागियों के समृद्ध अनुभव तथा विशेषज्ञता उपयोग में लाई जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सबसे अधिक सक्रियता से आप अपने साथियों से सीखते हैं।
    - प्रतिभागियों को, जो कुछ उन्होंने सीखा है उसकी समीक्षा करने और उसे किसी अधिक चुनौती भरे काम में उपयोग करने का मौका भी मिलता है। जब कार्यक्रम ज़्यादा एडवांस हो जाता है, तो प्रमुख अवधारणायें एक बार फिर से पेश की जाती हैं। यह विधि निरंतर पहले बताई गई बातों का हवाला देते हुये, पहले सीखी हुई अवधारणाओं तथा योग्यताओं को शामिल करती चलती है।
    - प्रतिभागियों के लिये ऐसे अवसर पैदा किये जाते हैं, जिससे वे वर्तमान में अनुभव की जा रही वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिये उस जानकारी /ज्ञान को प्रयोग कर सकें, जो उन्होंने सीखा है।

अभ्यास सामग्री संख्या – 8

महिलाओं पर होने वाली हिंसा को समझना

समयः 1 घंटा 30 मिनट

उद्धेश्यः महिलाओं पर होने वाली हिंसा से संबंधित मुद्दों पर समझ विकसित करना

गतिविधिः सामूहिक प्रश्नोत्तर सत्र

सामग्री : पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची

प्रक्रिया :

1. बड़े समूह को बराबर–बराबर छोटे समूहों में बाँटें।
2. समूहों को आमने–सामने खड़े होते हुये दो लाईने ''ए तथा बी'' बनाने को कहें
3. उनसे नीचे दिये गये प्रश्न पूछें, एक समय में एक प्रश्न
4. निम्न दिशा–निर्देशों के आधार पर प्रतिभागियों को एक–दूसरे से बातचीत करने दें:
    - सभी प्रश्नों के जवाब लाइन ए पहले देगी। लाइन बी सुनेगा
    - जब लाइन ए का पार्टनर जवाब दे चुका हो, तो लाइन बी का पार्टनर ए के जवाब को दोहरायेगा और फिर प्रश्न का जवाब देगा
    - जब लाइन बी का पार्टनर अपना जवाब दे चुका हो, तो लाइन ए का पार्टनर लाइन बी के जवाब को दोहरायेगा।

1. प्रतिभागियों से पूछिये कि उन्होंने किसी भी लाइन से कोई दिलचस्प टिप्पणी सुनी है। प्रतिभागी केवल अपने पार्टनर से सुने हुये जवाब पर टिप्पणी दे सकते हैं।
2. जब कुछ चर्चा हो चुकी हो, तो अगला प्रश्न पूछिये।
3. प्रश्न पूछते रहिये, जब तक सारे प्रश्न न पूछ लिये जायें।

प्रश्नः

- लोग हिंसक क्यों होते हैं? कम से कम तीन कारण बताइये।
- हिंसा इंसान में आनुवांशिक रूप से होती है या यह सीखी जाती है?
- उन लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिये, जिन्होंने हिंसक अपराध दोहराये हैं /बार–बार किये हैं?
- क्या बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स कार्यक्रम हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों की मदद के लिये अच्छे हैं?
- मीडिया किस तरह हमारे समाज में हिंसा पर प्रभाव डालता है?

भाग लेने वालों को निम्न तसवीर दिखाइये और पूछिये कि यह क्या दर्शाती है। उनसे मिले जवाबों के आधार पर एक चर्चा छेड़िये।

महिलाओं पर होने वाली हिंसा क्या है?

संयुक्त राष्ट्र संघ की महिलाओं पर हिंसा की परिभाषा में हिंसा के निम्न रूप आते हैं:

- परिवार तथा समुदाय में शारीरिक, यौन तथा मनोवैज्ञानिक हिंसा के कृत्य/काम (Act)
- पत्नी को मारना–पीटना
- कम उम्र की लड़की के साथ यौन दुर्व्यवहार
- दहेज संबंधी हिंसा
- बलात्कार, जिसमें वैवाहिक बलात्कार भी शामिल है
- महिलाओं के लिये हानिकारक पारंपरिक पद्धतियाँ, जैसे स्त्री के यौन अंगों का अंगच्छेदन/अंगभंग
- स्कूल में अथवा काम पर यौन उत्पीड़न और धमकी देना
- महिलाओं की तस्करी
- जबरन वेश्यावृति
- राज्य/देश द्वारा हिंसा करना अथवा हिंसा को माफ़ करना, जैसे युद्ध के दौरान बलात्कार

विश्व स्वास्थ्य संगठन महिलाओं पर होने वाली हिंसा की अपनी परिभाषा में निम्न को भी शामिल करता है:

- आत्महत्या और अन्य आत्मघाती कृत्य (Act)

महिलाओं पर होने वाली हिंसा सभी संस्कृतियों, वर्गों, जातियों, शैक्षिक स्तरों, आय समूहों तथा आयु में विभिन्न रूपों में देखने को मिलती है। महिलाओं पर होने वाली हिंसा से तात्पर्य उस हिंसा से है, जो महिलाओं के साथ उनके लिंग के आधार पर की जाती है। यह समाज में मौजूद असमान शक्ति संबंधों की देन है। महिलाओं को समाज द्वारा उनके लिये निर्धारित की गई लिंग आधारित भूमिकाओं से बँधे रहने पर बाध्य करने के लिये हिंसा को अक्सर एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। परिवार की इज़्ज़त बनाये और बचाये रखने की सारी ज़िम्मेदारी अकेले परिवार की महिला सदस्यों पर ही होती है। कई मामलों में परिवारों तथा समुदायों को बदनाम करने के लिये पुरुष बलात्कार तथा यौन हिंसा का प्रयोग करते हैं।

महिलायें अपने पूरे जीवन भर विभिन्न रूपों में हिंसा का शिकार होने के जोखिम में रहती हैं।

1 जन्म–पूर्वः	2 शैशवः
. भ्रूण के लिंग का पता लगाकर गर्भपात (भ्रूणहत्या)	. कन्या शिशु हत्या
. गर्भावस्था के दौरान पत्नी से मार–पीट	. देखभाल, शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में भेदभाव
3 बचपनः	4 किशोरावस्थाः
. बाल विवाह	. यौन उत्पीड़न / छेड़खानी
. यौन संबंधी दुर्व्यवहार	. बलात्कार
. बाल वेश्यावृति	. सगे संबंधियों द्वारा व्यभिचार /यौन सम्पर्क
. देखभाल, शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में भेदभाव	. जबरन वेश्यावृति
	. मानव तस्करी
	. काम की जगह पर यौन उत्पीड़न
	. विवाहपूर्व गर्भाधान/गर्भपात से संबंधित हिंसा
	. अपहरण और फुसला कर भगाना
5 युवा तथा वयस्क अवस्थाः	6 वृद्धावस्थाः
. घरेलू हिंसा	. वृद्धाओं तथा विधवाओं के साथ दुव्यर्वहार
. वैवाहिक बलात्कार	. यौन हिंसा की धमकी
. दहेज हत्या और दहेज संबंधी दुर्व्यवहार	. देखभाल, पोषण तथा चिकित्सा सेवाओं का अभाव
. जबरन गर्भाधान	
. मानवहत्या	
. काम की जगह/कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न	
. यौन उत्पीड़न, यौन संबंधी दुर्व्यवहार तथा बलात्कार	
. देखभाल, शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में भेदभाव	

हिंसा निम्न रूपों में महसूस की जा सकती हैः

शारीरिक दुर्व्यवहारः मारना, पीटना, मुक्का मारना, गला दबाना, लात मारना, धक्का देना, जलाना, किसी पर चीज़ें फेंकना, किसी को चोट पहुँचाने के उद्धेश्य से चाकू आदि जैसे हथियार का प्रयोग करना।

मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहारः आलोचना करना, धमकियाँ देना, बेइज़्ज़ती करना, किसी को गुस्सा दिलाना, जलील करना या डराना।

यौन नियंत्रणः बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, वैवाहिक बलात्कार तथा जबरन विवाह।

बाधक व्यवहारः स्त्री की आवाजाही तथा गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता पर रोक लगाना और उसे जानकारी हासिल करने से रोकना।

महिलाओं पर हिंसा के निम्न परिणाम होते हैं:

शारीरिक / स्वास्थ्य संबंधी : चोटें, खरोंचे, हड्डी टूटना, अपंगता, मनोवैज्ञानिक अथवा भावनात्मक रोग, यौन अथवा प्रजनन रोग और यहाँ तक कि प्राणघाती परिणाम, जैसे आत्महत्या या हत्या।

अन्य: यदि महिला कामकाज़ी है, तो आमदनी का नुकसान, आर्थिक बोझ, इससे महिलाओं की गतिविधियाँ और कई विकास योजनाओं तक उनकी पहुँच बाधित होती है।

उत्पीड़न झेल रही महिलाओं को अपने उत्पीड़न के विषय में किसी से बात करने अथवा उसकी शिकायर्त दर्ज कराने से भी रोका जाता है। यह प्रतिबंध उन पर परिवार के ही सदस्यों या बाहरवालों द्वारा लगाया जाता है। सरकार ने महिलाओं पर होने वाली हिंसा पर नियंत्रण रखने हेतु कुछ कानून बनाये हैं। पीड़िता न्याय प्रणाली में मौजूद पुरुष प्रधान मानसिकता वाले लोगों द्वारा एक बार फिर प्रताड़ित होती है। वर्तमान परिस्थितियाँ केवल स्वयं महिलाओं में, उनके पुरुष सहभागियों में, परिवार के सदस्यों में और सामुदायिक स्तर पर रवैये में बदलाव लाकर बदली जा सकती हैं।

याद रखने योग्य बातें:

- फैसिलिटेटर यह सुनिश्चित कर ले, कि गतिविधियाँ करने के लिये जगह पर्याप्त हो
- चर्चायें संवादपूर्ण ढंग से करें
- भाग लेने वालों को चर्चा के दौरान तथा उसके बाद भी अपना दृष्टिकोण तथा धारणायें बताने के लिये प्रोत्साहित करें
- जैसे ही या जब भी प्रतिभागियों के मन में कोई संदेह उठे, उसे दूर करें
- गतिविधियों का उद्धेश्य प्रतिभागियों को शामिल करना और उनकी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है।

अभ्यास सामग्री संख्या – 9

अधिकारों को समझना तथा बढ़ावा देना

समयः 1 घंटा 30 मिनट

उद्धेश्यः अधिकार क्या हैं, इस बात की स्पष्ट समझ विकसित करना

इस समझ को बढ़ाना, कि किस तरह बाल विवाह, दहेज तथा लिंग आधारित हिंसा लड़की के स्वास्थ्य तथा कल्याण पर असर डालते हैं

उन कानूनों के विषय में जागरूकता पैदा करना जो लड़की को बाल विवाह, दहेज ,और संबंधित मुद्दे तथा महिलाओं पर होने वाली हिंसा से बचाते हैं।

विधिः अधिकारों के चिन्ह, गतिविधि तथा चर्चा

साधनः चार्ट पेपर, मार्कर / स्केच पेन

प्रक्रियाः

- समूह को छोटे–छोटे समूहों में बाँट दें
- हर समूह को दो चार्ट पेपर दें
- प्रत्येक समूह को पहले चार्ट पेपर पर निम्न चीज़ों पर चर्चा करने तथा नोट करने को कहें:
  - ''अधिकार'', ''हक'' शब्द सुनकर आपके मन में क्या आता है?
  - आपके अधिकार क्या हैं?
- दूसरे चार्ट पर समूहों को एक ऐसा चिन्ह बनाने को कहें, जो उनके विचार से अधिकार शब्द के अर्थ को प्रदर्शित करता हो।
- हर समूह अपना काम और अपने चिन्ह प्रस्तुत करेगा।
- निम्न प्रश्नों के आधार पर एक चर्चा चलायें:
  - मानव अधिकार क्या हैं? कौन–कौन से मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को मिलने चाहियें?
  - बाल विवाह क्या है और यह लड़की के जीवन, स्वास्थ्य तथा कल्याण पर क्या असर डालता है?
  - क्या आपने ऐसे किसी कानून के बारे में सुना है, जो लड़कियों को बाल विवाह से बचाता हो?
  - दहेज क्या है और यह लड़की तथा लड़की के परिवार के स्वास्थ्य तथा कल्याण को कैसे प्रभावित करता है?
  - कानून लड़की तथा उसके परिवार को दहेज देने से कैसे बचाता है? कोई लड़की यदि दहेज संबंधी हिंसा/उत्पीड़न का शिकार हो रही हो, तो वह क्या कर सकती है?
  - लड़कियों / महिलाओं के स्वास्थ्य पर हिंसा के क्या परिणाम होते हैं?
  - लड़कियाँ / महिलायें खुद को हिंसा से बचाने के लिये क्या कदम उठा सकती हैं?
  - शिक्षा का अभाव बाल विवाह, दहेज, मानव तस्करी तथा हिंसा को कैसे प्रभावित करता है?

सुनिश्चित करें, कि निम्न जानकारी सबको मिल जाये:

- मानव अधिकार वह ''मौलिक आज़ादी'' है, जिसका अधिकार हर इंसान को है, चाहे वह किसी भी आयु, लिंग, जाति, धर्म, वर्ग, भाषा से ताल्लुक रखता हो या वह कहीं भी रहता हो।
- ''सभी इंसान पैदाइशी स्वतंत्र हैं और गरिमा तथा अधिकारों की दृष्टि से समान हैं'' – मानव अधिकारों की सार्वभैमिक घोषणा (Universal Decalration of Human Rights)
- मानव अधिकारों में सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार शामिल हैं।
- कुछ मौलिक मानव अधिकारों (मानव अधिकार घोषणा के अनुसार) में निम्न शामिल हैं:
    - एक ऐसे जीवन स्तर का अधिकार, जिसमें पर्याप्त भोजन, आवास तथा वस्त्र उपलब्ध हो
    - स्वास्थ्य तथा चिकित्सीय देखभाल और सामाजिक सेवाओं का अधिकार
    - शिक्षा का अधिकार
    - विवाह करने और परिवार शुरु करने का अधिकार
    - रोज़गार और काम करने के लिये एक सुरक्षित माहौल का अधिकार
    - भेदभाव तथा हिंसा से मुक्ति
    - कहीं भी रहने और आने–जाने की स्वतंत्रता

- मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, जब मौलिक मानव अधिकारों की उपेक्षा होती है, दुरुपयोग होता है अथवा किसी को इनसे वंचित रखा जाता है।
- कुछ तरीके जिनके ज़रिये लड़कियों तथा महिलाओं को उनके मौलिक मानव अधिकारों से वंचित रखा जाता है अथवा उनके मौलिक मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनमें बाल विवाह, दहेज तथा हिंसा शामिल हैं। बाल विवाह, दहेज तथा इससे संबंधित अपराध और महिलाओं पर हिंसा ऐसे कृत्य हैं, जो लड़कियों तथा महिलाओं के मौलिक मानव अधिकारों का हनन करते हैं।

- बाल विवाह

18 वर्ष से कम आयु में किसी लड़की या लड़के का विवाह बाल विवाह कहलाता है। भारत में ऐसी लड़कियों की संख्या विश्व के किसी भी देश के मुकाबले अधिक है, जिनकी शादी 18 वर्ष से कम आयु में हुई है।

- जल्दी शादी के खराब समाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी परिणाम होते हैं। इससे लड़की कम उम्र में ही बच्चों को जन्म देती है, माँ तथा शिशु के लिये मुत्यु का खतरा बढ़ता है। जिन लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है, वे पढ़ाई छोड़ देती हैं, आर्थिक रूप से अपनी ज़िम्मेदारी उठा पाने में असमर्थ होती हैं, उन पर घरेलू हिंसा का ख़तरा अधिक रहता है और उन्हें अनिवार्य सहायता व्यवस्था/अवलंब/आश्रय का अभाव होता है।
- बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम (1929) के अनुसार बाल विवाह (18 वर्ष से कम आयु में लड़की तथा 21 वर्ष से कम आयु में लड़के का विवाह) एक संगीन अपराध है ,अर्थात् अभियुक्त के ख़िलाफ़ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करवाई जा सकती है, पुलिस अभियुक्त को गिरफ़्तार कर सकती है।

- दहेज

दहेज में वह धन, उपहार या सम्पत्ति शामिल है, जो कोई दुल्हन अपने पति के घर लेकर आती है, या दुल्हन के घरवाले दूल्हे के माता–पिता को देते हैं।

- यद्यपि यह एक प्राचीनकाल से चला आ रहा रिवाज़ है, इसके चलते होने वाली हिंसा/उत्पीड़न तथा दहेज हत्याओं से लेकर लड़की के माता–पिता को होने वाली भारी वित्तीय हानि तक, यह पद्धति महिलाओं के स्वास्थ्य तथा कल्याण पर बेहद हानिकारक प्रभाव डालती है।
- दहेज निषेध अधिनियम (1961) दहेज लेने, दहेज देने, दहेज देने अथवा लेने पर बाध्य करने को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है, जिसके लिये कम से कम पाँच वर्ष की जेल और 15,000 रु. या दहेज की राशि, जो भी अधिक हो, के बराबर जुर्माने की सज़ा निर्धारित की गई है।
- दहेज संबंधी उत्पीड़न या क्रूरता के मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए में उल्लेख है, कि महिला का पति या रिश्तेदार, जो उसे दहेज की ग़ैर–कानूनी माँगों के चलते उत्पीड़ित करता है या उसे कोई बड़ी चोट पहुँचाता है, उसे तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
- दहेज हत्या/मौत के मामले में, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304बी में उल्लेख किया गया है, कि दहेज हत्या / मौत के लिये दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 7 साल की जेल की सज़ा होगी।

- महिलाओं पर होने वाली हिंसा
  - महिलाओं पर होने वाली हिंसा लिंग–आधारित हिंसा का कृत्य है, जिसके परिणाम स्वरुप – महिलाओं का शारीरिक, यौन अथवा भावनात्मक/मानसिक नुकसान अथवा कष्ट आता है।
  - महिलायें तथा लड़कियाँ कई रूपों में हिंसा का शिकार होती हैं – शारीरिक, यौन, मौखिक तथा मानसिक/भावनात्मक और आर्थिक
  - हिंसा के स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में चोंटें, मौत, कमज़ोर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य (अनचाहा गर्भ, गर्भपात, तथा अकाल प्रसव, एसटीआई (यौन संक्रमण, एचआईवी), जोखिम भरा व्यवहार (खासतौर से यौन संबंधी जोखिम, ड्रग का उपयोग एवं दुरुपयोग), खराब मानसिक स्वास्थ्य (खासतौर से अवसाद, घबराहट, सद्मे से उत्पन्न तनाव की बीमारी, नींद की बीमारी, खाने की बीमारी), खराब शारीरिक स्वास्थ्य (उदहारण के लियेः पीठ–दर्द, सिर–दर्द, पेट–दर्द, चलने–फिरने में परेशानी तथा खराब स्थिति)।
  - जो लड़कियाँ और महिलायें शारीरिक, यौन, मौखिक तथा भावनात्मक और आर्थिक हिंसा का सामना कर रही हैं, वे महिला संरक्षण के लिये घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज करा सकती हैं।

- लड़कियों को यदि 18 वर्ष की आयु से पहले शादी करने के लिये मजबूर किया जा रहा हो या उनके माता–पिता से दहेज की माँग की जा रही हो या उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा हो रही हो, तो वे किसी ग़ैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) की मदद ले सकती हैं। (यदि ज़रूरी हो, तो फैसिलिटेटर उस इलाके में मौजूद एनजीओ की एक सूची साझा कर सकते हैं)।
- लड़कियों के लिये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्म–निर्भर बनने में समर्थ बनाती है, उन्हें अपनी इच्छा से कहीं आने–जाने की आज़ादी देती है, उन फैसलों में हिस्सा लेने योग्य बनाती है, जो उनके जीवन पर असर डालते हैं और अनिवार्य स्वास्थ्य, सामाजिक और कानूनी सहायता लेने में सक्षम बनाती है।

.....